खण्ड-288, अंक-5
शुक्रवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1893
(26 मार्च, 1971 ई0)

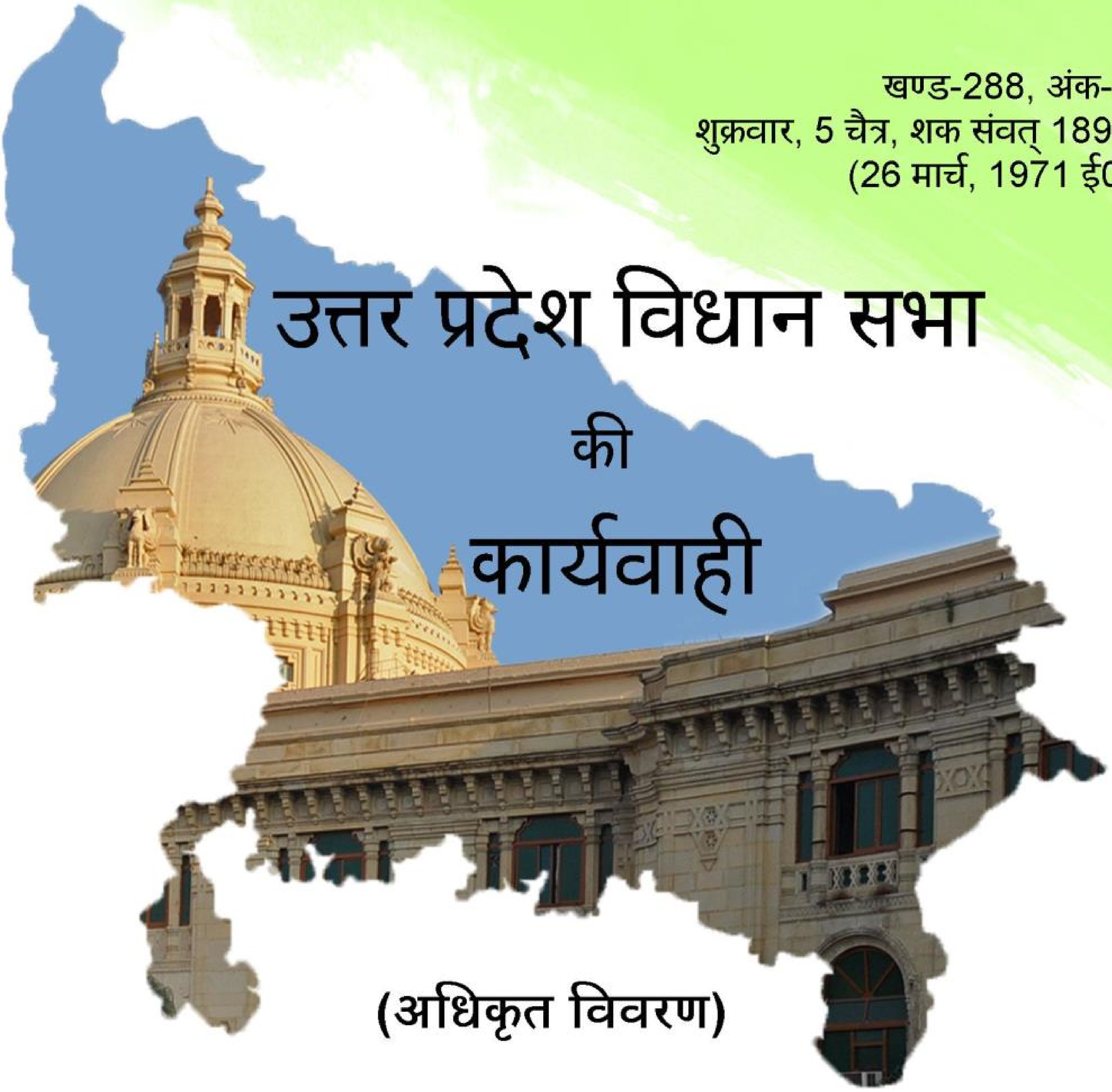

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०७–३११
मंत्रि परिषद् के अनेक मंत्रियों द्वारा त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप प्रदेश में उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३११–३१२
मंत्रियों के त्याग-पत्र स्वीकार न होने के पूर्व उनके विरोध पक्ष में बैठने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	३१२–३१३
कई दलों को मिला कर गठित सरकार के अनेक मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने के फलस्वरूप संयुक्त उत्तरदायित्व की समाप्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	३१३–३१४
प्रश्नोत्तर	३१४–३२५
श्री आनन्द सिंह का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र ..	३२५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३२५
विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्थगित)	३२६
सदस्यों की हस्ताक्षर पंजी में जाली हस्ताक्षर किये जाने वाले प्रश्न में की गई अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी	३२६–३२७
सदन की समितियों के चुनाव के बारे में जानकारी	३२७
प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिये संकल्प (जारी)	३२७–३७०
चीनी मिलों द्वारा गन्ने की मन्द गति से पेराई करने तथा किसानों का मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३७०
प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिये संकल्प (जारी)	३७०–३७९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३७९
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३७९
नत्थियां	३८०–३८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३९०

अजित प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त , श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मरहम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त, सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मंनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मो० महमद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री

राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
ललन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह, यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर, (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री

शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सिया राम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

मंत्रि परिषद् के अनेक मंत्रियों द्वारा त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप प्रदेश में उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर आज एक गम्भीर वैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस संकट के कारण न तो सदन की कार्यवाही चल सकती है और न सदन चल सकता है। मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत मुख्य मंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अगर मंत्रि मंडल से कोई मंत्री इस्तीफा देते हैं तो उसको राज्यपाल ही स्वीकार करते हैं। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफ दे दिये और राज्यपाल महोदय ने वे स्वीकार नहीं किये, और इसके पूर्व ही उन मंत्रियों ने इस सरकार की

घोषित नीतियों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देना शुरू कर दिया। श्रीमन्, मंत्रि मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है जो कि खंडित हो चुकी है और अब इस सदन के अन्दर एक डिवाइडेड मंत्रिमंडल आ रहा है। मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें कि जब मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व खत्म हो गया तो क्या यह मंत्रिमंडल चल सकता है? और ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब यह होता है कि सब लोगों की जिम्मेदारी और अगर उनमें से कोई इस्तीफा दे देता है तो इस्तीफा देने का अधिकार उसको है। जब उसको अधिकार है तो आप किसी से यह नहीं कह सकते कि क्यों इस्तीफा दिया और जिम्मेदारी संभाले रहो जब तक कि पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा न दे दे। इसलिये जिसने इस्तीफा दिया वह दे सकता है। लेकिन इसका परिणाम यह नहीं हो सकता कि मंत्रिमंडल खत्म हो गया। लेकिन यह अनुचित है कि इस्तीफा देने वाला, जब तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, अपने को यह समझे कि वह मंत्री नहीं है। औचित्य के हिसाब से यह है कि वह जब तक इस्तीफा मंजूर न हो तब तक मंत्री का काम न करे और उन दिनों की पे न ले। यह कह दे कि हम पे भी नहीं लेंगे और काम भी नहीं करेंगे। समझौते की कोई बात उसके और मुख्य मंत्री के बीच होगी लेकिन काम चलता रहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय गोविन्द सिंह जी जिस विचारधारा के हैं तो इनके रूस म कोई संविधान नहीं है। ये अखबारी खबरों पर अपने विचार रख देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

आप तो न अखबारों पर यकीन करते हैं और न प्रजातंत्र पर।

(व्यवधान)

मंत्रियों के त्याग-पत्र स्वीकार न होने के पूर्व उनके विरोध पक्ष में बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, उसी से दूसरी व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो गया। यह ठीक है जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता तब तक वह अपनी जगह पर मंत्री बने रहेंगे, लेकिन हमारे इस माननीय सदन के पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के दो हिस्से हैं। ट्रेजरी बेंचेज अलग हैं और अपोजिशन की बेंचेज अलग हैं। कल जब माननीय मन्त्री इधर अपोजिशन की बेंचेज पर आये थे तो उनकी काफी तारीफ की गई थी और हाउस में काफी शोरगुल हुआ। मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं कि जब उन माननीय मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर नहीं हुये थे तो वे अपोजिशन की बेंचेज पर कैसे बैठे? क्या उन्हें आज्ञा दी गई थी?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जब तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुये हैं उनको खुद सोचना चाहिये। कुछ मन्त्री अपनी जगह से उठ कर दूसरे माननीय सदस्यों के स्थान पर बैठ जाते हैं और कोई उन्हें रोकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

कुछ बोलने के उपक्रम में।

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई सीट अलाट नहीं करूंगा जब तक कि मुझे यह सूचना नहीं मिल जायेगी कि उन मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो गये हैं। मेरी तरफ से कोई अलाटमेन्ट नहीं हुआ है। वे खुशी से बैठ जाते हैं और कोई उन्हें रोकता नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

बोलने के उपक्रम में.....

श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)--

बोलने के उपक्रम में....

कई दलों को मिलाकर गठित सरकार के अनेक मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने के फलस्वरूप संयुक्त उत्तरदायित्व की समाप्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दिये जो अभी मन्जूर नहीं हुए हैं वे कहां बैठें, इसमें एक कंस्टीट्यूशन प्वाइन्ट इन्वाल्वड है। यह सरकार संयुक्त सरकार थी और इसमें कई पार्टियां शामिल थीं। संविद सरकार की पार्टी कंस्टीटुएंट्स के ४-४ व ५-५ मन्त्रियों नें इस्तीफे दे दिये हैं। प्रश्न यह होता है कि क्या वह संयुक्त उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो गया है जिसके आधार पर संविद सरकार बनी थी? राज्यपाल महोदय तो यहां नहीं हैं लेकिन आप उनसे कह सकते हैं कि श्री त्रिभुवन-नारायण सिंह की सरकार तुरन्त इस्तीफा दे, उसे यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि आप यहां पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं और उस पर बहस करना चाहते हैं और गवर्नमेन्ट को गिराना चाहते हैं। और साथ ही आप यह भी कहते हैं कि यह सरकार है ही नहीं। अगर यह सरकार है ही नहीं, तो फिर काहे को अविश्वास का प्रस्ताव लाए?

(व्यवधान)

(शोर के बीच)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल, से कहूंगा कि वे अपने साथियों को कृपया शांत करें...

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

जब अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है, उस पर वोटिंग चर्चा के बाद होगी, फिर यह शोर क्यों मचा रहे हैं.....

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)--

अध्यक्ष महोदय, आज जो यहां परिस्थिति है, मुझे इसके लिये खेद है, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलनी चाहिये। लेकिन आज की स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी को या उनके मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य को यहां यह बयान देना चाहिये कि उनकी स्थिति आज क्या है, वे क्या करना चाहते हैं। आपने कहा, हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, पर हमें यह क्या पता था

कि उसके रखते ही परिस्थिति एकदम बदल जायगी । इसमें हमारा क्या दोष है । प्रस्ताव के आने के बाद अब मंत्री परिषद् की इन्टरनल हालत क्या है, उसका क्या परिणाम हुआ, इसको अगर माननीय मुख्य मंत्री यहां सदन में बतला देते तो अच्छा होगा । सभी माननीय सदस्य, चाहे, इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के हों, बदली हुई स्थिति को जानना चाहते हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वे शान्ति पूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें । जो सवाल करने हों वे एक एक करके शान्ति से करें।

(श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा के बोलने पर)

(कई आवाजें--माननीय मुख्य मंत्री को बुलाया जाय)

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष---

देखिये, यदि आप लोग शान्ति पूर्वक नहीं रहेंगे, हाउस नहीं चलने देंगे, तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा ।

(चेतावनी के बावजूद शान्ति न स्थापित होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं १५ मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय सदन में व्यवधान जारी रहने पर ११ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और १५ मिनट के पश्चात् ११ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६, मार्च, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

चारबाग, लखनऊ के बस नम्बर ३६१२ के कन्डक्टर की शिकायत

**१---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)---

क्या परिवहन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि बस नम्बर ३६१२ (चारबाग, लखनऊ से इन्हौना जाने वाली) के कण्डक्टर द्वारा १७ अक्तूबर, १९७० को २ रुपये ६० पैसे के टिकट को ४ रुपये में बेचने तथा अभद्र व्यवहार करने की शिकायत यात्रियों द्वारा मुख्य मंत्री तथा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आदि को मिली है ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

न्याय उप मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)---

जी हां । इस विषय में श्री राम कुमार जिला परिषद्, लखनऊ द्वारा, मुख्य मंत्री, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रधान प्रबन्धक (चारबाग) लखनऊ को सम्बोधित दिनांक २०-१०-७० का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच करने पर पता चला कि जिला परिषद्, लखनऊ के कार्यालय में श्री राम कुमार नाम का कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। जांच करने पर परिवाद् में कोई तथ्य नहीं पाया गया ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलावा रामकुमार के क्या कोई और दस्तखत नहीं हैं शिकायती-पत्र पर, सिर्फ एक आदमी तक महदूद कर दिया आपने ?

श्री सच्चिदानन्द---

अभी मैंने बतलाया कि रामकुमार नाम का व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा है ।

श्री हलीमुद्दीन मौलाई---

मैंने यह नहीं पूछा । मैंने पूछा कि अलावा रामकुमार जी के कोई दस्तखत नहीं हैं शिकायती-पत्र पर क्या ?

श्री सच्चिदानन्द---

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

प्रश्न यह है कि उस अधिकारी का, जिसके द्वारा जांच करवायी गयी है, जो उत्तर में दिया गया है कि रामकुमार नामक व्यक्ति का नाम नहीं मिला, उस अधिकारी का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं वह इस समय है नहीं । इसके बारे में लिखकर देंगे तो बाद में बतला दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

वह पूछते हैं कि क्या इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

इसकी जांच करवा दी जायगी ।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का हड़ताल के समय का वेतन

**२---श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा २७ जनवरी, १९७१ से हुई हड़ताल के परिणाम स्वरूप जिन अध्यापकों का हड़ताल के समय का वेतन काटा गया है, उन्हें उक्त वेतन दिलाने के लिये कौन से पग उठा रही है ? सरकार ने अध्यापकों के नेताओं से क्या समझौता किया है ? क्या उसको सरकार सदन में रखेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

प्रबन्ध समितियों को अधिकार दे दिया गया है कि हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जा सकता है और यह भुगतान अनुदान के लिये अधिकृत व्यय मान लिया जायेगा ।

अध्यापक नेताओं के साथ कोई समझौता नहीं हुआ परन्तु अध्यापकों की मुख्य मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री राम गोपाल संड---

माननीय मंत्री ने उत्तर में यह लिखा है कि "दिया जा सकता है ।" क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद के अग्रसेन इंटर कालेज और केसरवानी इंटर कालेज के प्रबन्धकों ने "दिया

जा सकता है" का दुरुपयोग किया है और उन्होंने अध्यापकों का वेतन नहीं दिया जिसके परिणाम-स्वरूप वहां के अध्यापकों ने २४ घंटे तक भूख हड़ताल की है, क्या माननीय मंत्री कोई दूसरा पत्रक भेजेंगे कि "दिया जायगा" अन्यथा इलाहाबाद में ३६ कालेजों में वेतन नहीं मिला है और मैं समझता हूं कि प्रदेश में और कालेजों में भी नहीं मिला है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

मान्यवर, अध्यापकों की नियुक्ति प्रबन्धक समितियां करती हैं। कानूनन शासन को अधिकार नहीं है कि वह उनको बाध्य करें कि वह उनका वेतन अवश्य दे। लेकिन जो शासन के अधिकार में है, उनकी हड़ताल के समय का जो वेतन हैं, उसको आधिकारिक व्यय समझेंगे, उसके लिए शासन ग्रांट देगी, यह शासन ने आदेश दे दिया है।

इसके अलावा यह शासन फिर से जहां वेतन नहीं दे रहे हैं यह सलाह देगा कि उनका वेतन हड़ताल के समय का दिया जाय और जो हड़ताल के समय का वेतन दिया जायगा उसके लिये शासन ग्रान्ट देगा।

श्री राम गोपाल संड---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शासन अध्यापकों की किन-किन मुख्य मांगों पर विचार करने जा रहा है ? और उन पर निर्णय लेने जा रहा है ? क्या सरकार उनको सदन के सामनें रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

अध्यापकों की मुख्य मांगें तीन थीं। वैसे तो बहुत सी मांगें थीं जिसमें कुछ स्वीकृत भी हुई थीं। तीन विशेष थीं। उन तीन मुख्य मांगों में एक तो यह भी थी कि शिक्षा का राष्ट्रीय-करण कर दिया जाय। दूसरी मांग यह थी कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय और तीसरी यह थी कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन दिलाया जाय। जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह वैधानिक तथा वित्तीय कठिनाई के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक उच्चतर माध्य-मिक विद्यालयों के अध्यापकों के महंगाई-भत्ते को बढ़ाने का प्रश्न है, यह शासन के विचाराधीन मामला है और इसमें जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन-क्रम को भी बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है और शासन का विचार है कि उनका वेतन-क्रम बढ़ाया जाय।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बतलायेगी कि जिस समय तक अध्यापकों ने हड़ताल की थी उसमें विद्यार्थियों के पठन पाठन का बड़ा नुक्सान हुआ तो जो शुल्क विद्यार्थियों से उस अवधि के लिये लिया गया और पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं दी गयी तो उसे वापस करने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

यह अवश्य दुर्भाग्यपूर्ण है कि हड़ताल हुई और विद्यार्थियों की हानि हुई लेकिन उस समय का जो शुल्क लिया गया है उसे माफ करने अथवा लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मगर उन अध्यापकों से शासन ने अवश्य निवेदन किया है कि हड़ताल से जो विद्यार्थियों को नुक्सान हुआ है उसकी किसी तरह से अधिक समय दे कर पूर्ति करने की कोशिश की जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा इस सदन में करेंगे कि गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता सिद्धान्ततः वह सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के बराबर देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सरकार सिद्धान्ततः यह मानती है कि किसी का भी मंहगाई भत्ता कम नहीं होना चाहिये, सबका बराबर होना चाहिये लेकिन इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये जो उसके पास सीमित साधन हैं उन्हीं के अन्तर्गत वह कार्य कर सकती है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर जानना चाहती हूं कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता एक होना चाहिये, इसको सरकार स्वीकार करती है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, सरकार किन्हीं परिस्थितियों में मजबूर हो गई है कि केन्द्र में सरकार कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और उनको ४५ रु० अन्तरिम रिलीफ मिलने के बाद यह समझती है कि प्रान्तीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी और अध्यापक हैं, उन सबके वेतन और महंगाई भत्ते में सुधार करना आवश्यक है । इसके लिये सरकार ने एक पे-कमीशन बैठाया है जो कि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते के बारे में निर्णय लेगा और उसी के अनुसार सरकार कार्य करने की चेष्टा करेगी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि वेतन आयोग के निर्णय लेने के पहले जो अन्तरिम महंगाई भत्ता की घोषणा सरकार की तरफ से होने जा रही है उसमें क्या गैर-सरकारी अध्यापकों का महंगाई भत्ता भी शामिल हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सरकार ने अन्तरिम रिलीफ के लिये १५ करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया है और उसका किस तरह से वितरण किया जायेगा । उसका निर्णय एक सरकारी अधिकारी और कमीशन लेगा । ऐसी स्थिति में उसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता ।

श्री राम गोपाल संड--

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो पे-कमीशन बैठाया गया है वह कब से अपना काम करने लगेगा ? क्या मंत्री जी ऐसी कोई घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पे-कमीशन बन गया है और उसकी अवधि भी निर्धारित कर दी गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित दो बातें पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि सरकार ने कहा है कि अध्यापकों का हड़ताल पर जाना अनुचित था और दूसरे उनके हड़ताल पर जाने से छात्रों का अहित हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कदम सरकार उठा रही है जिससे अध्यापक प्रति वर्ष इम्तहान के समय पर हड़ताल कर देते हैं उस पर रोक लगाई जा सके ? सरकार क्या कोई ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है जिससे इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि वे लोग जो कि राजनीतिक कारणों से उत्तेजना देते हैं, अपनी उत्तेजना देना बन्द कर दें तो ऐसी घटनायें कम हो जायेंगी ।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*२-३—श्री दल सिंगार—

[अस्वीकृत]

जिला फैजाबाद में डेरी फार्म हेतु ऋण

*४—श्री राम अवध (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टाण्डा तहसील में सन् १९६७ से १९७० के बीच कितने लोगों ने डेरी फार्म हेतु ऋण प्राप्त करने की दरख्वास्तें दी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मही लाल)—

डेयरी फार्म के लिये कोई ऋण सहकारिता विभाग द्वारा नहीं दिया जाता । दुग्ध योजना चालू होने पर केवल पशु ऋण ही दुग्ध समितियों को दिया जाता है । सन् १९६७ से १९७० के बीच फैजाबाद में कोई दुग्ध योजना नहीं थी । अतः ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[छठें बृहस्पतिवार के प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*६—श्री इन्द्रलाल—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

जिला आजमगढ़ के ग्राम कौड़िया में डकैती

*७—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत अहिरौरा थाना क्षेत्र के कौड़िया ग्राम में २९-३०, नवम्बर, १९७० की रात्रि में चार व्यक्तियों के घर भीषण डकैती हुई और ग्रामिणों और डकैतों के संघर्ष में १ व्यक्ति मारा गया ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ? और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

गृहमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ३०-११-७० को थाना अहरौली में एक लिखित सूचना दी गई कि दिनांक २९/३० नवम्बर, १९७० की रात्रि में एक संयुक्त कुटुम्ब के तीन अलग-अलग घरों में सशस्त्र डकैती पड़ी । शोर मचाने पर गांव के लोग वहां पहुंच गए । डाकू फायर करते रहे और उनकी गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९६/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके जांच आरम्भ की गई । पुलिस ने चार अभियुक्तों को, जिसमें एक नामजद भी था, गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा । शेष एक नामजद फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा ८७/८८ द० प्र० स० की कार्यवाही की गई ।

श्री श्यामलाल—

इस डकैती के सिलसिले में थाने में नामजदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उन अभियुक्तों के नाम व पता क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दो आदमियों के नाम लिये गये हैं, एक हिटलर और दूसरा कलूट साकिन मुड़िहार और बाकी के लिए लिखा था कि शक्ल से पहिचान सकते हैं।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ८७/८८ की कार्यवाही किस तारीख में हुई और बाकी का माल भी कुछ कुर्क हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१३ जनवरी, १९७० को कार्यवाही हुई। दूसरा सवाल सुना नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

डकैती की सूचना कितनी देर बाद मिली और पुलिस वहां पर कब पहुंची और कितनी दूरी है थाने से डकैती के स्थान की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

डकैती तो २९/३० की रात्रि में १ बजे पड़ी और ३० की सुबह ८ बजकर ५ मिनट पर रिपोर्ट लिखाई गयी। कितनी दूरी पर है, यह उपलब्ध नहीं है।

श्री श्यामलाल—

सरकार की ओर से मृतक को कोई सहायता दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

दो व्यक्ति नामजद थे तो दोनों गिरफ्तार हुए या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एक तो गिरफ्तार हो गया था हिटलर और दूसरे के खिलाफ ८७/८८ की कार्यवाही की गयी, वह कभी मफरूर है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

दो अभियुक्तों के अलावा और कौन से मुलजिमान हैं जिनके खिलाफ ८७/८८ की कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

४ गिरफ्तार हुए और दो अदालत में हाजिर हुए हैं। चूंकि दो अभियुक्त नामजद थे तो उन्हीं के खिलाफ ८७/८८ की कार्यवाही की गयी।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

जो नामजद मुल्जिमान हैं उनकी कुर्की हुई या नहीं ? यदि हुई, तो कितने दिन बाद हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने बताया कि कुर्की हुई १३-१-७१ को।

सेवा निवृत्त सेनाधिकारियों की होम गार्ड में नियुक्तियां

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि फरवरी, १९६८ से फरवरी, सन् ७० तक कितने सेवा निवृत्त सेनाधिकारियों को प्रादेशिक होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

फरवरी, १९६८ से फरवरी, १९७० तक कुल १६१ सेनाधिकारी होम गार्ड्स संगठन में अवैतनिक मानदेय प्राप्त विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये ।

नागरिक सुरक्षा संगठन में कोई भी सेवा निवृत्त सेनाधिकारी उक्त अवधि के दौरान नियुक्त नहीं किया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस दो साल की अवधि में १६१ तो सेवा निवृत्त सेनाधिकारियों को लिया गया है, उनके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर कितनों को लिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, प्रश्न जो था वह अधिकारियों से संबंधित था । अधिकारी तो इतने ही लिये गये । ७ कर्मचारी और लिये गये थे . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं अपने प्रश्न को साफ कर दूं । बताया यह गया है १६१ अधिकारी लिये गये । इसके अतिरिक्त वहां और भी पद हैं, उन पर बाहर के कितने व्यक्तियों को रखा गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बारह के कितने व्यक्तियों को लिया गया, इसका प्रश्न नहीं उठता । ७ कर्मचारी लिपिक वगैरा के कामों के लिये रखे गये । नागरिक सुरक्षा में तीन व्यक्ति और रखे गये । वाराणसी में तथा सहारनपुर में ड्राइवर के पद पर तथा लखनऊ में चौकीदार के पद पर नियुक्तियां की गईं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार की तरफ से यह निश्चय किया गया था कि सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों को रखा जाय, यदि उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई तो क्या मंत्री जी भविष्य के लिये यह आश्वासन देंगे कि बाहरी व्यक्तियों को न रखा जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं प्रश्नकर्त्ता महोदय से क्षमा चाहता हूं, अगर इस प्रकार के आदेश पहले थे तो । अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ है, तो इस चीज को मैं देख लूंगा ।

पांडेपुर–सारनाथ मार्ग पर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में अनियमिततायें

*९—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने २७ दिसम्बर, सन् १९७० को पान्डेपुर-सारनाथ मार्ग पर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उन्हें विद्यालय की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुयीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)—

जी हां।

निरीक्षण के समय कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब विद्यालय का निरीक्षण हुआ था तो क्या छात्रों ने वहां के कर्मचारियों के बारे में कोई शिकायत की थी ?

श्री राम सागर—

छात्रों ने कोई लिखित शिकायत नहीं की थी। इतना जरूर कहा था कि यहां पर जो अधिकारी रहते हैं उनके वहां रहने से उनको दिक्कत होती है। उनको वहां से चले जाने के तुरन्त आदेश दे दिये गये थे। वे अब चले भी गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्रीजी ने अनुचित रूप से रहने वाले अधिकारियों से किराया भी वसूल करने के आदेश दे दिये हैं ?

श्री राम सागर—

जो अध्यापक वहां रहते थे वे किसी अतिरिक्त कमरे में नहीं रहते थे। वे कार्यालय के कमरे में ही सो जाते थे। इसलिये किराया लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भिक्षुक कर्मशालाओं की स्थापना

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भिक्षुकों को विभिन्न शिल्पों में व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वासित करने के लिये राज्य में भिक्षुक गृह स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब से और प्रत्येक पर अब तक कितना-कितना खर्च वर्षवार किया जा चुका है तथा प्रत्येक ने अब तक कितने-कितने भिक्षुकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया है ?

श्री राम सागर—

जी हां। भिक्षुकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें पुनर्वासित करने के लिए शासन द्वारा प्रदेश में ३ भिक्षुक कर्मशालायें, हरिद्वार, वाराणसी तथा लखनऊ में क्रमशः १९५७, १९५८ तथा १९६८ में, स्थापित की गई हैं। इनके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष (१९६९–७०) में भिक्षावृत्ति के निवारणार्थ एक अग्रगामी प्रायोजना अयोध्या (फैजाबाद) में चलाई गयी, जिसमें भी व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

अन्य वांछित सूचनाएं संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८० पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान १९६३–६४ की आडिट रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें बताया गया है कि वाराणसी और हरिद्वार में २ भिक्षुक गृहों के चलाने में ७ लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है लेकिन माननीय मंत्री ने जो तालिका दी है और ४ भिक्षुक गृहों का खर्चा है, उसमें कुल १,१४,३४९ रुपया ही दिखाया गया है। दोनों में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री राम सागर--

आडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जो इस समय मेरे पास सूचना है, उसके आधार पर मैंने बता दिया। अगर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है तो माननीय सदस्य लिख कर दें दें इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री मैनेजर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, जब आडिट का ऐतराज होता है तो वह विभाग के पास जाता है। इसके बाद विभाग से उसका जवाब दिया जाता है। इसके बाद आडिट रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो मंत्री जी उसको सही मानते हैं या अपनी सूचना को सही मानते हैं

श्री राम सागर--

अगर कोई आडिट आब्जेक्शन हुआ है तो हम उसको सही मानते हैं। लेकिन वह क्या है, उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। जो सूचना हमारे पास है उसके आधार पर मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जब आडिट होता है तो स्पष्टीकरण देने के लिये विभाग के पास जाता है। विभाग का उत्तर आने पर रिपोर्ट छपती है और पुस्तक के रूप में वह विभाग के पास जाती है। शासन के विचार के बाद लोक लेखा समिति में उस पर विचार होता है। यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष--

वह ज्ञापन में दिया हुआ है आप उसको पढ़ लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इसी रिपोर्ट के पैरा ६५ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धन का सही उपयोग नहीं किया गया तथा योजना असफल रही।" योजना के असफल होने का मुख्य कारण यह है कि बैगरी ऐक्ट न बनने के कारण समर्थ भिखारियों को इस गृह में प्रशिक्षण हेतु भर्ती नहीं किया जा सका। इसके अन्त में लिखा है कि इस योजना को बन्द कर दिया जाय। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने दो और खोल दिये। उनके खोलने का क्या कारण है ?

श्री राम सागर--

अध्यक्ष महोदय हमने अर्ज कर दिया है कि रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। अगर उसमें खामियां हैं और माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं उसकी छानबीन करूंगा। अगर उनमें कोई गड़बड़ी पाई जायेगी तो उनको खत्म कर दिया जायेगा वरना वह चलाये जायेंगे।

(व्यवधान)

देहरादून जिला परिषद् के कर्मचारियों को महंगाई-भत्ता

*११--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के जिला परिषद् के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता १ जनवरी, १९६२ से परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान मिल रहा था उसे आयुक्त, मेरठ मण्डल ने अपने आदेश दिनांक ११ नवम्बर, १९७० द्वारा रोक दिया जिससे कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ? और उन्हें अभी तक इस कारण वेतन भी नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोटः--तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

जिला परिषद्, देहरादून में अपने कर्मचारियों, जिनमें अध्यापक सम्मिलित नहीं हैं, को दिनांक १ जनवरी, १९६२ से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य महंगाई भत्ता दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया था। आयुक्त, मेरठ मण्डल ने परिषद् के उक्त उल्लिखित आदेश को अपने आदेश, दिनांक ११ नवम्बर, १९७० द्वारा निषेध घोषित कर दिया। तदनुसार जिला परिषद् के कर्मचारियों को उनको अनुमन्य महंगाई भत्ता दर पर दिनांक १ नवम्बर, १९७० से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

जिला परिषद् कर्मचारियों ने आयुक्त के आदेशों के अनुसार ३ महीने (नवम्बर, दिसम्बर, १९७० तथा जनवरी, १९७१) में वेतन नहीं लिया लेकिन फरवरी, १९७१ में सभी कर्मचारियों ने वेतन ले लिया है।

*१२—श्री रामगोपाल सण्ड—

[६ठे बृहस्पतिवार के तां० प्र० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला नैनीताल के ग्राम आनन्दपुर व पांडेनवाड़ आदि के निवासियों द्वारा प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक २० सितम्बर, सन् १९७० ई० को जिला नैनीताल के तहसील हलद्वानी में ग्राम सभा आनन्दपुर चान्दनी चौक भगीरथ पाण्डेनवाड़ आदि के निवासियों ने शासन व उप अरण्यपाल, तराई भावर को यह विरोध पत्र भेजा था कि उनकी आबादी से मिलाते हुये वन विभाग प्लान्टेशन योजना न बनावें? यदि हां, तो इस पर विभागीय अधिकारी व शासन ने क्या कार्यवाही की?

वन मंत्री (श्री राम किंकर)—

ग्राम आनन्दपुर, चांदनी चौक भगीरथ, पाण्डेनवाड़ आदि के निवासियों का कोई पत्र दिनांक २० सितम्बर, १९७० का शासन को नहीं प्राप्त हुआ परन्तु उनका दिनांक १३ सितम्बर, १९७० का एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था कि आनन्दपुर व कमलुवागाजा बीट के जंगल का छपान व काटान कार्य हमेशा के लिए रोका जाय अन्यथा उन्हें जानवरों की चराई आदि की असुविधा होगी।

इस मामले में विचार करते हुए यह पाया गया कि चराई व अन्य सुविधाओं के लिये पर्याप्त क्षेत्र छोड़ा गया है। अतः वन रोपणों के लिए खाली की जाने वाली भूमि का छपान नहीं रोका गया।

*१४—श्री कल्यान सिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*१५—श्री नरेन्द्र सिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला गोरखपुर के श्री शिवाकांत उर्फ झिन्नू की गिरफ्तारी

*१६—श्री राम पति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना गोला जिला गोरखपुर के इंचार्ज ने शिवाकान्त उर्फ झिन्नू, पुत्र घुरपतरी, मौजा भूपगढ़ को १३ दिसम्बर, १९७० को पुलिस द्वारा बुलवा कर अपनी

हिरासत में ४ दिन रखने के बाद १६ दिसम्बर, १९७० को हवालात भेजा ? और इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने २२ दिसम्बर, १९७० को सरकार को कोई सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित आशय के एक तार की तीन प्रतियां तथा एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए। क्षेत्रीय विधायक की कोई लिखित सूचना शासन के पास नहीं है। इस मामले के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार शिवाकांत, उर्फ झिन्नू पुत्र घुरपतरी निवासी बलिया वर्तमान निवासी भूपगढ़ जिला गोरखपुर १५-१२-७० को धारा ६० आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया व १६-१२-७० को जेल भेजा गया। शिवाकांत के विरुद्ध दिनांक ३०-१२-७० को चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है जहां मुकदमा विचाराधीन है।

*१७—श्री नरेन्द्रसिंह तथा श्री शेर सिंह दानू—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वन रक्षकों को वेतन की स्वीकृति

*१८—श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या वन मन्त्री बतलावेंगे कि प्रदेश के अन्दर वन रक्षकों को सन् १९४७ के वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन-क्रम क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री राम किंकर—

सन् १९४७ के वेतन आयोग ने वन रक्षकों के लिये २५-१-३५ रु० के वेतन-क्रम की संस्तुति की थी और शासन द्वारा उनको २५-१-४० रु० का वेतन-क्रम स्वीकृत किया गया था।

जिला गोरखपुर में राजधानी-मटियारा सड़क का निर्माण

*१९—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर ब्लाक खोराबार में बनने वाली आर० एम० पी० स्कीम की सड़क राजधानी मटियारा का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायगा ? क्या इस सड़क को मंगलापुर ग्राम होते हुये झंगहा पुलिस स्टेशन पर मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मलिखान सिंह—

जनपद गोरखपुर में आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत राजधानी भटियारा सड़क विकास खंड खोराबार में स्वीकृत नहीं है। यह विकास खंड ब्रह्मपुर में स्वीकृत है। इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च, १९७२ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। इस सड़क को मंगलापुर ग्राम होते हुये झंगहा पुलिस स्टेशन पर मिलाने की कोई योजना नहीं है।

बस्ती निवासी, श्री अलताफ अहमद द्वारा पुलिस की शिकायत

*२०—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अलताफ अहमद, कलकत्ता साइकिल कम्पनी, गांधी नगर, बस्ती ने कोई शिकायती-पत्र कोतवाल तथा नायब दरोगा के विरुद्ध गृह मन्त्री, आई० जी०, उत्तर प्रदेश तथा डी० आई० जी०, गोरखपुर को दिनांक १५ नवम्बर, १९७० को दिया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री अलताफ अहमद, मालिक कलकत्ता साइकिल कम्पनी, सक्सरिया कालेज बिल्डिंग बस्ती से एक प्रार्थना-पत्र आई० जी० के यहां प्राप्त हुआ था जिसे पुलिस अधीक्षक बस्ती के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। इसकी जांच सर्किल अधिकारी तृतीय को सौंप दी गई थी। सर्किल अधिकारी द्वारा अभी इस संबंध में जांच की जा रही है तथा जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जिला गोरखपुर के थाने झंगहा, चौरीचौरा तथा खोराबार में डकैती, चोरी आदि की घटनायें

*२१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा, चौरी चौरा एवं खोराबार में मई, १९७० से २४ जनवरी, १९७१ तक कत्ल, डाके, फौजदारी, चोरी एवं ज्यादती की घटनाओं की सूचनायें क्रम से कितनी-कितनी दर्ज हुई हैं? और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८१–३८२ पर)

*२२—श्री इन्द्रलाल—

(४थे बुधवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतारांकित प्रश्न

जिला इलाहाबाद में डकैती तथा लूटने की घटनायें

१—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जुलाई, १९७० से १५ दिसम्बर, १९७० तक इलाहाबाद जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं? इनमें कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुये तथा कितने का सामान लूटा गया? पुलिस अधिकारियों ने इन डकैतियों से सम्बन्धित कितने डाकुओं को पकड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१–७–७० से १५–१२–७० तक इलाहाबाद जिले में ७१ डकैतियां पड़ने की सूचनायें विभिन्न थानों में प्राप्त हुईं। इन डकैतियों में ६ व्यक्ति मारे गये तथा ७९ घायल हुये और १,६४,६७२–७५ रु० का माल लूटा गया। इन डकैतियों के सिलसिले में पुलिस ने २७३ डकैतों को गिरफ्तार किया।

श्री आनन्द सिंह का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष—

माननीय आनन्द सिंह जी ने सूचना दी है कि वह चूंकि लोक सभा के लिए सदस्य चुन लिए गए हैं इसलिए वे त्याग-पत्र दे रहे हैं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न कोई मेरे दफ्तर में ११ बजकर १० मिनट पर दे गया। मैं यहां आ गया था इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूं। दूसरे दिन इस पर फैसला दूंगा।

विधान सभा द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

एक प्रस्ताव श्री राम विलास पांडेय जी ने दिया था। तो वह प्रस्ताव वे चाहते हैं कि आज न लिया जाय और इसको पोस्टपोन कर दिया जाय। तो अगर सब लोगों की यह राय हो तो इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यह प्रस्ताव आ ही नहीं सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसकी वैधानिकता के बारे में तो बाद में कहूंगा लेकिन यदि आज वह पोस्टपोनमेन्ट चाहते हैं तो पोस्टपोन कर दिया जाय।

(श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा तथा श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी सहमति प्रकट की।)

श्री अध्यक्ष—

विरोधी दल के नेता भी चाहते हैं इसलिए इसे पोस्टपोन किया जाता है।

सदस्यों की हस्ताक्षर पंजी में जाली हस्ताक्षर किये जाने वाले प्रश्न में की गई अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। आप मुझे बिल्कुल समय नहीं देते। मैंने परसों लिख कर दिया था। यह मैंने २० मार्च, १९७० को दिया था और आज २६ मार्च, १९७१ हो गया है। आपके यहां इतनी ढील होगी इसका मुझे कतई खयाल नहीं था। मैंने लिखकर दिया था कि हस्ताक्षर पंजिका में श्री अशफाक अहमद, माननीय सदस्य बरेली ने श्री अहमद लूत खां के हस्ताक्षर लाबी में, यह जानते हुए कि वह गलत कार्य है, किये। एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य के हस्ताक्षर किए जबकि यह यहां उपस्थित नहीं थे। वह मामला एक साल से पड़ा है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं क्या समझूं कि रेड टेपिज्म आपके यहां भी आ गया है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। उसकी जांच के लिए मैंने सी० आई० डी० को दिया था। उन्होंने यह कहा कि मैं तब इसकी जांच करूंगा जब एक सफे के ऊपर वह बहुत से हस्ताक्षर कर दें क्योंकि कोई आदमी थोड़ा टेढ़ा, हस्ताक्षर कर देता है जानबूझ कर। तो पता तब लग सकता है जब कई हस्ताक्षर करें। मैंने माननीय सदस्य से कहा कि तुम कहो कि हस्ताक्षर करें। उन्होंने इंकार किया। अब मैं सब नहीं कर सकता। आपने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि मैं उनको लाचार कर सकता हूं कि वह लिखें। तो मैंने कहा कि वह रूलिंग बता दीजिए। परसों ही आपसे बात हुई थी। आपने कहा था कि मैं बता दूंगा लेकिन अभी तक आपने नहीं बतायी। और मुझे जो कानूनी सलाह मिली है, वह यह है कि हम सदस्य को लाचार नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मुझे दिखा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह नहीं कहता कि परसों और आज के बीच में क्यों विलम्ब हुआ। मैं तो यह कहता हूं कि साल भर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो इसी मत का था कि मैं जब नहीं कर सकता उनको लिखने के लिए। तो एक साल नहीं दो साल हो जायं, मैं जब नहीं करूंगा। परसों आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई है। वह मुझे आप बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बात मेरे सामने पहले नहीं आई थी।

सदन की समितियों के चुनाव के बारे में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरी दूसरी बात यह है कि कमेटियों के चुनाव होने थे। ३१ तारीख को इनका टर्म एक्सपायर हो रहा है। उसके बारे में आपने अभी तक कोई कार्यक्रम बनाया ?

श्री अध्यक्ष—

आजकल जो परिस्थिति है उसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। अभी ३१ तारीख निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप कहियेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जब आप स्थिति का अध्ययन करेंगे तब तक स्थिति और बदल जायेगी और यह दुनियां का चक्र इसी तरह से चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

हां, दुनियां का चक्र इसी तरह से चलता रहता है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिये संकल्प

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे कमीशन की स्थापना की जाय जो यह निर्णय दे कि कौन-कौन राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता में विश्वास रखते हैं और साम्प्रदायिक दंगे-फसाद आदि कराते हैं और उक्त कमीशन की सिफारिशों पर उन पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

श्रीमन्, मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखने से पहले इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों से इस बात की क्षमा चाहता हूं कि अगर मेरे भाष के दौरान कोई बात सच्चाई की हो और किसी माननीय सदस्य को कुछ तलख या कड़वी मालूम हो तो मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी बात कहने का यह मतलब हर्गिज नहीं है कि किसी माननीय सदस्य के जज्बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

को ठेस पहुंचे, लेकिन वह सच बात कड़वी लग सकती है इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात कहने का आदी नहीं हूं। इससे पहले कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करूं, मैं आपके द्वारा सारे सदन से यह कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर दिन ब दिन बढ़ती हुई फिरकापरस्ती, चाहे वह हिन्दू फिरकापरस्ती हो और चाहे मुसलिम फिरकापरस्ती हो जिसके कारण देश के अन्दर रहने वाले ५० करोड़ हिन्दू, मुसलिम, सिक्ख, ईसाई पर तो बुरा असर पड़ता ही है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी बहुत दिक्कतें आती हैं, उसको मैं आज के युग में एक सब से बड़ी लानत समझता हूं जो फिरकापरस्ती की बदौलत पैदा हो जाती है। उसी की बुनियाद में मैं अपने इस संकल्प को आपके द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह देखना पड़ेगा कि किसी भी घटना में जाने के पहले उसके वजूहात को देखा जाय कि आखिर वजूहात क्या हैं। जब तक वजूहात में नहीं जायेंगे तो हम यह सिद्ध नहीं कर पायेंगे कि देश के अन्दर जो आज हिन्दू-मुसलिम फसादात दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं बावजूद इसके कि सभी लोग इसको बुरा समझते हैं। उसका कारण क्या है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे देश का जो कांस्टीट्यूशन है, आईन है उसमें सबसे पहले ही जो लिखा है उसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। उसको मैं सदन के समक्ष कोट करता चाहता हूं, उसमें यह लिखा हुआ है कि—

"We, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens ;

Justice : social, economic and political: Liberty of thought, expression, belief, faith and worship:

Equality of status and of opportunity; and to promote among them all, Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation",

यह हमारे कांस्टीट्यूशन का प्रिएम्बिल है और इसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं। मैंने केवल अपने भाषण की बेस बनाने के लिए इसको यहां इस वक्त कोट करना जरूरी समझा और सदन में इसके तर्जमे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं। देश के आजाद होने के बाद और पहले इस देश की आजादी की लड़ाई में, अगर हम थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएं कि किन-किन लोगों का उस लड़ाई में कंट्रीब्यूशन था तो जहां हमारे वीर सावरकर का कंट्रीब्यूशन रहा, महात्मा गांधी का रहा, रानी लक्ष्मी बाई, झांसी का रहा मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसेन अहमद मदनी का भी कंट्रीब्यूशन रहा और उनसे भी पहले मोहम्मद शाह जफर, बेगम हजरत महल, टीपू सुल्तान वगैरह का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा, इनके साथ ही साथ सरदार भगत सिंह का नाम भी लिया जायगा जिन्होंने आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के तख्ते को चूमा, नौजवान उधम सिंह और अशफाक अहमद वगैरा का भी कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब यह कि इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में इस देश के रहने वालों ने सभी ने, न हिन्दू किसी से पीछे रहे, न मुसलमान किसी से पीछे रहे, न सिख किसी से पीछे रहे और न ईसाई ही किसी से पीछे रहे, सबने ही देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और एक होड़-सी लगी थी कि हम दूसरों से ज्यादा कुरबानी दें और हंसी-खुशी के साथ मुल्क पर कुरबान हो जायें।

महात्मा गांधी की रहनुमाई में देश आजाद हुआ और उसी की बुनियाद पर हमारे इस संविधान की और जो प्रिएम्बिल मैंने पढ़ा उस की बुनियाद पड़ी। यह कांस्टीट्यूशन इसी प्रिएम्बिल के साथ कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली से पास हुआ और देश के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके लिए ऐसी चीज तैयार की गई कि जिससे किसी को कहीं भी ऐसा अहसास न हो कि मैं हिन्दू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं या इसाई हूं। सब से आखिर में नेशनल इण्टेगरेशन, सावरेन्टी और जम्हूरियत की बुनियाद इस संविधान में डाली गई थी जो इस मुल्क की आजादी की यही अहम

चीज है, रूह है और जान है। लेकिन इन २३ सालों के अन्दर इस देश के अन्दर कुछ ऐसी हवा चली शुरू से ही कि जिसका शिकार सबसे पहले वह हुए कि जिनकी तस्वीर इस सदन के अन्दर हमारे सामने लगी हुई है, और जिनको आज सारा देश राष्ट्र पिता, महात्मा गांधी के नाम से याद करता है।

आज भी इस सदन के अन्दर २ चीजों के नीचे हम बैठे हुए हैं, एक तरफ तो सदन में यह राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है और दूसरी तरफ वह सामने राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और उनके नीचे बैठकर इस सदन में इस संविधान के प्रति वफादार रहने की कसम खाकर, हलफ उठाकर हम यहां आए हैं और हमने ईमानदार रहने की कसम खाई है। लेकिन हमने देखा कि देश को आजाद कराने के बाद कुछ ऐसी ताकतें देश में पैदा हुई और होना शुरू हुई जिनकी न मालूम क्यों और किस वजह से एक नाराजगी थी और उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को शिकार बनाया जिनको हम पूज्य राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं और जिनके सहारे से और जिनकी रहनुमाई में इस मुल्क ने अपनी आजादी हासिल की थी। उसी के बाद से देश में कुछ ऐसा विचार और धारणा सी पैदा हुई कि जिसके साथ ही हिन्दू फिरकेपरस्ती, मुसलिम फिरकेपरस्ती, सिख फिरकेपरस्ती और ईसाई फिरकेपरस्ती हमारे सामने आने लगी। हम नहीं समझ सकते थे कि देश में इस तरह की ताकतों को भी कोई बल या ताकत मिल सकती है।

आज यह लोग अलग-अलग फिरकों में, अलग-अलग मजहबों के लीडरों की रहनुमाई में जनता के सामने अलग-अलग चीजें पेश करते हैं। मुल्क के सामनें पेश करना चाहते हैं, उन्होंने उस स्थिति को बनाना शुरू कर दिया जिसके अन्दर फिरकापरस्ती शुरू हो गई। नतीजा क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारे संविधान के जो आर्टिकिल १४ व १५ जिनमें राइट टु इक्वेलिटी दिए हुए हैं, जिनके द्वारा इस देश के हर नागरिक को बराबरी का हक मिलने को कहा गया है, खत्म होते चले गए। कुछ को शिकायत होती चली गई कि हमारे साथ इक्वेलिटी का व्यवहार नहीं है।

दूसरे आप संविधान के आर्टिकिल, २६ को देखें जिसमें यह कहा गया है कि हमें मजहबी अफेयर्स को मैनेज करने की आजादी है। इसके बाद आप आर्टिकिल, ३० को देखें जिसमें माइनारिटीज को हक है कि वे अपनी मर्जी के एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, इस हक की हिफाजत का इसमें वायदा किया गया है लेकिन लोगों को संदेह होने लगा है। इसके बाद आप आर्टिकिल, ३८ को देखें जिसमें दिया है कि स्टेट लोगों की तरक्की के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा लेकिन आज लोगों को इसमें थोड़ा संदेह होने लगा है। इसके बाद आप आर्टिकिल, ३४५, ३४६ व ३४७ को देखें जिसमें दिया हुआ है कि देश में और रिजनल लैंग्युएजेज क्या होंगी और क्या स्टेट और क्या प्रेसिडेन्ट के अख्तियार होंगे। हमारे संविधान के आठवें शेड्यूल में १५ जबानें दी हुई हैं। आज लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और इंसाफ नहीं हो रहा है। आज २३ वर्ष के अन्दर जब यह चीज होने लगी तो कुछ लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है।

सन् १९४७ में जब यह देश आजाद हुआ, उसके बाद इस देश के मुसलमानों ने यह सोचा और समझा कि जो कम्युनल हैं और टु नेशन थ्यौरी के मानने वाले हैं, वे पाकिस्तान को चले गय और अगर अब कोई होगा तो वह भी चला जायगा। हिन्दुस्तान के अन्दर वही रहेगा जो नेशनलिस्ट मुसलमान होगा, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कदम उठाया होगा, कुर्बानी दी होगी। १९४७ के अन्दर इसी लखनऊ के अन्दर ही एक कांफ्रेंस हुई जिसकी सदारत महमूद साहब ने की उसमें हिफजुर्रहमान साहब ने एक प्रस्ताव पास कराया कि अब मुसलमानों को सियासी रूप से कोई भी सियासी पार्टी अलग रखने की जरूरत नहीं है। जमीयत उल्माए हिन्द जो है, उसको भी तालीमी और तहरीरी कामों में लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वह मुसलमानों की जमात है लेकिन अफसोस के

[श्री रियासत हुसैन]

साथ कहना पड़ता है कि देश के अन्दर इसकी खबरें दौड़ीं तो दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी घटनायें हुयीं जिससे सबसे पहले जबलपुर में फसाद हुए, कम्यूनल राइट्स हुए, बहुत भारी नुक्सान हुआ, खासतौर पर मुसलमानों का और जब नुक्सान हुआ तो आपको याद होगा उसके बाद मौलाना हिफजुर्रहमान को यह सोचना पड़ा। पंडित नेहरू से उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने तो सन् ४७ में कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जबलपुर के अन्दर घटना हो गई। दिल्ली के अन्दर कन्वेन्शन हुआ और यह तय हुआ कि मुसलमानों को जो शिकवा शिकायत हैं, या इस तरह के फिसाद आगे न हों, इनके ऊपर विचार किया जाय और सोचा जाय। उसके बाद उम्मीद तो यह थी कि शायद जबलपुर के वाक्यात फिर नहीं दोहराए जायेंगे। लेकिन बदकिस्मती, क्योंकि दूसरी तरफ फिरकापरस्त ताकतें दम-बदम उभर रही थीं।

रांची के फिसाद, रूरकेला के फिसाद और बड़े-बड़े फिसादों को उसके बाद देखकर फिर तमाम मुसलमान जो लीडर थे, चाहे वे जमायते-उल्माए-हिन्द के थे या जमायतें-उल-इस्लाम हिन्द के थे या वे किसी कोने में काम करते थे, उन्हें यह विचार करना पड़ा कि क्या किया जाय कि यह फिसाद दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर लखनऊ में एक कांफ्रेंस मुस्लिम-मजलिसे-मुशावरत की हुई जिसमें अब्दुल सलाम और मौलाना असद मदनी भी मौजूद थे। सारे लोगों ने तय किया कि रूरकेला और रांची के जो वाक्यात हुए हैं उनके लिए क्या सूरत निकाली जाय। उसके बाद भी उम्मीद तो यह हो गई। शायद अब सरकार को और हमारे भाइयों को यह खयाल आया कि कुछ लोग रात दिन फिरकापरस्ती को हवा दे रहे हैं। और फिरकापरस्ती का हिसाब ऐसा है कि मुसलमान यह कहते हैं कि मुसलमान इकट्ठे हों लेकिन गैरमुस्लिम जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। हिन्दू जब यह कहते हैं तो वह भले इकट्ठे हों या न हों लेकिन मुस्लिम जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। यह कुछ ऐसा हिसाब कम्युनल टेंशन का या फिरकापरस्ती का है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जब रूरकेला और रांची के दंगों के बाद मुशावरत की कांफ्रेंस हुई और आल इंडिया लेविल पर कमेटी बनाई गई जो आने वाले वाक्यात को रोके और सरकार के सामने रक्खे कि ऐसे वाक्यात न हों लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता कि उसके बाद इलाहाबाद के वाक्यात हुए, भिवंडी और जलगांव में वाक्यात हुए और उसके दो नतीजे निकले।

जब वे वाकयात होते रहे तो उत्तर प्रदेश के कुछ लीडरों ने जो यह समझते थे कि मुस्लिम मशावरत के नाम से सियासी प्लेटफार्म नहीं बना सकते, मुस्लिम मजलिस के नाम से कर दिया। और जो यह समझते थे कि हम मुस्लिम मजलिस की लीडरशिप को नहीं मानेंगे उन्होंने अपना रास्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से अपना लिया जो केरल के अन्दर चल रही है। मुझे मालूम हुआ है कि मालाबार हिल्स में जहां के लोग एक अच्छी तादाद में फिशरी का काम करते हैं, वहां उन्होंने इन्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से एक दूसरी शाखा पैदा कर दी है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश के अन्दर इस तरह से एक तरफ मुस्लिम कम्युनल फोर्सेज बन गये उस सारे डिसकंटेंटमेंट्स की वजह से जो २३ साल से होते रहे, और दूसरी तरफ इसी देश के अन्दर आर० एस० एस०, शिव सेना, हिन्दू क्रान्तिकारी संगठन इत्यादि-इत्यादि नाम के कम्युनल फोर्सेज ताकत पकड़ते गये। नतीजा यह हुआ, जब किसी ने कहा कि आर० एस० एस० कोई पालिटीकल पार्टी नहीं है, लेकिन आर० एस० एस० चूंकि एक बड़ा संगठन है तो हमारी एक पालिटीकल पार्टी जनसंघ से बहुत करीब का रिश्ता जुड़ गया। हिन्दू फिरकापरस्ती और मुस्लिम फिरकापरस्ती कुछ खास वजूहात की वजह से तरक्की पाती गयी और उसके नतीजे में जगह जगह फिसाद और बलवे होते रहे। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज देश में यह हालत हो गई है कि लोग यह समझने लगे हैं कि हमको

वाइडर स्कोप के अन्दर तो जनता सम्मान नहीं देती तो छोटे स्कोप के अन्दर एक अन्य रास्ता अख्तियार करके उसे क्यों न पा लें। चूंकि उनका काम करने का दायरा थोड़ा होता है इसलिये उसमें कामयाबी भी मिल जाती है। तो यह भावना जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अगर इस को न रोका गया विचार से और अमल से तो शायद इस देश के लिये अच्छे दिन नहीं आयेंगे, बुरे दिन आयेंगे।

श्रीमन्, इस मौके पर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम लीगी भाइयों ने झंडा अपना लिया उस मुस्लिम लीग का जो आज से २३ साल पहले यहां से खत्म होकर पाकिस्तान में चली गयी। वहां उसकी क्या हालत हुई, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसे सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग मर गयी लेकिन भारत के अन्दर वही झंडा और वही मुस्लिम लीग दुबारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आड़ क्या पकड़ी जाती है कि केरल की आल इंडिया मुस्लिम लीग की यह शाखा है। तो मैं उस शाखा और केरल की मुस्लिम लीग के बारे में पूरे सदन से कहना चाहता हूं और खास तौर से इधर के बैठने वालों से कहना चाहता हूं क्योंकि आज उनके यहां प्लान बन रहे हैं कि कल नहीं तो परसों बड़ी जल्दी वह ट्रेजरी बेन्चेज पर जाकर बैठेंगे और प्रदेश का शासन सम्हालेंगे। इसलिये उनसे खास तौर से कहना चाहता हूं। २३ सितम्बर, १९७० को प्राइम मिनिस्टर, इन्दिरा गांधी ने अहमदाबाद की एक प्रेस कांफ्रेन्स में क्या कहा। किसी ने उनसे सवाल किया कि केरल की मुस्लिम लीग के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा "केरल में जो मुस्लिम लीग है वह मुल्क के दूसरे हिस्से की मुस्लिम लीग से मुख्तलिफ है। केरल में मुस्लिम लीग का रोल फिरकेवाराना नहीं लेकिन दूसरी रियासतों में हैं।" ये प्राइम मिनिस्टर के शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि उनका नाम यहां पर न आता तो अच्छा था। बात यह है कि उस वक्त चुनाव हो रहा था। उनके शब्दों को आप न कहें। नहीं तो दूसरे लोग भी उस पर कहेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

उन्होंने जो कहा है, मैं तो सिर्फ उनके शब्द कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव के वक्त कहा था। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि दूसरे लोग भी बोलेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने कहा कि उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था। क्या वह जो चुनाव के वक्त कहते हैं उसको न माना जाय?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यह कह रहा हूं कि आप नाम लेकर न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रियासत हुसैन—

मैं प्राइम मिनिस्टर कहता हूं।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

उन्होंने तो २३ सितम्बर को कहा है और लोक सभा तो उसके बहुत बाद में डिजाल्व हुई है। उससे उसका क्या वास्ता?

श्री रियासत हुसैन---

जो शब्द उन्होंने कहे हैं, उन्हीं को मैं कोट कर रहा था।

श्री अध्यक्ष---

मुस्लिम लीग के खिलाफ आप कह रहे थे और उसके बाद आप ने केरल के बारे में कह दिया। यह दोनों बातें तो एक दूसरे के कन्ट्रोवर्शल पड़ती हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मुझे केरल मुस्लिम लीग से कुछ नहीं लेना है और मेरा तो उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध है। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स में यह कहा था।

श्री अध्यक्ष---

आपको २० मिनट हो चुके हैं और अब आप केवल ५ मिनट ही और बोल सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

उन्होंने इस बात का इन्डीकेशन दिया था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो फिरकापरस्त जमातें उनके बारे में उन्होंने कहा था कि केरल की मुस्लिम लीग और दूसरे प्रदेशों की मुस्लिम लीग में फर्क है। वहां की जमात फिरकापरस्त नहीं है।

इसी के साथ मैं अपने जिले मुरादाबाद के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध माननीय गृह मंत्री जी से होता है। २६ सितम्बर, १९७० को मुस्लिम लीग के सदर डा० शमीम अहमद जो पहले मेरठ के रहने वाले थे परन्तु अब मुरादाबाद में ही बस गये हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर मुस्लिम लीग की ३५ जमातें बन चुकी ह जिसके २५ हजार सदस्य हैं। अकेले मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही १३ कमेटियां बना दी गई हैं और उसके ५,००० मेम्बर्स हो चुके हैं और अकेले शहर मुरादाबाद में ही मुस्लिम लीग के ३,००० मेम्बर्स हैं। इस विषय में आपकी जो पुलिस है, अथवा सी० आई० डी० का संगठन है, उसने गृह मंत्री जी को इसकी सूचना दी होगी परन्तु यह मालूम होता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है या तो इसको इतना अहम नहीं समझा गया कि इन एलीमेन्टस् पर ध्यान दिया जाता। जब एलेक्शन आ गया तो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से वह सभी कुछ कहा गया जो एक सावरेन रिपब्लिक मुल्क के अन्दर किसी भी सूरत में नहीं कहा और किया जाना चाहिये था और उसी का नतीजा हुआ कि मुरादाबाद शहर में १०, १२ दिन करफ्यू रहा जो अब रात का रह गया है। उसमें न जाने कितने आदमी मारे गये और न मालूम कितने आदमियों का कितना नुक्सान हुआ।

जब हम देखते हैं कि अलीगढ़ में झगड़ा हुआ, पीलीभीत में झगड़ा हुआ, बरेली में झगड़ा हुआ, बदायूं में झगड़ा हुआ और एलेक्शन के दौरान इलाहाबाद में भी झगड़ा हुआ, पता नहीं वहां के कंडिडेट की जमानत जब्त हुई या नहीं, लेकिन ये सारी चीजें---इलेक्शन के जमाने में पब्लिक प्लेटफार्म का इस्तेमाल करना चन्द फिरकापरस्त लीडरों ने अपनी रहनुमाई के लिये जरूरी समझा। पोलिटिक्स के अन्दर हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सबके बीच यह काम किया गया। तो एक पार्टिक्यूलर फिरका चाहे मुसलमान का हो चाहे हिन्दुओं का हो, चाहे सिक्खों का हो, उसके अन्दर कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाय और उसके बाद वह अपनी लीडरी की खातिर इस तरह से गलत काम करे जिसका असर बुरा हो तो इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। शायद वह भी बन्द कमरे में सोचता होगा तो खुद इस पर पछताता होगा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये। तो एक बात कह कर मैं खासतौर से गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि अगर इन सारी चीजों के अन्दर हम लोग न गये तो कहीं ऐसा न हो कि ये फिरकापरस्त ताकतें---चाहे वे हिन्दू फिरकापरस्त हों, चाहे मुस्लिम फिरकापरस्त हों, जबकि कांस्टीट्यूशन के अन्दर हमने कसम खायी है कि यहां गरीबी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, रहने के लिये

जमीन देंगे, पीने के लिये पानी का प्रबन्ध करेंगे और जिसके लिये प्लान भी बना हुआ है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाया गया है, उन पर ये सारी ताकतें हावी हो जायं और फिर हम प्रदेश की तरक्की कुछ न कर पावें ।

इसलिये यह जरूरी है कि एक प्रकार से जो सरकार इस वक्त ताकत में है या कल जो दूसरी ताकत आने वाली है, उन सब को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको सोचना पड़ेगा कि इन २३ साल के अन्दर जो माइनारिटी कम्युनिटीज चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिक्खों की हो, चाहे ईसाइयों की हो उन सब के अन्दर जो डिस्कंटेंट है वह क्यों है और उनको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गयी है ? कुछ मुट्ठी भर लोग साम्प्रदायिकता की हवा देकर, और उसका फायदा उठा कर अपनी लीडरी कायम करना चाहते हैं और उसके जरिये से सब को एक्सप्लायट करने की कोशिश करते हैं । इस बात पर सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजें दूर हों । अगर कहीं पर दंगे फसाद की वजह से इतना बड़ा नुक्सान हो जाय हिन्दुओं का, मुसलमानों का तो सबके साथ मिल कर हमें सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि उन पर जो जुर्माना हो, वह क्या हो, क्या दंड दिया जाय और किस तरह से उसका निबटारा किया जाय । क्योंकि मैं समझता हूं कि फिरकापरस्ती के बढ़ने का आखिरी हल्ल कहीं ऐसा न हो कि ये फिरकापरस्त और मजहबी ताकतें राष्ट्र विरोधी ताकतें हो जायं । फिरकापरस्ती की बात फिर लखनऊ तक ही महदूद न रहेगी बल्कि इन सारी चीजों का असर उस जमाने पर जाकर पड़ेगा । इसलिये मेरा यह जो प्रस्ताव है उसको तमाम माननीय सदस्य एक राय से पारित कर दें कि एक कमीशन की नियुक्ति हो जो प्रदेश के अन्दर जाय और इस बात का पता लगावे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर माइनारिटीज को तसल्ली न हो पायी, उसके एक पूरे तरीके पर रिपोर्ट बनावे कि किस तरह से इन फिरकापरस्त लोगों को रोका जाय और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय । फिर उन सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को कदम उठाना चाहिये और जितनी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हों जो फिरकापरस्त हों, उन पर पाबन्दी लगादे ताकि देश की आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुये उनकी रूह को शान्ति मिल सके । सही माने में आप उन शहीदों की रूह को तभी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे जबकि आप एक राय से मेरे इस संकल्प को पास कर दें ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रियासत साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल इंटीगरेशन कौंसिल, जो माननीया इन्दिरा गांधी ने बनायी है उसका एक छोटा रूप उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की बात उठायी है । यह राम कृष्ण का देश है, यहां सूर और तुलसी हुये हैं और यहां किदवई और टंडन जी जैसे व्यक्तित्व तप रहे हैं । उन्होंने इस प्रस्ताव को रखकर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है । मैं भी एक मजदूर हूं और मजदूरों के बीच में काम करता हूं । मैं उनसे पूछना चाहूंगा . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल नहीं पूछ सकते, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह भी कहने का एक ढंग है । वह जबाव नहीं चाहते ।

श्री रामगोपाल संड—

मैं कह रहा था कि सदन में यह संकल्प रख कर रियासत साहब ने एक राष्ट्रीय कार्य किया है । हमारे भाई, गोविन्द सिंह जी भी खड़े हुये थे । मैं उनसे भी चाहूंगा कि वह भी मर तर्कों का उत्तर दें । सन ४७ में जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों ने यह फैसला किया कि कोई राजनीतिक समिति नहीं बनायी जायेगी जो कि केवल मुसलमानों या ईसाइयों के लिये काम

[श्री रामगोपाल संड]

करे। मान्यवर, स्व० श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिन्दू महासभा के अन्दर थे। लेकिन उसमें यह था कि मुसलमान ईसाई उसके अन्दर नहीं आ सकता तो उन्होंने इस बात पर महासभा को छोड़ दिया। सन् १९५१ में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। १४, २५, २६, ३८, ३३८, ३४७ का हवाला दिया गया तो जनसंघ इन सभी धाराओं का आदर करता है। साम्प्रदायिकता की बात है। मैं नाम लूंगा तो बहन वाजपेयी जी बुरा मान जायेंगी। कांग्रेस के द्वारा कुछ भूलें हुईं। पूज्य गांधी जी का कहना नहीं माना गया। देश का बंटवारा हो गया। हम भी उन नौजवानों में हैं जो ४२ में जेल गये थे। और बा के कहने पर जेल गये थे यह समझकर कि किदवई और बादशाह खां का स्वप्न पूरा होगा, बंगाल अलग नहीं होगा। देश के अन्दर जब आजादी होगी तो गरीब भाई, मुसलमान या ईसाई सभी शासन करेंगे।

मैं उधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, एक अध्यापक होने के नाते, कि साम्प्रदायिकता को किसने जीवित किया है? आप अध्यक्ष महोदय, मुझसे सहमत होंगे, आपने भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, आजादी के बाद और बंटवारा होने के बाद मुसलमानों ने फैसला किया कि राजनीतिक विंग नहीं बनायेंगे। मैं सन् ५२ से अपने दल का सिपाही रहा हूं। मैंने काफी भ्रमण किया है और दूसरे सूबों में भी गया हूं। बराबर कांग्रेस मुसलमान भाइयों से कहती थी कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। ५२ और ५७ में यह नारा लगाया गया और ५२ तथा ५७ में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिये। हमने अपने दरवाजे सदैव खुले रखे। तातारी साहब जो यहां विधान परिषद् के सदस्य थे, जनसंघ के थे और जनसंघ ने रहमान साहब को खड़ा किया जिनको काश्मीर में एक दो वोट नहीं, साठ हजार वोट मिले।

हम बड़ी गलती में पड़े हुये हैं। श्री रियासत हुसैन मुरादाबाद में इलेक्शन में खड़े हुये जहां पर कि श्री वीरेन्द्र अग्रवाल भी खड़े थे। मैं भी मुरादाबाद में सभाओं में बोलने के लिये गया मगर मुझे वहां पर कुछ बातों को देख कर बड़ी हैरत हुई। इलाहाबाद मुस्लिम लीग के सदर, श्री छोटे मियां ने इलाहाबाद में उस समय, जबकि स्वर्गीय मोहम्मद अली जिन्नाह पधारे थे, एक नारा लगाया था : हंस कर लेंगे पाकिस्तान। उस समय स्वर्गीय पुरषोत्तम दास जी टण्डन विधान सभा के स्पीकर थे। श्री छोटे मियां साहब के घर पर स्वर्गीय जिन्नाह साहब ठहरे थे। उन्हीं छोटे मियां साहब को कांग्रेस ने टिकट दिया, कहां से? मुरादाबाद से। कांग्रेस को मुरादाबाद में कोई भी राष्ट्रीय मुसलमान नहीं मिला था उस समय वर्ना श्री छोटे मियां साहब को क्यों टिकट देते। मैं श्री बहुगुणा साहब को क्या कहूं, इनके लिये सीट छोड़ कर साम्प्रदायिक समझौता किया गया। यह केवल मरादाबाद में ही नहीं हुआ, बल्कि उन्नाव व इलाहाबाद के अन्दर भी हुआ तथा और भी बहुत से स्थानों पर हुआ। मैं अपनी इलाहाबाद की बहन जी से क्या कहूं, मैं उनका नाम बड़े आदर के साथ लेता हूं, उन्होंने कुछ अच्छे काम किये होंगे, मगर जब वे कांग्रेस की सदर थीं तो उन्होंने केरल की मुस्लिम लीग को एक सर्टीफिकेट दिया था कि केरल की मुस्लिम लीग एक राष्ट्रीय जमात है। जनाब मोहम्मद साहब केरल से मुस्लिम लीग के टिकट पर चुन कर लोक सभा में आये हैं। अक्तूबर, १९७० के बम्बई सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से पूछा गया कि बिहार और दूसरे प्रदेशों की मुस्लिम लीग क्या है। मैं श्री रियासत हुसैन साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, जब मैं चुनाव के दौरान कानपुर गया था तो वहां लीग के सदर भी पधारे थे। रात के बारह बजे श्री बाबू राम शुक्ल कानपुर रलव स्टशन पर मुझे लेने आये थे। उस वक्त कानपुर स्टेशन पर वही नजरिया था जैसा कि सन् १९४७ में था। वही नारे लगाये जा रहे थे "अल्लाह हो अकबर, नारा-ए तकबीर," जिनको कि मैं जब पढ़ता था, पढ़ा करता था। नारों को सुनकर, श्री बाबू राम शुक्ल रुक गये। वहां पर उनकी तकरीर हुई। रियासत भाई ने ठीक ही कहा कि कोई भी हिन्दू यह नहीं चाहता कि कोई नेक मुसलमान सताया जाये और इसी

प्रकार कोई मुसलमान यह नहीं चाहता कि किसी नेक हिन्दू को सताया जाये। उसी कानपुर में वह तकरीर हुई जहां से कि चुनकर बाजपेयी जी भी आते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या मैं कानपुर में हूं या लाहौर और करांची में हूं। उसी प्रकार के नारे बरेली, बनारस और इलाहाबाद में भी लगाये गये। मुझे उस नारे के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं तो केवल अपने उन भाईयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते हैं, जनसंघ में काम करते हैं और रूलिंग कांग्रेस में काम करते हैं।

मैं श्री रियासत हुसैन साहब से पूछना चाहता हूं कि उनको कितने वोट मिले? मैं यह बात रिकार्ड पर नहीं लाना चाहता हूं। हमारे जनसंघ के श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल चुनाव में लड़े थे। श्री रियासत हुसैन साहब को ७–८ हजार वोट मिले जबकि मुस्लिम मजलिस को ७२,००० मिले। श्रीमती इन्दिरा गांधी न कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया और उस समझौते के कारण उनको २३ सीटें मिलीं। वास्तव में ये केवल दो ही सीट जीत कर आये हैं चाहे पाण्डे साहब हों, इशाक संभली हों और चाहे विजय पाल सिंह हों। श्रीमती इंदिरा गांधी को नैतिक साहस होना चाहिये था। वे नैकितकता की बात करते हैं कि श्री त्रिभुवन नारायण सिंह को इस्तीफा देना चाहिये। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहना चाहता हूं कि हमने संसोपा, स्वतंत्र पार्टी तथा संगठन कांग्रेस से समझौता डंके की चोट पर किया था। आप केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, साम्यवादी दल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग का वही चहरा था जैसा कि सन् १९४७ में था जिसके कारण १ करोड़ हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से निकाले गये थे और १ करोड़ मुसलमान भाई इधर से उधर गये। यह अच्छी बात नहीं थी। मगर जब यह जहर बढ़ाया जायेगा तो उसका परिणाम क्या होगा?

अभी इलाहाबाद में नगरमहापालिका के चुनाव हुये, क्या नतीजे सामने आये? जनसंघ की संख्या घट कर ६ रह गयी, बहिन राजेन्द्र कुमारी जी की पार्टी की संख्या घट गयी, बढ़ी किनकी? मुस्लिम मजलिस वाले जीत कर १५ आ गये, हिन्दू महासभा वाले भी आगये। आप जनसंघ के लिये कहते हैं, जनसंघ एक राष्ट्रीय पार्टी है। हिन्द महासभा कहती है मुसलमान हिन्दुस्तान से चले जायें। मगर जनसंघ के दरवाजे सभी के लिये खुले हैं---चाहे मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हों, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। मैं स्वयं ४ यूनियनों का अध्यक्ष हूं। हमारे साथ कार्य करने वाले कई साथी मुसलमान हैं जो चुनाव में हमारे लिये काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हिन्दू मुसलमान कोई लड़ना नहीं चाहता, मगर उधर बैठने वाले यह आप ही लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में, जगह-जगह कहते फिरते हैं कि जनसंघ अगर जीत गया, संगठन कांग्रेस अगर जीत गयी, संसोपा अगर जीत गयी तो मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। यह आपकी पार्टी है जो मुस्लिम मजलिस आदि पार्टियों से समझौता करती है। मुसलमानों में यह डर पैदा किया गया कि हम लोग अगर जीत गये तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा।

हमारे भाई रियासत हुसैन साहब ने कितने वोट पाये---७०००। इतने कम वोट इसलिये पाये कि एक जहर बोया गया..... (व्यवधान) आपका बहुमत हो गया है, हम यह मानते हैं, मगर आप जो आज मिस्टर जिन्ना आदि का भू फिर से जगाने जा रहे हैं उसका परिणाम देश के लिये बड़ा ही घातक होगा। आपने कहा कि उर्दू राष्ट्रीय भाषा बनेगी। हम उर्दू को एक भाषा मानते हैं, उसका आदर करते हैं, रहीम और रसखान का सभी आदर करते हैं, हर हिन्दू और मुसलमान आदर करता है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन में, और नागरी प्रचारिणी सभा के मंच से बोलते हुये पं० कमलापति त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि उर्दू एक भाषा है, उसका हमें आदर करना चाहिये, किन्तु उसे देवनागरी भाषा में लिखा जाना चाहिये। उर्दू को हिन्दी की देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिये। आपके देश के बड़े–बड़े पत्रकार, साहित्यकार और नता कहते हैं इसी बात को। यह राम और रहीम की भूमि है, हिन्दी ही यहां की सदा से

[श्री रामगोपाल संड]

भाषा रही है। आज मुस्लिम लीग का भूत जगाकर, लीग को राष्ट्रीय मान्यता देकर आप देश के अन्दर एक दोमुहा सांप खड़ा कर रहे हैं जिससे देश को बड़ा ही नुकसान पहुंचेगा।

मान्यवर, मेरे यहां इलाहाबाद से ३ चुनाव क्षेत्र हैं जिनमें एक से बहिन राजेन्द्र कुमारी जी आयी हैं, एक से मैं आया हूं और एक से हबीब साहब आये हैं। इन हबीब साहब ने सभाओं में क्या नारे लगाये---इन्होंने नारे लगाये---मुस्लिम हरिजन भाई-भाई---हिन्दू कौम कहां से आयी।

(व्यवधान)

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)---

छोटे मियां का जो इन्होंने जिक्र किया है, छोटे मियां नगर महापालिका के चेयरमैन थे, उसके सदस्य रह चुके थे, लेकिन उनको बनाया किसने था? आपही ने तो उनको बनाया था, आप यह क्यों भूल जाते हैं?

(व्यवधान)

(श्री हबीब अहमद व श्री रामगोपाल संड देर तक साथ साथ बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल सण्ड---

अध्यक्ष महोदय, इनको आप बैठाइये, यह तो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर कोई व्यक्तिगत हमला हो, यह दुःख की बात है।

श्री राम गोपाल सण्ड---

श्री एन० जी० गोरे और स्व० नाथपाई जी भी मजदूरों के नेता थे। यह मेरा सौभाग्य था कि वे हमारे यहां समय-समय पर चाय पीने आया करते थे। इन लोगों ने श्रीनगर में एक मसला उठाया था, और जिसे अटलबिहारी बाजपेई और राष्ट्रीय नेता, भाई महावीर जी ने उठाया था कि साम्प्रदायिकता की परिभाषा होनी चाहिये। उन्होंने इस बारे में एक किताब भी छपवाई थी। मैं कहता हूं, हमारा दल कहता है और सभी राष्ट्रीय विचाराधारा के लोग कह रहे हैं इस विषय पर विचार होना चाहिये, साम्प्रदायिकता की परिभाषा हो जाना चाहिये। लेकिन आजतक इनकी सरकार ने, इन्दिरा सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। सदा टालती रही है और इसको सदा टालती रहेगी, क्योंकि इसमें इनका स्वार्थ है। साम्यवादी दल, जो इनके साथ है उसने भी इस बात को नहीं माना है। अशोक मेहता साहब ने भी, जो संगठन कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं---माना है और संसोपा, प्रसोपा आदि सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसे माना है और यह कहा है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है जो अटलबिहारी जी ने रखा है कि साम्प्रदायिकता की व्याख्या होनी चाहिये। जो दल साम्प्रदायिक दल हैं, चाहे वे जो भी दल है---डा० संजीवय्या वाली कांग्रेस हो, भारतीय जनसंघ हो, मुस्लिम मजलिश या मुस्लिम लीग हो या साम्यवादी दल हो जो मुसलमानों से समझौता करके, उनकी भावना को भड़का कर, समाज में हिंसा फैलाते हैं, दूषित मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं और भाई भाई के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं, उनको कठोर दंड मिलना चाहिये। इसमें कोई रियायत या टालमटोल नहीं होना चाहिये।

आप हमें साम्प्रदायिक कह कर बदनाम करना चाहते हैं, लेकिम हम तो केवल उस पुरानी कांग्रेस के सपने को साकार करना चाहते हैं, जिसने यह माना है कि यहां पर हिन्दू मुसलमान परस्पर भाई-भाई हैं, राष्ट्र के समान अंग हैं, यहां की संस्कृति एक है, उसके लिये सूर और तुलसी, रसखान और रहीम समान रूप से पूजनीय हैं। देश की आजादी क लिये यदि नाना जी पेशवा लड़े तो दूसरी ओर दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह ने भी देश की आजादी के लिये जंग किया था, हम किसी को नहीं भूल सकते हैं, सबके प्रति हमारे दिलों में आदर है। रूहेलखंड में जहां इनका जोर बढ़ रहा है, वहां के आदरणीय मुसलमान लड़े थे। आज भी हमारे दिल में रफी अहमद किदवाई के प्रति अगाध श्रद्धा है, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये जीवन भर कार्य किया था, उनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, उनकी मजार पर हमारे नेता, स्वर्गीय दीन-दयाल जी २४ घंटे रोये थे और मैं भी उनके साथ था।

तो मैं आप से निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक ऐसी समिति बनायें जो इस बात की जांच करे, उसमें प्रेमचन्द्र जी हों, रियासत हुसैन साहब हों, और माधव बाबू हों, जो इस बात का फैसला दें कि साम्प्रदायिकता क्या है? और साम्प्रदायिक कौन है? साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन पिछले २३ सालों से किसने दिया है? मैं एक महत्व की बात और कहना चाहता हूं। आज तक हिन्दुस्तान में २३ बड़े दंगे हुये हैं, उसके बारे में बड़े दुःख से कहूंगा कि २२ जगह दंगे दुर्भाव से मुसलमानों ने शुरू किये। यह मैं नहीं कहता हूं, एक विद्वान न्यायाधीश की रिपोर्ट कहती है। अध्यक्ष महोदय आप कहेंगे तो मैं उसकी रिपोर्ट आपको लाकर दिखा दूंगा, जो संसद के सामने पेश की गई थी। उसका जबाव कांग्रेस को राष्ट्रीय मुसलमानों को देते नहीं बना। इस देश के गरीब किसान, मजदूर, बाबू, हरिजन को नई रोशनी चाहिये। किन्तु इनकी सरकार केवल इनके लिये नारे लगाती है, कोई कार्य नहीं करती है। जिसके कारण आज देश कगार पर खड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं रियासत साहब के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये मांग करूंगा कि साम्प्रदायिकता क्या है इसकी परिभाषा की जाय और कमेटी बैठायी जाय। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपके जरिये से एक अपील करना चाता हूं कि जो प्रस्ताव है इसकी भावना शुद्ध है। उसी लाइट में इस पर बहस होनी चाहिये। कोई उसके कारण बाहर की चीज शामिल कर दी जाय जिसका इसमें नाम नहीं है, इसमें कुछ कटुता पैदा हो, यह अच्छा नहीं होगा। इसलिये वो बहस करें चाहे कोई भी व्यक्ति हो इसकी भावना का आदर करते हुये, उस तरह से बहस करें। इसलिये मैं खड़ा हुआ हूं कि आप लोगों से अपील करूं।

*श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री, पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक क्षणिक हस्तक्षेप करके वादविवाद में, यह प्रयास किया है इस डिबेट को ऊंचा उठाने का। मैं भी इस आदरणीय सदन से यह आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव पर ऊंचाई से विचार करने की कृपा करें।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके दो अंग हैं। पहला अंग यह है कि इस देश में जो भी साम्प्रदायिक तत्व हैं, जो साम्प्रदायिक विष दमन करते हैं, उसको जानने के लिये, उसको देखने के लिये, यहां पर एक कमीशन की स्थापना होनी चाहिये। दूसरा जुज उनके प्रस्ताव का यह है कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो २ साम्प्रदायिक तत्व सामने आयें उन साम्प्रदायिक तत्वों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए इस सरकार द्वारा। माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

रियासत साहब की भावना जो इस प्रस्ताव से परिलक्षित होती है, उसका स्वागत करता हूं और उनकी राष्ट्रीयता की जो भावना है, जोकि उससे दृष्टिगोचर होती है, उसका पूर्णरूप से सम्मान करते हुये, मैं अपने को असम्भव पा रहा हूं कि मैं उस प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध कर दूं। मान्यवर, उसके कारण हैं। उन कारणों को आदरणीय सदन के समक्ष रखने के लिये ही यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, यदि हम अधिक नहीं तो भारतवर्ष के ४०–५० वर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात करें और भारतवर्ष में कौन-कौन से तत्व किस समय आये और संघर्ष किया और भारतवर्ष का राष्ट्रीयता संग्राम चाहे वह हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक, किन दिशाओं से चला है और स्वतंत्रता के संग्राम में कौन सी बाधायें आयी हैं, कि उन्होंने बाधायें डालीं, उसपर अगर हम दृष्टिपात करें, तो हमको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि वह तत्व कौन से हैं जो कि साम्प्रदायिक रहे हैं, जिन्होंने हमारी राजनीति, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को विश्रृंखल किया है। उसके लिये हम को किसी कमीशन की आवश्यकता नहीं है।

वह स्वतः दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं। उनको दूरबीन से देखने की आवश्यकता नहीं है। नंगी आंखों से उन साम्प्रदायिक तत्वों को हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता का संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था और सर्वसाधारण उनके पीछे चल पड़े थे लेकिन देश की आजादी में रोड़ा अटकाने के लिय, देश की एकता को भंग करने के लिये जिन्होंने नारा लगाया था, उन तत्वों को भी हम जानते हैं। देश में सैपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिये इसकी मांग की गयी थी। हिन्दुओं के लिये अलग मुसलमानों के लिये अलग और जिन्होंने देश के पिछले ५० वर्ष के इतिहास का अध्ययन किया है वे इस बात को भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सैपरेट इलेक्टोरेट की मांग के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवर्ष में क्या हुआ था और जो हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? हम जानते हैं कि अंग्रेजों साम्राज्यवाद की एक नीति थी विभाजन करो और राज्य करो। उस नीति का समर्थन करने वाले, उस नीति को चरितार्थ करने वाले विलायत से नहीं आये थे। उन आदमियों को किसी कारखाने में नहीं गढ़ा गया था बल्कि इस देश की जमीन में पैदा होने वाले वे यहीं के नागरिक थे जिन्होंने अंग्रेजों की उस नीति को सार्थक किया, उसे अमली जामा पहनाया और अंग्रेज ने जो जहर का पेड़ यहां लगाया वह फला? फूल और उससे जहरीले फल निकले। वे तत्व कौन थे जिन्होंने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का नारा लगाया? हिन्दुस्तान बट कर रहेगा, पाकिस्तान लेकर रहेंगे, उन्होंने यह नारा लगाया।

उसके परिणामस्वरूप इस देश का विभाजन हुआ और इस देश के दो टुकड़े हो गये। ऐसा नहीं है मैं रियासत हुसैन जी से कहना चाहता हूं कि हमको मालूम नहीं है कि इस देश में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको हम साम्प्रदायिक कह सकते हैं, कम्युनल कह सकते हैं, जो इस देश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकता को नष्ट---भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। हम जानते हैं वे कौन हैं। लेकिन मेरा अर्थ यह कदापि नहीं है और इसमें जनसंघ के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं से और उनके दृष्टिकोण से मेरा तीव्र मतभेद है कि एक साम्प्रदायिकी जाति, ५–७ करोड़ की जाति को हम ब्रान्ड कर दें कि यह साम्प्रदायिक है। जिस समय मुहम्मद अली जिन्ना का बिगुल बजा था और मजबूत से मजबूत मुसलमान का साहस नहीं था कि जिन्ना का विरोध कर सके, उनका मुकाबला कर सके और उनको चुनौती दे, उस समय भी जिन्ना साहब की विषैली साम्प्रदायिक आंधी के खिलाफ फ्रान्टियर प्राविन्सेज में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में लाखों खुदाई खिदमतगार निकल पड़े थे जिन्होंने दो राष्ट्र की थ्योरी को चैलेंज किया। इसी तरह देशभक्त और राष्ट्रीय मुसलमानों में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई के नेतृत्व में हजारों लाखों मुसलमानों ने देश की आजादी में योगदान दिया। और हमारे इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने में अगुवा रहे। मान्यवर, मेरा जनसंघ से तीव्र मतभेद है, जनसंघ के नेताओं से मतभेद हैं जो कि

वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रछन्न रूप से यह कहते हैं कि पूरी की पूरी कौम का भारतीयकरण होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि किसका भारतीयकरण होना चाहिये, जिन्होंने कि भारत को अपनी मां समझा।

एक सदस्य—

भारतीयकरण किसे कहते हैं, माननीय सदस्य बता दें।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मान्यवर, मुझे खुशी होगी यदि मेरे माननीय नौजवान साथी मेरी इस उम्र में भी मेरे उस्ताद बन सकें तो मैं उनका शागिर्द बनने को तैयार हूं और वे मुझे समझा दें कि भारतीयकरण का क्या मतलब है।

श्री मैनेजर सिंह—

आप जैसे बूढ़ों को कौन शागिर्द बना लेगा....

श्री कृष्ण चन्द्र—

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कोर्ट आफ ला में, किसी भी अदालत में अगर इस बात को रखा जाय कि भारतीयकरण के नारे के पीछे क्या मंशा है तो मैं मान सकता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी एक बड़े अच्छे वकील हैं और कतराकर बचकर निकल जायेंगे कि भारतीयकरण का क्या अर्थ है। भारतीयकरण का वह अर्थ नहीं है जो समझा जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीयकरण का सही अर्थ हमने समझा है। इसलिये आज के सन्दर्भ में भारतीयकरण के नारे में उसके उद्देश्य और अर्थ में संशोधन करने की आवश्यकता है .... (व्यवधान) मुझे कहने दें। उसके बाद आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूं। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो कुछ जिन्ना साहब ने और मुस्लिम मजलिश ने उस समय किया उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि एक सम्पूर्ण की सम्पूर्ण जाति को जिनमें से हजारों लाखों नागरिकों ने इस देश के भविष्य के प्रति और देश के भाग्य के प्रति पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हुये भारतवर्ष की आजादी में योगदान किया, उस कौम को, उस जाति को एक राजनीतिक संस्था भारतीयकरण की बात कह कर ब्रान्ड कर दे जिस प्रकार कि जर्मनी में यहूदियों की बना दी गई थी, उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं। यहीं पर मेरा जनसंघ और उसके नेताओं से मतभेद है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आज कहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना की वह विचारधारा, वह आइडियोलाजी और वह दृष्टिकोण नजर आती है तो वह एलीमेन्ट इस देश के लिये एक खतरा है। हमें ऐसे एलीमेन्ट को देश से नेस्तोनाबद कर देना चाहिये। यदि इसकी आड़ लेकर हम सारी की सारी कौम को ध्वस्त कर देना चाहते हैं तो मान्यवर, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों जिनमें राजनीतिक भावना प्रबल है जो राजनीति के भविष्य में विश्वास करते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि प्रदेश के नागरिकों का भाग्य आबोध है, जो प्रदेश में साम्प्रदायिक एकता कायम रखते हुए प्रदेश के ५५ करोड़ व्यक्तियों को एक साथ मिला कर और हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और प्रदेश के भाग्य और उसके भविष्य पर निर्भर करते हैं। तो इन सारी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विरोध करेंगे लोग सारी जाति को यहूदी बनाने में। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था, माननीय रियासत हुसैन जी के प्रस्ताव के संबंध में, कि हम जानते हैं कि कौन हैं ऐसे तत्व जोकि मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी में अब भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्वास करते हैं। वह आज हमारे और आपके सामने आ गये हैं इस चुनाव में, (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं थोड़ा और समय चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

५ मिनिट और ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

हम यह भी जानते हैं कि कौन से ऐसे खयाल और विचारधारा, दिलोदिमाग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी । हम देख रहे हैं, हत्यारों के हाथ में जो पिस्तोल है उसको भी देख रहे ह और जिन्होंने पिस्तौल दी थी उसको भी, आज वह मौजूद हैं । कोई इसमें कमीशन की बात नहीं है । गांधी मर्डर ट्रायल इतना बड़ा भारी ट्रायल हो गया, उसमें तय हो गया-साबित हुआ हो, या नहीं, कि वह कौन हैं, सांप्रदायिक तत्व जो जिम्मेदार हैं महात्मा गांधी की हत्या के, वह सब आज मौजूद हैं (एक आवाज---नई कांग्रेस) उनको मुबारकबाद दीजिये जिनके साथ गठबन्धन किये हुए हो, वहीं हैं जिम्मेदार । आज वह आखों से ओझल नहीं हैं, परदे में छिपे नहीं हैं ।

दूसरा जुज यह है कि इसका माननीय रियासत हुसैन ने कहा कि कमीशन बैठालने के बाद प्रतिबन्ध लगाया जाय । मान्यवर, संभव है प्रतिबन्ध कारगर हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इसका राजनीतिक मोर्चे पर मुकाबला किया जाय, इसका सरकारी स्तर पर मुकबाला न किया जाय । पिछला चुनाव हमको सबक देता है, भले ही हमारे दोस्त लोग न मानें, कि यह चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी को मैंडेट दे देता है कि देश की हुकुमत चलाने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए वह क्रान्तिकारी कदम उठायें और राष्ट्र के उनपर पूर्ण विश्वास प्रकट किया है इन चुनावों के द्वारा वह माने तो ठीक है, इसमें उनका कल्याण है जो इधर बैठे हैं, और नहीं माने तो मुझे जिद नहीं है मानवाने की । लेकिन इसके हाथ यह बात भी साबित हो गयी है, निश्चित हो गयी है कि जनता का यह निश्चित मत है कि वह सांप्रदायिक तत्व, प्रतिक्रियावादी तत्व जो कि अवाम के हक में नहीं है, जो कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण चाहते हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाय, ध्वस्त कर दिया जाय और बगैर सरकारी मशीनरी को अमल में लाये हुए हमने, नयी कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व में आज उन सारे तत्वों को, जिन्होंने एक साथ मिलकर चुनौती दी थी, उनको निर्णायक रूप से पराजित कर दिया है ।

तो श्रीमन्, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसे राष्ट्रीय तत्व, प्रगतिशील तत्व जो कि हिन्दोस्तान में समाजवाद लाना चाहते हैं, आर्थिक समता कायम करना चाहते हैं और जिनका लक्ष्य है हिन्दुस्तान में शोषण हीन समाजवाद की रचना करना, यदि वह सारे तत्व मिल जायेंगे, उनमें एकता स्थापित हो जायगी और साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ वह एक मोरचा लगा देंगे तो मेरा यह विश्वास है कि सरकार की मदद के बगैर भी, सरकारी मंशीनरी की हेल्प के बगैर भी, ऐसे तत्वों का मुकाबला किया जा सकेगा और उनको समाप्त किया जा सकेगा और हमारे देश में जो भी साम्प्रदायिक तत्व हमारे मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं हिन्दुस्तान की एकता को, हिन्दुस्तान के लक्ष्य को, हिन्दुस्तान के उद्देश्य की पूर्ति में हायल होते हैं, उनको हटाया जा सकता है, निष्क्रिय किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है ।

(श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन-सा चश्मा लगाते हैं जी आपको सामने नहीं दिखायी पड़ता है और दायें वाले दिखायी पड़ते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सामने ही नहीं देखता, दायें-बायें भी देखता हूं । इसके अलावा जब कोई मंत्री खड़े होते हैं तो यह मान्य परम्परा है कि उनको वरीयता दी जाती है ।

श्री मैनेजर सिंह--

जो दल अल्प संख्या वाले हैं उनको वरीयता मिलनी चाहिये । लेकिन आप बराबर इसकी उपेक्षा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए, आपको भी समय मिलगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, भाई रियासत हुसैन साहब ने एक प्रस्ताव पेश करके जो यहां चर्चा आरम्भ कराई है वह इस बात का द्योतक ही नहीं, इस बात का सबूत है कि मर्ज अब हद से ज्यादा बढ़ गया है । माधव बाबू ने बहुत नम्रता के साथ यह निवेदन किया कि इस विषय में गर्मी न लायी जाय बल्कि ठंडे दिल से इस पर विचार किया जाय, यह भी उनकी उदारता का परिचायक है क्योंकि उन्होंने अपना वोट देकर श्री जेड० ए० अहमद को राज्य सभा का मेम्बर बनाया था ।

किसी कानून में साम्प्रदायिकता की परिभाषा नहीं हो पायी है । किसी आदालत ने भी कोई निर्णय इस प्रकार का नहीं दिया जिससे लगे कि सांप्रदायिकता कहां तक है और असाम्प्रदायिकता कहां तक है लेकिन राजनैतिक विज्ञान में यह जरूर आया है कि ऐसे जो द्योतक होते है किसी सम्प्रदाय के, वे जमाअतें या संस्थाएं साम्प्रदायिक मानी जाती हैं । किसी के आगे हिन्दू जोड़ दिया गया, किसी के आगे मुसलमान जोड़ दिया गया तो वह जरूर साम्प्रदायिक हो गया । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और शर्मा भी इसको जानते हैं, कि हिन्दुस्तान में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है एक काशी में और दूसरा अलीगढ़ में । लेकिन वे भी अभी तक हिन्दू और मुसलमानों के नाम से संबंधित किये जाते है । कोई प्रयास नहीं किया गया उनके नाम के आगे हिन्दू और मुसलमान हटाने का । यह एक हकीकत है ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह का इतिहास हमको पढ़ाया गया है उसके द्वारा हिन्दूस्तान के मुसलमान के दिमाग में यह भर गया है कि वे कभी इस देश के हुक्मारां थे और वे निकट भूत में ही थे । उसी प्रकार से हिन्दू के दिमाग में भी यह बसाया गया है कि मुसलमान हमले वार थे । बाबर, तैमूर और नादिरशाह ही नहीं बल्कि आज जो मुसलमान यहां रह रहे है वह उनको हमलावार मानते हैं । ये दो कीड़े हिन्दू और मुसलमानों के दिमाग में घर कर गये है आजाद हिन्दुस्तान में कोशिश यह होनी चाहिए थी कि इन कीड़ो को अलग किया जाता, हमारी शिक्षा के जरिये से, रोजमर्रा के व्यवहार तथा हमारे काम से । लेकिन मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई बाबर, तैमूरलग तथा नादिरशाह वाकई में हमलावार थे । लेकिन हमले के शिकार खाली हिन्दू नहीं हुए बल्कि मुसलमानों की कहीं ज्यादा जानें गईं । यह हकीकत आप लोगों पर जाहिर है और सदन को भी रोशन है । मामला देशी और परदेशी का था । लेकिन जैसे जैसे इतिहास पढ़ाया गया और जैसे जैसे हमले हुए, एक साम्प्रदाय के मन में समा गया कि ये सारे मुसलमान हमलावार है । ये विदेशी हैं ।

मुसलमानों के दिमाग में गलती से यह बसा हुआ है कि हम लोग कल तक इस देश के शासक थे इसलिये हमारे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये । यह गलतफहमी उनको मन में बसी हुई है । चाहे हमारे पुरखे हिन्दू रहे हों या मुसलमान पुरखे रहे हों, दोनों नपुंसक रहे और विदेशी हमले से देश को बचा नहीं पाये । चीन से क्यों हम अपने ही घर में पिटे । इस पर कभी हमने विचार नहीं किया । अगर आप उसको ढूंढ़े तो उसके जड़ में चार बातें हैं जो सामाजिक असमानता है । जहां तक समाजिक स्तर का सवाल है उसमें हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है । एक उच्च वर्गीय जाति ब्राह्मण, ठाकुर आदि की है और दूसरी निम्न जाति हरिजनों की है । इन दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है । गांव-गांव चले जाइये आप तो आपको मालूम होगा कि हर गांव में चमरटुलिया अलग बसी हुई है और बड़े लोगों के पक्के मकान अलग बने हुए हैं और जो हिन्दू जाति गाय मांस खाने से वर्जित हैं वहां हरिजनों के यहां और खास करके चमारों

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

के घरों में गौ मांस खाया जाता है बल्कि उनको मुर्दा बैल वगैरह का मांस खाना पड़ता है। यह हमारे यहां की व्यवस्था है।

जहां तक समाज का सवाल है चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों एक साथ बैठ जायंगे। लेकिन कोई पसन्द नहीं करता कि चमार उनके पास बैठ जाय। आप और हम चाहें भले ही कोशिश कर लें। लेकिन गांव में समाज के स्तर पर बिल्कुल शुद्ध रूप से जहां तक हिन्दू मुसलमान के सवाल है दोनों बराबर हैं। लेकिन मामला शुरू होता है सरकारी नौकरियों में, मामला शुरू होता है व्यापार में, मामला शुरू होता है राजनीति में, यह सवाल है। मान लीजिए मुत्तहिदा हिन्दुस्तान है। जहां तक व्यापार का सवाल है इसमें हिन्दू हावी थे, जहां तक जमीन का सवाल है इसमें हिन्दू हावी हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की अकसीरियत थी। यह सीधासादा सिद्धांत था जिसको लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। जहां तक विदेशी शासन का सवाल था उसने कभी हिन्दुओं को और कभी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। जब अंग्रेज आये तो उनके पहले हिन्दू चाहते थे और और जब बंगाल में दंगे हुए तो हिन्दू कम चहेते रह गये और मुलमान चहेते बन गये। आगे चलकर तो मुसलमानों की जमाअत ही बन गई। यह चीज हमारे आपके सामने मौजूद है। फिर कैसे जोर पकड़ा अलगाव की राजनीति ने ?

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सन् १९३६-३७ में श्री जवाहरलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से चुनाव समझौता किया यहीं लखनऊ में, खलीक्कुज्जमां साहब नेता थे। क्योंकि चुनाव के पहले उनको यह उम्मीद नहीं थी कि अकेले दम पर सरकार बनाने की हैसियत हमारी हो जायगी। लेकिन जब उम्मीद से ज्यादा उनको मैजारिटी मिल गई तब जो चुनाव का समझौता उनका मुस्लिम लीग के साथ था, आप लाख सिर हिलायें लेकिन यह हकीकत है कि उन्होंने उनको अंगूठा दिखा दिया। इसी लखनऊ की कहानी है कि खलीकुज्जमां साहब इतने बेजार हुए कि अलगाव की राजनीति पूरे जोर के साथ चली और उस अलगाव की राजनीति का फल एक दिन में नहीं निकला। शर्मा जी, आपने जो बीज बोया है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि उसका नतीजा एक दिन में नहीं निकलेगा। पूरे २० साल के बाद उस अलगाव की राजनीति ने देश का बंटवारा कराया। पहले चुनाव समझौता किया, मिल कर चुनाव लड़े और जब कामियाबी ज्यादा मिल गई तो अंगूठा दिखा दिया और यही राजनीति प्रस्फुटित हुई मुल्क के बंटवारे में। हिन्दू मुसलमान का रहना दूभर हो गया था। दोनों बिल्कुल अलग हो गये थे। गांधी जी को बगैर बतायें हुए देश का बंटवारा अंग्रेजों से कराया गया।

आप यह भी जानते हैं कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने गांधी जी को बगैर इत्तला दिये इस देश का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था। और जब यह मामला आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आया उस वक्त भी गांधी जी ने जवाहरलाल जी को मुखातिब कर के कहा था कि अच्छा होता हमको बता दिया होता। उस पर जवाहरलाल जी बिगड़ गये थे। सरहदी गांधी उसकी मुखालिफत में बोले थे। डाक्टर लोहिया और जय प्रकाश नारायण ने भी उसकी मुखालिफत की थी। उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव अब भी मौजूद है। उसमें डाक्टर लोहिया जैसे आदमी ने यह संशोधन पेश किया था। गांधी जी ने यह कोशिश की थी कि बंटवारा रुक जाय। उन्होंने एक बहुत अच्छी तजवीज पेश की थी। लोग गांधी जी को खाली संत के के रूप में जानते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वह खाली संत नहीं थे, सियासत दां भी थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुमने बगैर बताये हुए समझौता कर लिया लेकिन जब इसकी तफसील करने लगे तो अंग्रेज न रहें, खाली मुस्लिम लीग के लोग तय करें। डाक्टर खां साहब बोले, तब तो नामुमकिन होगा यही तो खूबी उस तदबीज की थी कि नामुमकिन हो जायगा देश का बंटवारा। लेकिन गांधी जी के वह तदबीज रद्द कर दी गई।

तब खान साहब और अब्दुल गफ्फार खां की मांग रद्द कर दी गई। जय प्रकाश बाबू और डाक्टर लोहिया का जितना विरोध था उसकी भी परवाह नहीं की गई और अंग्रेजों से मदद

लेकर देश का बंटवारा कर दिया गया क्योंकि कुर्सी सामने मौजूद थी चाहे टूटी ही सही। अब जो संशोधन था वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो संकल्प था आपका। लेकिन भविष्य में हम उसी अखंड भारत की पूजा करते रहेंगे जिसकी हम आज से पहले करते रहे हैं। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जिस अखंड भारत की पूजा करने के लिये आपने कसम खाई थी उसको हासिल करने के लिये इन पिछले २२–२३ सालों में आपने कुछ नहीं किया, बल्कि ऐसे काम किये हैं जिससे हिन्दू मुसलमानों का अलगाव और बढ़ा है। जो संकल्प लिया गया था उससे जो नतीजा निकलता था उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कैसे अखंडता हासिल करते आप देश की जो बंट गया था। लड़ाई से तय हो नहीं सकता था।

आज जिस हालत में हम रह रहे हैं उस हालत में आप यह चाहते हों कि लड़ाई के जरिये से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को एक कर दें यह नामुमकिन है। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि हिन्दू और मुसलमानों को गलत इतिहास न पढ़ाया जाता तो इससे भी देश और प्रदेश म हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्ध में सुधार होता। इस इतिहास को बच्चों से ही पढ़ाकर सुधार जाता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नहीं किया गया और दुख के साथ यह बताना चाहता हूं कि इसके विपरीत आचरण किया गया। मुसलमानों के सामने आज हमने एक हौवा खड़ा कर दिया है। वही हौवा क्या पहले नहीं खड़ा किया गया? हमेशा जब-जब चुनाव आये हैं तब तब मुसलमानों से कहा गया कि तुमको यह जन संघ वाले और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले खा जायेंगे। ये लोग अक्सरियत में हैं तुमको देश में रहने नहीं देंगे, यहां से तुमको निकाल देंगे और तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आज भी क्या यह नहीं कहा जा रहा है। जवाहर-लाल जी के समय में यह कहा गया और वही स्थिति आज भी चल रही है। सन् १९६२ में मैं चुनाव लड़ा था। मेरे मुकाबले में जमीलुर्रहमान किदवाई खड़े थे। उस समय हर मुसलमान से यह कहा गया कि अगर तुमने अनन्तराम जायसवाल को वोट दिया तो हम सब को यहां से पाकि-स्तान जाना पड़ेगा। यह हकीक़त है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह सारी चीजें की गईं। हमेशा यह हौवा खड़ा किया गया और उनको डराकर अपना फायदा उठाया गया।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनकी आप इतने जोर के साथ वकालत करते हैं, २३ साल से बराबर दिल्ली में वही राज्य कर रहे हैं और उनका ही राज्य कायम है तो इस बड़ी जिम्मेदारी की जगह से क्यों हट गये? आपके पास इसका क्या जवाब है कि उनको जिम्मेदारी के ओहदे पर क्यों नहीं रखा गया? यह उर्दू जबान कब गायब की गई? उर्दू जबान के लिये क्या ध्यान दिया गया बल्कि हमेशा जवाहरलाल जी ने इस बात को इस्तेमाल किया बजाय इसके कि दोनों को एक किया जाय और दोनों के बीच खाई को पाटने का प्रयास करें, हमेशा यह हौवा खड़ा किया कि ये अक्सरियत में हैं, तुमको यहां से निकाल देंगे और तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कभी जमायते उलेमा हिन्द का जलसा बुलाकर उन्होंने कह दिया कि उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है और इस ज्यादती को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता था तो यह बातें खत्म हो जाती थीं। इस तरह से कहा और दिखाया जाता था कि अगर उनका कोई सब से ज्यादा हमदर्द है तो वह जवाहर लाल जी हैं।

आज इन्दिरा जी की भी यही हालत है। वही अफसोसनाक सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, जिसने देश के बटवारे का काम किया। वही काम वह आज कर रही हैं जो आपस में कटुता पैदा करने के लिये किया जाता है। हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर उसी कटुता को आज भी बरकरार रखने का काम किया जा रहा है। यह इतिहास आपके सामने है और आप इस बात को समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि यह किसकी जिम्मेदारी है। गांधी जी का हवाला दिया गया कि गांधी जी हिन्दू मुसलिम एकता के लिये जिन्दगी भर काम करते रहे। यह बात सही है उन्होंने जिन्दगी भर दोनों की एकता के लिये काम किया और अपनी जान दे दी। जब नोआखाली में आग लगी हुई थी तो गांधी जी वहां पर काम कर रहे थे। जब कलकत्ता में आग लगी तो वहां पर भी गये। सुचेता कृपालानी उनके साथ वहां काम कर रही थीं। जब दिल्ली में आग भड़की तो गांधी जी वहां गये और गांधी जी चाहते थे कि सभी सम्प्रदायों की एक मीटिंग

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

बुलाई जाय जिससे आग ठंडी हो जाय। कांग्रेस वाले इस मीटिंग को बुलाने में नाकामयाब रहे।

डा० लोहिया ने गांधी जी से कहा कि एक ऐसी मीटिंग अगर मैं बुलाऊं तो आप उस मीटिंग में शिरकत करेंगे ? गांधी जी ने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने के लिये मीटिंग होगी तो मैं उसमें आऊंगा। जिससे की तारीख तय हो जाती है और वक्त भी तय हो जाता है और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं मगर उसको फेल करने के लिये उसी तारीख को और उसी जगह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रख दी। जो मीटिंग उन लोगों ने रखी, गान्धी जी ने बुलाई उसमें कोई नहीं आया और वह कामयाबी नहीं हुए लेकिन डा० लोहिया ने जब वह मीटिंग बुलाव और उसमें उनको कामयाब मिली तो उसके लिये इस तरह से अड़चन पैदा की। गांधी जी को उस मीटिंग में तलब किया गया कि उस कांग्रेस के जलसे में आयें तो गांधी जी ने इनकार किया वह चाहते थे कि जो मीटिंग तलब की गई है साम्प्रदायिक दंगों को बन्द करने के लिये उसमें जायं।

श्री कृष्णचन्द्र---

मेरा उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि इस समय माननीय जायसवाल जी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को सदन के सामने रख रहे हैं लेकिन उनके यह ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित नहीं हैं जैसे कि अभी उन्होंने बाराबंकी के चुनाव के बारे में बताया, वर्किंग कमेटी का क्या फैसला हुआ, क्या अन्दरूनी बातें हुयीं वह कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है और न उनका उत्तर और सफाई ही यहां हो सकती है। तो क्या उनके लिए ऐसे अप्रमाणित तथ्यों का सहारा लेना मुनासिब है ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमाणित कर दें केवल उन्ही तथ्यों का जिक्र यहां माननीय सदस्य करेंगे ? यह तो उनकी राय है, यह आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उनकी राय कुछ भी हो सकती है वह अपनी राय का आधार बता रहे हैं...

श्री कृष्णचन्द्र---

वह प्रमाणित तथ्य और प्रमाणित आधार होना चाहिये। इस तरह से तो कोई भी किन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रख सकता है।

एक सदस्य---

किसने पाकिस्तान बनवाया यह जानकारी सही है और वही तथ्य है, यह इतिहास की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शर्मा जी शायद यह अज्ञान में कह रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि आजादी के प्रस्ताव पर क्या हुआ था, वह जानते हुये भी इनकार करते हैं, आज भी किताबें मौजूद हैं, उन्ह वह पढ़ने की तकलीफ करें। मैं यहां उस मीटिंग का हवाला दे रहा था। उस मीटिंग में गांधी जी को उठाने की बार बार कोशिश की गई....

डाक्टर श्यामकिशोर (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जायसवाल जी से जानना चाहूंगा अपने इस व्यवस्था के प्रश्न पर कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बटवारे का प्रस्ताव पास किया था तो उस समय वहां श्री जयप्रकाश जी का और लोहिया जी का क्या एटीट्यूड था, उन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया था या विपक्ष में या वह तटस्थ रहे थे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

चूंकि श्रीमन्, अब यह विषय छिड़ गया है इसलिए मुझे अब जरा तफसील में जाना पड़ेगा। मैंने यह सब किताबों में ही पढ़ा है, मैं उन किताबों को आपको निर्दिष्ट कर दूंगा और उनको आप भी पढ़ सकते हैं। उस वक्त कैफियत यह थी कि देश की राष्ट्रीय लीडरशिप जो थी वह बूढ़ी हो चुकी थी, उसने जब यह देखा कि शायद हम नाकामयाब माने जायें तो लोगों ने गांधी जी से छिप कर यह समझौता किया था और एक और नमूना उसका यह था कि उस वक्त उस मीटिंग के प्रेसीडेन्ट बैठे हुए ऊंघ रहे थे और खान अब्दुल गफ्फार खां, जय प्रकाश जी और डा० लोहिया ही उसका विरोध करने वाले थे और गांधी जी उसका विरोध करने वाले थे और कोई उसका विरोधी नहीं था। यह एक रिकार्डेड इतिहास है... (व्यवधान)
(श्री कृष्णचन्द्र से) शर्मा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बात बहुत शान्ति से सुन रहा था लेकिन आप हकीकत को भी शान्ति से थोड़ी देर नहीं सुन पा रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष--

जायसवाल जी अपने तथ्यों को लिखित, प्रकाशित और ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर और जानकार लोगों की राय के आधार पर ही बोल रहे हैं।

डाक्टर श्याम किशोर--

मैंने भी अपनी जानकारी से ही कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी जब मौका दिया जाय तो आप भी कहें।

डाक्टर श्याम किशोर--

जायसवाल जी ने हमारे सीधे से प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

तो मैं कह रहा था कि उस वक्त लीडरशिप बूढ़ी हो चुकी थी और उस सभा के प्रेसीडेन्ट जो थे वह ऊंघ रहे थे जबकि यह मसला जेरे गौर था....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने खुद स्वीकार किया था कि उस समय की लीडरशिप बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन जो हम कर चुके थे उससे मजबूर हो गये थे, हम उसके नतीजे को नहीं समझ सकते थे, हम उसको अन डू नहीं कर सकते थे। जायसवाल जी ठीक ही कह रहे हैं, वह तथ्य है मैंने भी उसको पढ़ा है।

डाक्टर श्याम किशोर--

इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने उसका विरोध नहीं किया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जितना आप समझायें, कि वोकल अपोजीशन हो सकता है, उतना किया गया। अमल उसके मुताल्लिक क्यों नहीं किया गया? गांधी जी ने उसके मुताल्लिक आप क्यों नहीं किया? गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा लेकिन गांधी जी ने अपने आपको इतना दुर्बल पाया कि वह बेचारा ऐक्शन के लिए तैयार नहीं हुआ शायद डाक्टर लोहिया माननीय जय प्रकाश जी भी इस हद तक इस लड़ाई को आगे चलाने में कामयाब नहीं हो पायेंगे इसलिए गांधी जी चुप हो गये। उस संशोधन के साथ वह प्रस्ताव पास हो गया। मैं पूछना,

[श्री अनन्तराम जायवाल]

चाहता हूं कि अखंडता को आप कैसे पा सकेंगे, क्या आपने कोई इस बारे में उपाय किया है ? कभी नहीं बतलाया गया कि असली इतिहास क्या है। मैं यहां पर पूरे जोरके साथ कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश के हिन्दू रजिया, जायस और रहीम जैसे लोगों को अपने पुर्खे नहीं मानेंगे, तब तक वह हिन्दू आजादी का मतलब नहीं समझेगा। इसी प्रकार से मुसलमान बाबर, तैमूर और नादिरशाह को जब तक अपना पुर्खा नहीं मानेंगे, वे आजादी का मतलब नहीं समझेंगे इस भूल को सुधारा नहीं गया बल्कि आपने हिन्दू और मुसलमान की खाई को बढ़ाकर उसका इस्तेमाल किया है।

यह हकीकत हंसने से समाप्त नहीं हो सकती है। ये चीजें पहले भी चलती रहीं। हर चुनाव के पहले हिन्दू मुस्लिम दंगे कराये गये। १९५१ में अलीगढ़ में दंगे हुए। फिर चुनाव के मौके पर १९५६ में दंगे हुए। हर चुनाव के पहले अलीगढ़ में दंगे होते हैं। १९६१ में भी जहां एक तरफ गांधी जी का जन्म दिवस २ अक्तूबर, १९६१ मनाया जा रहा था उसी तारीख में अलीगढ़ के दंगे फिर होते हैं। अगर इस संबंध में एक कमेटी बिठाई जाय और वह इन दंगों के कारणों की जांच करे तो सारी कलई खुल जायेगी कि इन १९५१, १९५६ व १९६१ के दंगों में किस का हाथ है और वे हाथ सामने दिखाई पड़ेंगे। आप इल्जाम लगाते हैं कि गांधी जी को फलां-फलां लोगों ने मरवाया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि गांधी जी की मौत के बारे में पहले जवाहर लाल जी को वार्निंग दी गई लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गई। और कहा गया कि डाक्टर लोहिया अपनी पार्टी की अहमियत चाहते हैं। गांधी जी की ट्रेन के नीचे जब बम फटा और सभा में भी बम फटा, जिसमें जरा भी इमेजिनेशन हो वह भी यह अंदाज लगा सकता है कि गांधी जी की जान खतरे में है। बनारस में डाक्टर लोहिया ने सार्वजनिक बयान देकर कहा था कि गांधी जी की जान खतरे में है, श्री जवाहरलाल की सरकार को बता दिया था लेकिन सरकार बल्लभ पटेल के गृह मंत्री होने के बावजूद भी सार्वजनिक रूप से गांधी जी की जान ली गई।

डाक्टर श्याम किशोर--

गांधी जी की जान किसके द्वारा खतरे में थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जब कोई हिफाजत नहीं करेगा, तो कोई भी पागल जान ले सकता है। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में जिन बड़े लोगों ने बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन सबका यही हश्र होता है, जो गांधी जी का हुआ है। चाहे वह ईसा साहब रहे हों, चाहे मुहम्मद साहब रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे रूस के लेनिन रहे हों, सबकी जान पर हमले हुए हैं। चाहे वे घायल हुए हैं या मारे गये हैं। मुहम्मद साहब को हिजरत करनी पड़ी है, उनको मदीना जाना पड़ा। कृष्ण जी को हिजरत करनी पड़ी है उनको मथुरा से द्वारका भागना पड़ा है। आज उनकी हिजरत के नाम से लोगों के नाम पड़ गये हैं रणछोड़दास और गुजरात में अब भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम रणछोड़दास पड़े हुए हैं। इतिहास को देखने का कष्ट करें। आप अपनी नाकामयाबियों को दूसरे के नाम मढ़ेंगे और आप बात करेंगे उसको दूसरे लोगों के गले मढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल को लोहिया जी ने वार्निंग दी थी कि गांधी जी की ट्रेन के नीचे बम फट चुका है, क्यों उनकी हिफाजत नहीं की जाती है। चाहे गांधी जी हों, चाहे हिन्दुस्तान का कोई और साधारण आदमी, आज उसकी जान की कीमत नहीं रह गई है क्योंकि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रियों की जान की कीमत बहुत-बहुत बढ़ गई है। इसलिए साधारण आदमियों की कोई कीमत नहीं रह गई है।

आपको मालूम है कि हम अभी तक अनुमान लगाकर बतलाया करते थे कि प्रधान मंत्री के भाषण की कीमत क्या होती है लेकिन अब इधर ऐसी हैसियत है कि कह सकते हैं निश्चित कि

प्रधान मंत्री के एक भाषण की कीमत खाली उत्तर प्रदेश में चार लाख रुपये भुगतानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि प्रधान मंत्री जब किसी जिले में जाती हैं तो आस-पास के जितने असला हैं, उसमें मामूली सिपाही नहीं, पी० ए० सी० सिपाही नहीं, डी० आई० जी० और इंसपेक्टर तक की हैसियत के हजारों-हजारों लोग आ जाते हैं और वह स्टाफ अपने स्थान से दो दिन पहले चलता है और दो दिन बाद तक रहता है। इनका सफर का खर्चा, खूराक का खर्चा, बांस-बल्लियां, शामियाना, लाउड स्पीकर वगैरह इसी प्रकार से पैसा जोड़ें तो प्रधान मंत्री की एक मीटिंग पर चार लाख रुपये बैठता है।

श्री कृष्ण चन्द्र --

जायसवाल जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक किस चीज से है। क्या आप कोई इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसका ताल्लुक आपके प्रश्न से ही है कि गांधी जी को मरवा डाला फलां-फलां लोगों ने जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आपको खल रहा है। मैं वही बोल रहा हूं। गांधी जी की हिफाजत के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई और प्रधान मंत्री की जान की कीमत यह है कि जब वह आती हैं तो हर सूबे से इंस्पेक्टर की हैसियत का आदमी आता है। दिल्ली से जो लोग आते हैं उनका खर्चा चार लाख से कहीं ऊपर जाता है। गांधी जी, जिनको आप राष्ट्रपिता कहते हैं और जिनकी मूर्ति के आगे आप रोज नत मस्तक होते हैं और मौके-बे-मौके उनका नाम रखते हैं। जब उनकी जान को खतरा था तब आपने उनकी कोई हिफाजत नहीं की। जब उनकी जान चली गई तब आप अपनी नाकामयाबियों को छिपाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने मारा, उन लोगों ने मारा। क्योंकि आपने किसी तरह से उनकी हिफाजत नहीं की यह इतिहास कभी नहीं भूलेगा और आपको कभी नहीं माफ करेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि उसका नतीजा क्या निकला। जिस तरह की राजनीति मुसलमानों के सामने है कि हिन्दू हौआ हैं, हिन्दू अक्सरियत मारेगी, पीटेगी भाई रियासत हुसैन साहब बहुत दर्द के साथ बोल रहे थे। उनको दुख था कि सेकुलेज्म के लिए वे लड़े। उन्होंने भी इस फिलासफी को माना है। जो चीजें उन्होंने चुनाव में देखी हैं जो उनको तकलीफ हुई, उसका दर्द उनकी स्पीच में था। पहले भी वह बोल रहे थे। आज मैं उनके भाषण के समय नहीं था इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन पहली बार जो उनका भाषण हुआ था वह मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह है। शर्मा जी, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान में खत्म हो गई और आपकी मेहरबानी से हिन्दुस्तान में जिन्दा हो गई और यह पहला मौका नहीं है, सन् ६० में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसीडेन्ट थीं, तब भी केरल में मुस्लिम लीग से समझौता किया। इस चुनाव के मौके पर भी किया। खाली समझौता ही नहीं किया बल्कि मिलजुल कर सरकार भी उनके साथ बनाए हुए है। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा ? उसी जहर को प्रोत्साहन मिला और सारे भारतवर्ष में फिर से मुस्लिमलीग जिन्दा हो गई है। जो पाकिस्तान का झंडा बन गया था वह तो आज भी मुस्लिम लीग का झंडा है। २३ साल बाद जब उस झंडे को लोगों ने फिर देखा तो आप समझते हैं कि मन काबू में रहेगा ?

दो साल में, कांग्रेस के बंटवारे के बाद जो रेडियो नेटवर्क है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, उसका दुरुपयोग हुआ है। आज हिन्दुस्तान में जनतंत्र का केवल ढांचा रह गया है, व्यक्तिगत अधिनायकवाद जिस हद तक हो सकता है उस हद तक पहुंच गया है। पूरे रेडिओ नेटवर्क का दुरुपयोग दो साल से ही रहा है। जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में बेंटिंग होती थी उसी तरह से आज आर० एस० एस० और जनसंघ की बेंटिंग ने मुस्लिम फिरकेवारान को जनून के हद तक पहुंचा दिया है। पूरे देश में हिन्दू-मुसलमान का अलगाव है। अलीगढ़ में फूटा,

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मुरादाबाद में फूटा। तो यह जो बीज बोया जा रहा है इससे बड़ा दुख होता है। जिसको इस देश से जरा भी लगाव होगा उसको दुख होगा। सन् ३६-३७ में जो बीज पड़ा था उसका परिणाम तीस साल बाद निकला। जो आज यह बीज डाल रहे हैं इसका परिणाम भी निकलेगा। कभी-कभी क्षणिक विजय पर लोगों को उन्माद हो जाता है और हकीकत को नहीं देख पाते। इसलिए शर्मा जी, मैं पेशनगोयी करना चाहता हूं कि यह देश बट कर रहेगा। आपने उसका बीज डाल दिया है। आपने जो जनतंत्र दोही राजनीति चलायी है उससे बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, नेफा, नागालैंड और मणीपुर, वह दिन दूर नहीं है जब ये भी आपसे अलग हो जायेंगे। अलगाव खाली हिन्दू-मुस्लिम का ही नहीं आपने किया है, बल्कि उससे भी ज्यादा आप गए हैं। हिन्दू अकाली का अलगाव है, पंजाबी भाषी-हिन्दी भाषी का अलगाव है। तामिलनाडु में ब्राह्मण अब्राह्मण का अलगाव है। और आप सारा दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेगुनाह हैं? जिस तरह से आपने लोकसभा के टिकट बांटे हैं कभी उस पर गौर किया है? कितने घोर जातिवादी हैं आप? ३५० लोक सभा की जो सीटें मिलीं हैं उनमें २०० के लगभग केवल एक बिरादरी के ही है।

कुछ सदस्य—

ब्राह्मण कहिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं फिर पेशनगोयी करना चाहता हूं कि समाजवाद के नारे के नीचे जो हिन्दुस्तान की सामन्ती ताकतें हैं धर्म तथा भाषा भाषायी लोग हैं और उनके द्वारा कौन-कौन से जुल्म और अत्याचार होते रहते हैं उनको आप देखते ही रहते हैं। कल क्या होगा? पहले जो जुल्म होता था आज उसको फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है और वही जुल्म आज हरिजनों पर, पिछड़े लोगों पर फिर से चालू हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव रियासत हुसैन साहब का है वह उनके दिल की भावनाओं को, जजबातों को बताता है। अगर यह केवल उत्तर प्रदेश से ही संबद्ध होता तो हम इसको स्वीकार करते परन्तु यह विषय तो केंद्र का है और केंद्र ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकती है। आप लोग चाहें तो इसका एक हिस्सा मान लें परन्तु पूरा विषय केन्द्र का है। परन्तु यह आवश्यक है कि आप इस पर अपने जजबातों को जाहिर करें और दिल खोल कर इस पर बहस करें क्योंकि इससे हमारा अपना संबंध है, देश की बहबूदी का संबंध है। जो देश के विघटनकारी तत्व हैं, क्षेत्रों और भाषाओं की बात को लेकर जो ऐसा करना चाहते हैं, हिन्दू मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर जो यहां की अखण्डता को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमको सतर्क और सावधान होना चाहिए। नतीजा क्या होता है? कहीं-कहीं अधिक फूट हो गई और विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मान्यवर, मैं जैसा पहले कह चुका हूं कि कुछ दिनों के बाद उसका नतीजा निकलेगा। आपका क्या नुकसान होगा? आपने जो गल्ती लखनऊ में सन् ३६ में की थी वह ऐसी हो गई कि हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रह न सकें और उनमें झगड़ा पैदा होता चला जाय। देश के बटवारे के समय आप महात्मा गांधी को भूल गये। जो संकल्प लिया था उसको भी भूल गये। दिल्ली की गद्दी को बरकरार रखने के लिये हिन्दू और मुसलमानों का अलगाव जारी रखा। हिन्दुस्तान के रेडियो नेट वर्क को इस तरह से इस्तेमाल किया गया जो हमारे लिये घातक सिद्ध हुआ। नतीजा क्या हुआ अलीगढ़ और मुरादाबाद के लोग इसके शिकार हुए, पीलीभीत में करफ्यू लागू हुआ। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। क्षणिक जीत में आप उन्माद में आ गए। आपको यह याद रखना है कि यह देश आपका और हमारा है। जो तकलीफ है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन गुनहगार है और कौन पाक है, साफ है इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा। मान्यवर, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सभी को जो

यहां इस सदन के सदस्य हैं कि अगर इसी रास्ते पर आप चलते गये जिस तरह के रास्ते पर आप पहले चले थे तो उससे हिन्दू मुसलमान किसी को कुछ नहीं मिलेगा। देश को उससे कुछ नहीं मिलेगा।

यह सही है कि मुसलमान बड़ी जगहों से जिम्मेदारी की जगहों से हटाए गए। मुसलमान यहां पर दूसरे नंबर के शहरी बनकर रह गए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमारा हित हो तो आपको इसमें तब्दीली करनी होगी। खेती वह करते हैं, दस्तकारी वह करते हैं, हिन्दू मुसलमान दोनों करते हैं, आज की महंगाई, बढ़े हुए दामों का भार दोनों पर साथ-साथ पड़ रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश का ८०, ९० प्रतिशत जनता इस यातना से पीड़ित है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार किया जा सकता है, कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो उसको दिल्ली की सरकार कर सकती है। अगर हिन्दू मुसलमानों में भाई-चारे की भावना आ जाय, एक दूसरे के दुख-सुख में शरीक हों, कामकाज में शरीक हों और उनमें इस तरह भी भावना पैदा की जाय तो हमारा सुधार हो सकता है। ऐसी अलामतें तो हिन्दू मुसलमानों में फर्क डालती हैं या ज्यादा करती हैं उनको भी खत्म किया जाना चाहिये। हिन्दू अपने जनेऊ और चोटी को खत्म करे और आप जो दाढ़ी रखे हैं उसको भी अलग कर दें। ये ऐसी चीजें हैं जो अलगाव की भावना को उभाड़ती हैं।

कोई बिन्दी लगाये है तो मालूम होता है कि पंडित जी आ रहे हैं, कोई दाढ़ी लगाये है तो मालूम होता है कि कोई चला आ रहा है। तो सचमुच अगर आप मेल करना चाहते हैं, इसका कोई हल निकालना चाहते हैं तो अपनी तरफ देखिये और इस तरह की बाहरी अलामतों को खतम कीजिये। अगर आप हिन्दू मुसलमानों में एका करना चाहते हैं तो आदमी को अपना लाभ खतम करना होगा। आप व्यापार की तरक्की करें, छोटी-छोटी दस्तकारियों की तरक्की करें, खेती की तरक्की करें, और एक ऐसा हवा पैदा करें जिससे हिन्दू और मुसलमान खुश हों। जब यहां के हिन्दू मुसलमान खुश होंगे तो यह हवा जायेगी पाकिस्तान में और वहां के लोग सोचना शुरू कर देंगे कि नाहक में हमने देश का बटवारा कर डाला। दोनों मुल्क एक रहते तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी आजादी रहती। अगर विसा में एक भी गलती हो जाय तो फिर काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बेचारे सैकड़ों लोग जो रोज आते रहते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं और विसा की मुद्दत खतम होने पर उनको हमेशा जासूस बना दिया जाता है। तो ये सारी गलतियां सुधारी जायं तो उनका भी मन ठीक हो। जब मन ठीक होगा तो समुद्र, पहाड़ या तमाम नदियां उनके बीच में हायल नहीं होंगी और आगे चल कर वे फिर एक हो जायेंगे। अगर एक बार दोनों ने एक होने का संकल्प कर लिया तो दोनों देशों की जनता को कोई रोक नहीं पायेगा। लेकिन यह जो प्रस्ताव है वह हमारी हद के बाहर है। दिल्ली में आपके लोग मौजूद हैं, हमारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे कोशिश करें कि जो तर्जुमानी ख्यालात की यहां हो रही हैं, जो सुझाव हम दे रहे हैं उनके मुताबिक वहां की नीति बनावें तब जाकर कहीं देश का कल्याण हो पायेगा।

बटवारे से जो नुक्सान हुआ है वह भी मैं आपकी इजाजत से बतला दूं। बटवारे के बाद दोनों देश एक दूसरे को बदनाम करने के लिये बहुत काफी रुपया फौज पर खर्च कर रहे हैं। लगभग ८ अरब रुपया तो पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिये खर्च करता है और १२ अरब के आसपास आप पल्टन और असलहा पर खर्च करते हैं। फिर कहां से देश की तरक्की होगी ? इस तरह से तो हमेशा, हमेशा के लिये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तरक्की रुकी रहेगी। जब तक हिन्दू और मुसलमान मजहबी तौर पर अलग-अलग रहेंगे उनकी तरक्की रुकी रहेगी। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिये मैं विनम्रतापूर्वक शर्मा जी से क्षमा मांगता हूं लेकिन जो हकीकत है वह मैंने बतलायी।

श्री कृष्ण चन्द्र—

एक बात मैं माननीय जायसवाल जी से जानना चाहता हूं कि महान गठबन्धन के उम्मीद-वार ने हिन्दू महासभा के क्षेत्र से मनीराम में जो लड़ाई हिन्दू महासभा की मदद से लड़ी, तो उन की राय में हिन्दू महासभा साम्प्रदायिक संस्था है या नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक बड़ा आदमी कह गया है कि शासक दल की तिल सी साम्प्रदायिकता पहाड़ सी लगती है और विरोधी दल की पहाड़-सी साम्प्रदायिकता तिल सी लगती है। तो पहले आप अपना सुधार करें ताकि देश का सुधार हो।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन ने एक कमीशन कायम करने का प्रस्ताव पेश किया है जो फिरकेवाराना पार्टियों की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे, मैंभी उसकी ताईद करता हूं।

वफूरे गम से दो आंसू बहायें तो बगावत है, सितमगारे जहां को भूल जायें तो बगावत है,
जमाना शादमां हो कह कहे गूंजे फिजाओं में, मगर हम इत्तफाकन मुस्करायें तो बगावत है।
समझ में ही नहीं आता कि छेड़े दास्तां क्यों कर, हंसायें तो बगावत है रुलायें तो बगावत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद इस विषय पर वक्त न मांगता लेकिन अभी इससे पहले कुछ मेम्बरान ने सदन के समक्ष कुछ ऐसी बातें रखीं हैं जिनके ऊपर मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ अर्ज करूं। हमारे जनसंघी भाई माननीय रामगोपाल संड जी ने इससे पहले हमारे दल के ऊपर बहुत से इल्जामात लगाये। उन्होंने कहा कि १९६९ के इलेक्शन में मुस्लिम मजलिस के तहत में इस किस्म के नारे लगाये गये कि "अछूत मुस्लिम भाई भाई हिन्दू कौम कहां से आई"? मैंने उसी वक्त इसका विरोध किया था और यह बताया कि यह बिल्कुल लगो और गलत बात है। बात यह है कि उस इलेक्शन में जहां से हमारे भाई संड जी जीत कर आये थे यह नारा नहीं बल्कि यह नारा था कि 'धरम का नाता है, गऊ हमारी माता है'। इस नारे पर वह जीतकर आये। मुस्लिम मजलिस वह जमात है जिसने हिन्दू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया था। कोई भी ऐसी मिसाल नहीं मौजूद है जब कि उसने फिरकावाराना मसायल उठाये हों।

हमारी पार्टी के नायब सदर जुल्फकार उल्ला साहब मुरादाबाद से इलेक्शन लड़े थे। उनके खिलाफ कुछ बातें कही गयीं जो कि ठीक नहीं थी। जुल्फकार उल्ला साहब ने हिन्दुओं को वोट दिये हैं और उनसे वोट लिये हैं। इलाहाबाद नगरपालिका के भी वह मेयर रह चुके हैं। एक बार वह एक वोट से हार गये थे। दूसरी बार वह जीते और इन दोनों एलेक्शनों में रामगोपाल संड जी ने उनको वोट दिया था। तीसरी बार उन्होंने राज्य सभा का इलेक्शन लड़ा था। श्री मोहनलाल गौतम और फूल सिंह जी यहां से जीते थे और एस० वी० डी० ने जुल्फकार उल्ला साहब को राज्य सभा का केन्डीडेट बनाया था। जनसंघ के भी दो मेम्बर इलाहाबाद से थे। लेकिन रामगोपाल संड जी ने उस वक्त भी उनको ही वोट दिया था। उनके लिये यह कहना कि वह पक्के लीगी हैं, उनके यहां जिन्ना साहब आते थे, ठीक नहीं है। जुल्फकार उल्ला साहब एक बाइज्जत शहरी हैं। उनके यहां बड़े-बड़े लोग जाकर सर टकराते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, पं० जवाहरलाल नेहरू दर्जनों बार उनके यहां गये हैं। मंगला प्रसाद जी, बहिन बाजपेयी जी उनके यहां उनका आशीर्वाद लेने आज भी जाती रहती हैं। संड जी भी उनके यहां जाते हैं। लेकिन यहां सदन के सामने इस तरह की धोखेबाजी की बात करना मुनासिब नहीं है।

एक माननीय सदस्य कम से कम एक लाख जनता को रिप्रेजेन्ट करता है। अगर वह यहां आकर इस तरह की बात करेंगे तो उसमें दूसरे विधायकों की भी बेइज्जती है कि यहां पर इस किस्म का सफेद झूठ बोला जाता है। हम आपको इस सिलसिले में यह बताना चाहते हैं कि अभी हमारे साथी, माननीय रियासत हुसैन जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यहां पर फिरकावारान फसादात हुये हैं जिनमें मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम लीग, जनसंघ और हिन्दू महासभा का हाथ रहा है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

अभी माननीय सदस्य ने सफेद झूठ बोला शब्द का प्रयोग किया तो यह किसी माननीय सदस्य के प्रति कहना अच्छा नहीं लगता ।

एक सदस्य---

सफेद की बजाय काला झूठ समझ लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

झूठ तो झूठ है चाहे सफेद या काला, लेकिन किसी को झूठा नहीं कह सकते ।

श्री हबीब अहमद---

अभी माननीय रियासत हुसैन जी ने अपने भाषण में इस बात को सदन में बताने की कोशिश की है कि यहां पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, जनसंघ, हिन्दू महासभा और आर०एस०एस० ऐसी पार्टियां हैं जो कि फिरकेवाराना फसादात कराती हैं और उन्होंने इन पार्टियों पर इस तरह के इल्जामात भी लगाये हैं । मैं उनकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि सन् १९४७ में हमको आजादी मिली थी और फिरकेवाराना फसादात सन् १९४७ से शुरू हुये थे । मुस्लिम मजलिस का जहां तक ताल्लुक है वह तो जून, १९६८ में बनाई गई थी, पूरे २१ साल के बाद इसका वजूद हुआ था । अगर मुस्लिम मजलिस की वजह से फसादात होते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि २१ वर्ष पहले से क्यों झगड़े होते थे । क्या मुस्लिम मजलिस के इलेक्शन के मैदान में कूदने से उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, कोई तब्दीली हुई है ? आप आंकड़े उठा कर देखिये, मुस्लिम मजलिस बनने के बाद यहां पर फसादात में कमी हुई है । हमने मुस्लिम मजलिस को जून १९६८ में बनाया था और उसके पहले के झगड़ों की तादाद ज्यादा है, बाद में एवरेज कम है यह कह देना कि इस पार्टी की वजह से झगड़े होते हैं, बिल्कुल गलत बात है ।

मान्यवर, मुस्लिम लीग की भी बात कही गई, मैं भी इसका विरोधी हूं और इसके मुखालिफत में आवाज उठाता हूं, लेकिन यह एक हकीकत है कि यह पार्टी कभी खत्म नहीं हुई थी । जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त "इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग" के नाम से एक जमात साउथ इंडिया में बनी थी जिससे कि मुख्तलिफ पार्टियों ने समझौते किये और जिसने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से मिल कर हुकूमतें बनाई, जरूरत के मुताबिक कोलिशन्स किये गये । यह पार्टी सन् १९४७ से लेकर आज तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से जनूबी हिन्दुस्तान में चल रही है । यह पार्टी एलेक्शन के एतबार से सूबई हैसियत रखती थी और इसका वजूद केरल और मद्रास में ही था । वह शुमाली हिन्दुस्तान में भी आई जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों पर है । लीग वही पार्टी है जिसको पं० नेहरू ने मरा हुआ घोड़ा कहा था और यह भी कहा था कि उसको अजायबखाने में रख दो लेकिन फिर जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ने समझौता भी किया ।

हम आपको बताना चाहते हैं कि सन् १९६७ में यू० पी० में मजलिस-ए-मुशावरत ने कांग्रेस की मुखाल्फत की थी और उसी की वजह से यह संविद सरकार बनी । संविद सरकार आपकी कूवत से नहीं बनी बल्कि मुशावरत के कांग्रेस का विरोध करने की वजह से बनी थी । सन् १९६९ के इलेक्शन में हमने संविद सरकार का भी विरोध किया था क्योंकि उसने किये गये वादों का पालन नहीं किया, वे अपने वादों से पीछे हट गये । जब उन्होंने ट्रेजरी बेंचेज में किये गये वादों पर काम नहीं किया तो सन् १९६८ में हमने अपनी एक जमात मुसलिम मजलिस बनाई । कौन जमात क्या चाहती है, आप इस भेदभाव में न पड़ें । मैं अपने भाई जायसवाल जी को यह बता देना चाहता हूं कि किसी के दाढ़ी रख लेने से या किसी के जनेऊ पहनने से साम्प्रदायिकता नहीं फैलती है । मैं खुले अल्फाज में यह कहना चाहता हूं कि सब अपने मजहब की पाबन्दी करें चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिक्ख हों या ईसाई हों । अगर मजहब यह कहता है कि मुसलमान

[श्री हबीब अहमद]

दाढ़ी रखें, तो यह साम्प्रदायिकता नहीं है। इसी तारीके से अगर मजहब कहता है कि हिन्दू जनेऊ पहने तो यह साम्प्रदायिकता नहीं हुई। कोई मजहब यह नहीं कहता कि किसी की जान ली जाये या किसी की दुकान लूटी जाय। लोग अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है।

लफ्ज मुस्लिम की बात आई है। क्योंकि हमारी पार्टी का नाम मुसलिम मजलिस है और वह पार्टी के नाम के साथ लिखा गया है इसलिये वह साम्प्रदायिक पार्टी हुई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्लिम मजलिस ऐसी पार्टी है जिसके नाम के साथ मुस्लिम लफ्ज जरूर लिखा हुआ है मगर आप हमारा इलेक्शन मेनिफेस्टो देखें उसके प्रोग्राम को देखें, तब आपको यह मालूम होगा कि उसमें कहीं भी साम्प्रदायिकता की बू नहीं है। आज हमारे भाई जनसंघ का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह एक साम्प्रदायिक पार्टी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि "जनसंघ" से अच्छा नाम क्या हो सकता है, इसमें कोई नाम साम्प्रदायिकता का नहीं लिखा हुआ है तो पता चला कि पार्टी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचानी जाती है मैं आज इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है बशर्ते कि वह अपनी कुछ खामियों को दूर कर दे, मुस्लिम दुश्मनी की जहनियत अलग कर दे और मुस्लिम "एनिमोसिटी" को अपने प्रोग्राम से दूर कर दे। जैसी दूसरी पार्टियां हैं वह भी वैसी ही एक पार्टी है। हमारे जनसंघी भाइयों को उठते-बैठते मुस्लिम एनिमोसिटी की बात नहीं करनी चाहिये। अगर उन्होंने सन् १९४७-४८ में ऐसा किया होता जिस वक्त कि मुल्क तक्सीम हुआ था और हिन्दू मुसलिम मन मुटाव था तो वे कुछ कामयाब हो सकते थे।

आज तो हर तरफ से, हर पार्टी के जरिये समाजवाद का ही नारा लगाया जाता है, हर तरफ समाजवाद, समाजवाद ही का नारा सुनाई पड़ता है, लेकिन समाजवाद उस वक्त तक मुल्क में नहीं आ सकता जब तक अछूतों को और मुसलमानों को नं० दो का शहरी बनाकर रखा जायेगा। अगर मुस्लिम मजलिस इलेक्शन में न कूदी होती तो यह आपकी संविद न बनी होती। मुसलिम मजलिस ने ही आपको जिताया, यह आपको याद रखना चाहिये। हमें तो मजबूर होकर लोक सभा के इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि हमने देखा कि वह पार्टी हिन्दू और मुसलमान सब को एक साथ लेकर चलना चाहती है, वह सब को बराबरी का दर्जा देना चाहती है। अगर आगे चलकर उसने भी आपका जैसा बरताव किया तो वह पार्टी भी ज्यादा दिन तक हुकूमत नहीं कर पायेगी। २४ वर्षों की आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि जब कभी भी मुसलमानों और अछूतों को नौकरी आदि में रिप्रेजेन्टेशन देने की बात कही जाती है, यहां खामोशी छा जाती है। यह एस० वी० डी० अगर अछूतों और मुसलमानों को अपने इलेक्शन मेनीफेस्टों के अनुसार रिप्रेजेन्टेशन देना चाहती है तो उसे किसने रोका है, वह सरकार में है, कर सकती है, उसे किसी कायदे की जरूरत नहीं है। माननीय जायसवाल जी ने कहा कि उर्दू के साथ ज्यादती होती रही है, उनके ऐसे जजबात हैं, मुझे खुशी है। जिनके हाथों में २३ सालों से हुकूमत थी, आज वही उर्दू की समस्या को हल करना चाहते हैं, इसमें किसी को क्यों परेशानी है।

जहां तक फसादात का मामला है, रियासत साहब जैसा कमीशन चाहते हैं, मैं भी उसे चाहता हूं ताकि यह पता चल सके कि कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो फिरकावाराना फसादात कराती हैं। अपनी शिकस्त को छिपाने के लिये आज जो बातें कही जाती हैं वे ठीक नहीं हैं। सभी पार्टियां अपने-अपने प्रोग्राम को लेकर मैदान में उतरीं। अब जनता का जो वर्डिक्ट है उसे आपको खुशी-खुशी स्वीकार करना चाहिये। अगर कोई पार्टी एन्टीनेशनल है तो उसे आपको बैन करना चाहिये। आज जमानत जब्त हो जाने के बाद यह कहना कि मुसलिम लीग के कारण हम नहीं जीत पाये या उस कारण से नहीं जीत पाये, यह ठीक बात नहीं है। मुस्लिम मजलिस हारी,

लेकिन उसी ने कांग्रेस को जिन्दगी दी है। कोई भी पार्टी को जो अहसान फरामोश होगी वह ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पायेगी। हुकूमत बनने के बाद कितनों को शिकायत होगी, कितने अलग होंगे, यह आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। मुझे डिफेक्शन पर बड़ा दिली अफसोस है, मुझे इससे बड़ी शर्मिन्दगी होती है। जनता के सामने या आफिसर्स के सामने जब मैं ऐज ए एम० एल० ए० इन्ट्रोडियूस होता हूं, उस वक्त मैं शर्म से पानी-पानी हो जाता हूं, जब वे हमारे सामने आया राम और गया राम की बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपने तो अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है या आजकल आप किस पार्टी में हैं। आजकल हम लोगों के प्रति जनता में कितनी हिकारत हो गई है, यह सोचने की बात है।

एक सदस्य—

आप यह तो नई कांग्रेस वालों को समझाइए।

श्री हबीब अहमद—

मैं अपनी जगह पर हूं शुरू से। तीन सरकारें मैंने बदली हैं, लेकिन स्वयं नहीं बदला हूं। मैंने अपोजीशन में बैठकर जिन्दगी गुजारना सीखा है। लेकिन मेरे कुछ साथी अपोजीशन में बैठना बरदास्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने उसूलों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें तो बस किसी तरह कुर्सी मिल जानी चाहिए। हमारी पार्टी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की बात कहती है। यह ढंग आज दुनिया के २० मुल्कों में लागू है। इसका मतलब है जैसे इलाहाबाद में १४ सीटें हैं तो उनकी एक यूनिट बना दी जाये और सारे वोट इकट्ठा रखे जायें। मान लीजिये वहां १४ लाख में से ७ लाख वोट पड़े और १४ सीटें हैं तो एक सीट का कोटा ५० हजार वोटों का होगा और सारी पार्टियों को ५० हजार पर एक सीट का रिप्रेजेन्टेशन दिया जाये, जिसके जितने ज्यादा वोट्स हों उसे उतने ज्यादा सीटें मिलें। इसमें जनता आदमी को वोट नहीं देती है, पार्टी को वोट देती है। पार्टी एक अपने आदमियों की लिस्ट देती है और उसमें ऊपर से उस पार्टी के आदमी सदस्य के तौर पर ले लिये जाते हैं। इसके होने से डिफेक्शन बिल्कुल समाप्त हो जायगा, यदि कोई डिफेक्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले इस्तीफा देना होगा और उसके स्थान पर बिना किसी बाई एलेक्शन के उसी पार्टी की लिस्ट में से दूसरा आदमी आ जायगा। इस तरह से इससे बाई इलेक्शन का झमेला खत्म हो जायगा उस पर होने वाली समय और पैसे की बर्बादी समाप्त हो जायगी। इसके जरिये से हर पार्टी के सबसे सही आदमी की नुमाइन्दगी हो सकती है। इससे बाई-एलेक्शन, डिफेक्शन अन इस्टैबिलीटी आदि सारी बुराइयां एक साथ समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए हमारी पार्टी इसे चाहती है। रोज-रोज के गवर्नमेंट बदलने से जो आये दिन पालिसियां बदला करती हैं, उस पर भी रोक लगेगी। इसके होने से सरकार स्टेबिल होगी और वह अपनी पालिसियों को ठीक से लागू कर सकेगी। इसीलिये मैंने इसकी बात कही है।

कुछ हमारे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में जाये। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर भाषा का अपना एक रस्मुलखित होता है और उसी तरह से उर्दू का अपना फारसी रस्मुलखित है। यदि उर्दू भाषा देवनागरी में लिखी जायगी तो वह भाषा ही समाप्त हो जायगी। उर्दू दायें से बायें तरफ लिखी जाती है जबकि हिन्दी बायें से दायें तरफ को लिखी जाती है।

इन बातों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव पर मेरा समर्थन नोट किया जाये, मैं पूरी तरह से उसके साथ हूं।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं, जो इस सदन में हमारे सामने विचार के लिये रखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

श्रीमन्, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आज राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के कारण इस देश में जिस प्रकार से सामजवाद की छीछालेदार हो रही है वैसे ही असाम्प्रदायिकता, रास्ट्रीयता की भावना के साथ राजनीतिज्ञ और राजनीतिक पार्टियों के लोग मखौल उड़ा रहे हैं। श्रीमन्, यह बहुत ही कठिन है प्रमाणित करना की कौन सा दल साम्प्रदायिक है या इस आयोजन के लिए सदस्य चुनें तो भी बड़ी कठिनाई से इस प्रदेश या देश में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो वाकई इस आयोग की मंशा के अनुकूल इस आयोजन के सदस्य या अध्यक्ष हो सकते हैं। आज सम्प्रदायिकता का ही झगड़ा नहीं है आज राजनीतिकों के कारण जातीयता और उप जातियों के भी झगड़ शुरू हो गये हैं। यह कहना कि साम्प्रदायिकता का जो विष है वह किन दलों के द्वारा फैलाया जा रहा है यह बहुत कठिन है। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि यदि एक दल को निकाला जाय जिससे साम्प्रदायिकता को आजादी के बाद बढ़ावा दिया है, तो अकेली कांग्रेस संस्था है जिसनें इस देश में गड़ी हुई साम्प्रदायिकता को जीवित किया है और उस कांग्रेस के बहुत सदस्य इसके अपराधी हैं। इस चुनाव के पूर्व में संविद सरकारें बनी हैं, और जो गठबन्धन हुए हैं, उसके पूर्व के इतिहास को देखें। अविभक्त कांग्रेस का एक-एक कांग्रेसी यह कहा करता था कि मुसलिम लीग, हिन्दू सभा साम्प्रदायिक है।

अविभक्त कांग्रेसी कहा करते थे कि जनसंघ भी सम्प्रदायिक है। जनसंघ की तरफ से बराबर इसका विरोध हुआ। जनसंघ ने बार-बार कहा कि हमारी सदस्य गैर हिन्दूओं के लिए भी है। हम साम्प्रदायिक नहीं हैं। हम साम्दायिकता नहीं फैलाना चाहते हैं लेकिन अविभक्त कांग्रेस के एक कांग्रेसी ने कहा कि जनसंघ भी साम्प्रदायिक है। लेकिन इस कांग्रेस के विभक्त होने के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बैठी है। एक तो इस सदन में बाएं लोग बैठे हुए हैं और बामपंथी लोग बड़े प्रगतिशील कहे जाते हैं, इसलिए बांएं बैठने वाले लोग अपने को बहुत प्रगतिशील मानते हैं और शायद आपका भी ऐसा ख्याल कुछ महीनों से हो चला है कि ये लोग बड़े प्रगतिशील हैं ये समाजवाद लाना चाहते हैं। विभक्त होने के बाद हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कहां तक डाला कि दक्षिण भारत के मुसलिम लीग साम्प्रदायिक नहीं है। वैसे ही हमारे पाण्डेय जी ने अभिभक्त कांग्रेस के सिपाही रहे हैं इनके नेताओं ने कहा कि जनसंघ साम्प्रदायिक नहीं हैं। नैतिकता का राष्ट्र में अभाव है। साम्प्रदायिकता दिन पर दिन पढ़ती जा रही है। अपने राजनैतिक लाभ के लिए हम जो चाहते कहा करते हैं। मुसलिम साम्प्रदायिकता को उभारने का श्रेय अगर किसी एक संस्था की है, तो एक मात्र कांग्रेस संस्था को है जिसने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उभारा है। उसका लाभ कुछ हिन्दू संगठनों, पार्टियों को मिला है जिन्होंने कांग्रेस की इस नीति का लाभ उठाया है, हिन्दुओं को गुमराह करके यहां साम्प्रदायिकता से लाभ उठाया है।

तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्थिति यह पैदा हो गई है कि मुसलिम जाति साम्प्रदायिक है या नहीं और हिन्दू जाति साम्प्रदायिक है या नहीं है यह विवाद का प्रश्न बन गया है। कांग्रेस के लोगों ने साम्प्रयिकता को उभारा है और एक दल को चुनना है तो निश्चित रूप से पुरानी कांग्रेस को चुना जा सकता है। मेरा तो कहना है कि जिन राजनीतिक दलों के नाम के साथ साम्प्रदायिक शब्द जुड़ा हो जैसे हिन्दू, मुसलमान, शिख, ईसाई शब्द लगे हों। जिनसे धार्मिक साम्प्रदायिकता का बोध होता है, साम्प्रदायिकता की भावना पैदा होती हो वे सब साम्प्रदायिक हैं वह चाहे हिन्दू सभा हो, मुसलिम मुजलिस हो जिनका नाम ही साम्प्रदायिक है उनके बारे में साम्प्रदायिकता की खोज करना ही व्यर्थ है। मुसलिम मजसिल के भाई शमीम साहब ने इतनी ईमानदारी भी नहीं है यह कहने को कि यह संस्था साम्प्रदायिक है।

उर्दू में साम्प्रदायिकता का सवाल नहीं है। वह तो एक जुबान है। अन्याय अगर हुआ है तो उस अन्याय के करने वाले कांग्रेस के ही लोग हैं जिनका शासन इस देश में २३ वर्षों से रहा है। शमीम साहब ने कहा कि ६७ में उन्होंने संविद की सरकार जिताई, इन्द्रा कांग्रेस को जिता दिया। उनको बहम है कि उनकी जो जबान है, जिस लिपि में वह लिखा करते हैं उसके समुचित विकास का कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। इससे उनको रंज व क्षोभ है। जिस संस्था के प्रधान ने चुनाव के दौरान एक बार नहीं अनेक बार रेडियो पर और चुनाव सभाओं में बार-बार यह कहा कि उर्दू के साथ अन्याय हुआ है और अपने इस कथन के जरिये उन्होंने मुसलिम जन्मत को अपनी ओर आकर्षित किया, मुसलिम वोट को उन्होंने लिया लेकिन जीतने के बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में मैंने देखा कि उर्दू का कहीं जिक्र तक नहीं है। वे बातें चुनाव तक ही सीमित थीं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय, ने सही कहा जब एक माननीय सदस्य ने चुनाव संबंधी बात कही तो उनसे उन्होंने कहा कि चुनाव में कही हुई बातों को यहां क्यों दोहराते हो ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री मैनेजर सिंह--

मैं उस समय अध्यक्ष महोदय से कहा था कि चुनाव में झूठ बोला जाता है, तथ्यहीन बातें कही जाती हैं, जनता को प्रलोभन देकर वोट छलने के लिये जो बातें कही जाती हैं क्या उनकी चर्चा बाद में नहीं करनी चाहिये ? मैं तो माननीय शमीम साहब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिकेट को नहीं जिताया, उनकी मुसलिम मजलिस में इतनी ताकत होती तो उनके नुमाइन्दे हार नहीं जाते। उनको भी शायद उत्तर प्रदेश में तीन स्थान मिले। उनका और इंडीकेट का आपस में समझौता हुआ था किन्तु उनके समर्थन के बाद भी चुनाव में नहीं जीते...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

कुछ लोग अपनी ताकत से नहीं जीत सकते हैं किन्तु दूसरे को अपनी ताकत से जिता सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि अपने संप्रदाय से सभी को प्रेम है उसमें ताकत है और उसी के जरिये इंडिकेट जीती भी है। हमारे मुस्लिम भाइयों में जो अपनी जबान की उपेक्षा के प्रति टीस है उसके कारण जो बार बार चुनाव सभाओं में इंदिरा गांधी ने कहा कि उर्दू के साथ घोर अन्याय हुआ है तभी हमारे मुसलमान भाइयों ने यह समझकर उनको वोट दिया कि शायद प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की विजय से हमारी उर्दू के विषय में न्याय होगा किन्तु वहां पर अन्याय किया गया यह भी वे समझते हैं। इस तरफ उनको अव य ध्यान देना चाहिए था। मुस्लिम लोग, मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग प्रधान मंत्री के इन आकर्षक शब्दों में बह गए और खुद अपने हाथ मलते रह गए और मलते रह जायेंगे किन्तु उर्दू के साथ कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिकता का सवाल उठता है तो वह केवल हिन्दू मुस्लिम में ही क्यों उठता है।

इस देश में अन्य अल्प संख्यक भाई ईसाई और पारसी भी बसते हैं। वास्तव में अल्प संख्यक कौन हैं--ईसाई और पारसी। इनमें आपस में--हिन्दू, ईसाई, हिन्दू पारसी, मुसलमान पारसी, मुसलमान-ईसाई और पारसी-ईसाई में कभी कोई झगड़ा आजतक नहीं सुना गया। यह झगड़ा हिन्दू-मुसलिम में ही क्यों होता है। कि वह इसलिये है कि मुसलमान सम्प्रदाय के लोग इस देश में अल्प संख्यक नहीं है। हिन्दू कई फिरकों में बंटे हुए हैं। उनके

[श्री मैनेजर सिंह]

मुकाबले में अवश्य एक संगठित संप्रदाय जो है वह मुसलमान संप्रदाय है और उसमें ताकत है। मुस्लिम आज चाहे जिधर वजन दे दे उसी का दल जीत सकता है। उनमें दम है। क्या यह उसी का कारण है कि आज हिन्दू वाले जो दल हैं उनके संप्रदाय को उभाड़ करके अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहते हैं ? और समाज में संप्रदाय का नाम लेकर उसको उभाड़ कर आज नाना प्रकार के फिसाद पैदा करना चाहते हैं ? तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर नैतिकता के अभाव का जो रोग है वह कथनी और करनी का है। जिस प्रकार कि डाक्टर लोहिया ने इस रोग के प्रति बार बार ध्यान आकर्षित किया था और अंतिम समय में एक पुस्तक में लिखा था कि यहां के बहुत से राजनीतिक दलों में और राजनीतिक लोगों में कथनी और करनी का अन्तर है।

राजनीतिक लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस आदरणीय सदन में बैठने वाले लोग जब इधर बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं और जब उधर बैठते हैं तो तीसरी बात करते हैं। मौलिक अन्तर तो कथनी और करनी में हो गया है। हमारे भाई कृष्ण चन्द्र शर्मा ने भारतीयकरण के बारे में कहा और उन्होंने इसका घोर विरोध किया और कहा कि भारतीयकरणका जनसंघ ने नारा दिया है। शायद उसको उन्होंने पढ़ा नहीं है और उसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। एक मधोक साहब ने किताब लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे सिक्ख हो या चाहे पारसी हो, सभी के भारतीयकरण की आवश्यकता है। सभी में राष्ट्रीय भावना जगाने की आवश्यकता है। उसमें कोई धर्म बाधक नहीं है। कोई मुसलमान अपनी धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर हिन्दू मान्यता में आ जाय या कोई पारसी अपनी धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर हिन्दू मान्यता अपनाये। ऐसी बात उसमें नहीं। यह उनके न जानने का कारण है। कि वह विरोध करते हैं। और यहां नहीं, भारतीयकरण का सवाल एक चुनाव का आधार बन गया था। कांग्रेस के लंगड़े, टूटे गांव के रहने वाले लोगों से लेकर इंदिरा गांधी तक सब ने कहा कि जनसंघ वाले इस देश से मुसलमानों को देश से मिटाना चाहते हैं, उनका भारतीयकरण करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता।

माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा ने जो कुछ कहा वह अज्ञानता में कहा, उनको जानकारी नहीं है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि माननीया इंदिरा गांधी को भारतीयकरण के उस प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है। उनको खूब ज्ञान है, लेकिन जिस तरह से उर्दू के साथ अन्याय की बात कहकर मुस्लिम वोटों को उन्होंने लिया उसी तरह से भारतीयकरण का हौवा खड़ा करके, गलत नक्शा खड़ा करके उन्होंने मुसलमान भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों में एक बड़ा खतरा खड़ा किया और छल करके उनके वोट को ले लिया। यह भ्रम की बात पैदा की जाती है, यह ठीक नहीं है। उर्दू का रोना रोने वाले, लड़ाई लड़ने वाले बहुतेरे हैं, लेकिन हिन्दी का क्या होगा ? माननीय प्रधान मंत्री जानती है कि देश की सर्वोच्च सत्ता संविधान सभा में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का ऊंचा स्थान दिया गया, उच्च स्थान पर बैठाया गया। उनके स्वर्गीय पिता जी ने उस राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजभाषा बना दिया और आज प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी राज भाषा से उसको पीछे खींचकर उसको पनाले में डालना चाहती हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की कहीं चर्चा नहीं है। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध कौन करेगा ? आज किसी में दम नहीं है कोई राजनीतिक दल इस सवाल को उठाता नहीं है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर, कि हिन्दी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उसका अपमान हो रहा है वह राष्ट्र का अपमान है और उसके लिए सरकार पर जोर डालने की अधिक आवश्यकता है।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजनीति के पचड़े में से सारे सवाल उठाये जाते हैं और देश में आज मत-भेद पैदा हो रहा है। जहां तक मुस्लिमलीग की बात है, जनसंघ की बात है उनके बारे में दो रायें सांप्रदायिक होने के संबंध में हो सकती है, लेकिन आर्य समाज जो हमारे

हिन्दू समाज की ही एक सुधारक संस्था है, उसकी नीति क्या है ? उसका भी एक कार्यक्रम है । जैसे सवा छः एकड़ का कम्युनिस्ट पार्टी का था और जनसंघ का अखंडता का था वैसे ही आर्यसमाज का भी एक कार्यक्रम है शुद्धी का । उस उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री कौन है ? वह हमारी सिंडीकेट कांग्रेस के एक वरीय सदस्य प्रेमचन्द्र शर्मा हैं जो माननीय संड, जी को रोक रहे थे । वह आज भी प्रतिनिधि सभा जो आर्य समाज की है उसके महामंत्री हैं उस संस्था के अधिकारी हैं जो मुसलमान भाइयों की शुद्धी के कार्यक्रम को चलाती है, जिसका कि हम विरोध करते हैं और आज भी करते हैं और मरते दम तक करेंगे । ये शुद्धी का प्रोग्राम चलाने वाले प्रेमचन्द्र शर्मा जैसे अनेक कांग्रेस वाले ही आज सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं । किस मन से करते हैं ? वह उस संस्था के मंत्री हैं या नहीं हैं, यह उनसे पूछा जाय । इसी तरह से हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और । जितने सांप्रदायिक लोग हैं, आज इन सफेद चोलों में छिपे हुए हैं । चाहे मुस्लिम लीग मनोवृत्ति वाले हो या हिन्दू मनोवृत्ति वाले हों, वे सभी आज समाजवाद का चोंगा पहिन कर, सांप्रदायिक दंड व्यवस्था का चोंगा पहिन कर यहां बैठे हुए हैं ।

तो यदि आयोग बनाना ही है तो आयोग बनाया जाय और उसमें ऐसे व्यक्ति को चुना जाय जो स्वतः धर्म-निर्पेक्षता में विश्वास करता हो, उसके आचरण में धर्म-निर्पेक्षता टपकती हो, जो शुद्ध राष्ट्रीय हो, ऐसों को बनाया जाय । ऐसे को न बना दिया जाय जो स्वयं सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने वाला और बल देने वाला हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर ले एक बार यह निर्णय कर लिया जाय कि वह कौन-कौन सी जमाअतें हैं जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं । और जब यह निर्णय हो जाय तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिये । इसके लिये मैं रियासत भाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष जी, मैंने बड़ी गंभीरता से अपने माननीय मित्र संड जी का भाषण सुना । उनकी पूरी स्पीच में मैं उनकी एक बात से सहमत हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश के अन्दर न तो हिन्दू मुसलमान का कत्ल करना चाहता है और न मुसलमान हिन्दू का कत्ल करना चाहता है । इस देश का हमारा इतिहास बताता है कि देश की आजादी के लिये इस धरती पर हिन्दू और मुसलमान दोनों का खून साथ-साथ बहा है, दोनों ने अंग्रेजों की गोलियों को खाया है, मिलकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का मुकाबला किया है । देश के आजाद हो जाने के बाद इस देश का निर्माण भी देश के हिन्दू और मुसलमान दोनों ने किया है और आज इस देश के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ने के लिये दोनों ही लड़ रहे हैं । मेरे मित्र कम्युनिस्ट पार्टी की बात कहते हैं । कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हिन्दू और मुसलमान कारखानों के अन्दर, खलियानों के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये हिन्दू और मुसलमान खुद नहीं लड़ते । उनको लड़ाने वाला मध्य वर्ग नहीं है, केवल फिरकापरस्त कहलाने वाले लोग ही नहीं हैं बल्कि उसमें वे तमाम लोग हैं जो देश में पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं ।

जब यह देश आजाद नहीं हुआ था तो उसने भी अपने साम्राज्यवाद को कायम रखने के लिये, इस देश को गुलाम बनाये रखने के लिये, इस देश के हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाया था । देश का इतिहास इस बात को जानता है । देश की आजादी की चाहे वह सन् २० की लड़ाई हो, चाहे ३० की लड़ाई हो और चाहे ४५ की लड़ाई हो, जब कि सारी जनता कंधे से कंधा भिड़ा कर अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, उन दिनों अंग्रेजों के इशारों पर देश के अन्दर झगड़े हुए । और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह]

आज भी जब देश की मेहनतकश जनता भुखमरी के खिलाफ लामे बन्दी कर रही है, समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, समाज का शोषण करने वाले वर्गों के खिलाफ अपना सिर उठा रही है, जिसमें हिन्दू और मुसलमान सब मिल कर संघर्ष करना चाहते हैं तो यही समाज को शोषण करने वाले लोग, समाज के अन्दर यथावत स्थिति कायम रखने वाले और पूंजी वादी शासन व्यवस्था को कायम रखने वाले लोग हैं वे हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने का, मजदूर और किसानों में फूट डालने का प्रयत्न करते हैं और समाज के अन्दर साम्प्रदायिक चीजों को बढ़ावा देते हैं ।

संड जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैं उनका आदर करता हूं । उन्होंने पूछा कि सन् ४७ के किसने साम्प्रदायिक पार्टियों को जन्म बिया, किसने साम्प्रदायिक जहर फैलाया । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४७ के बाद अगर इस देश के अन्दर किसी ने साम्प्रदायिक जहर फैलाया है, अगर किसी ने साम्प्रदायिक पार्टियों को जन्म दिया है तो उसको जन्म देने वाली वह पिस्तौल थी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर वार किया था और एक देश की महान् आत्मा का खून किया था । यह वह नौजवान था जिसे देश के अन्दर हिन्दू राष्ट्रवाद के नाम पर, जिसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को एक करने के नाम पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया । उनका कत्ल कर दिया जो देश के अन्दर हिन्दू और मुसलमान की एकता के लिये जी जान से लड़े थे। उसको जन्म देने वाला वह दर्शन था जिस पर वह यकीन करता था वह फिलासफी जिस पर वह नौजवान यकीन करता है वही विचाराधारा थी जिस पर वह नौजवान यकीन करता है । इसी चीज ने इसको जन्म दिया। आज वही लोग हैं जो देश के बड़े-बड़े नेता हैं जो उसको सर्टीफिकेट देते हैं कि वह बहुत बड़ा देशभक्त तथा राष्ट्रवादी है । महात्मा गांधी जी के कातिल को ये लोग देशभक्त और राष्ट्रवादी कहते हैं । यही विचारधारा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है ।

यहां पर मेरे माननीय मित्र ने हिन्दू मुस्लिम दंगों की बात कही है । माननीय रियासत हुसेन साहब ने मुरादाबाद के हिन्दू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया । सही बात है वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हुये । वह भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बड़े नियोजित ढंग से दंगे हुये, पूरे संगठन के साथ । इन दंगों को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया । मुरादाबाद की एक तस्वीर है दूसरी तस्वीर आपको देखनी हो तो आप अलीगढ़ जाइये । आज हमारे वही लोग जो आपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्होंने क्या किया ? कौन सी ऐसी मुसीबत हो गई थी अगर यूनुस सलीम वहां पर चुनाव लड़ने के लिये आगये थे । आप लोग तो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं तो फिर कौन सी ऐसी गम्भीर बात हो गई । वह भी देश का नागरिक है । आप तो देश के एकीकरण में विश्वास करते हैं अगर यूनुस सलीम हैदराबाद से अलीगढ़ में चुनाव लड़ने के लिये आते है तो कौन सी गम्भीर घटना हो गई ।

जैसे ही उनका पर्चा दाखिल होता है वहां पर मोर्चाबन्दी की आती है, भयंकर प्रचार उनके विरुद्ध किया जाता है । अलीगढ़ में दीवारों पर भयानक नारे लिखे हुये मिलेंगे । जैसे इंदिरा गांधी इस देश को मुसलमानों के हाथ बेचना चाहती हैं । पोस्टर्स छापे गये जिनमें दिखाया गया कि गाय माता के गले पर छूरा लगा है और खून बह रहा है । एक में दिखाया गया कि इंदिरा गांधी हैं और पूछ पकड़ कर गाय को नचा रही हैं । यह प्रचार किया गया कि इनके जमाने में गाय हत्या की खुली छूट होगी । इस तरह का भयंकर और गन्दा प्रचार अलीगढ़ की सड़कों पर किया गया इन्दिरा गांधी का नाम लेकर मुसलमानों का नाम लेकर और पाकिस्तान का नाम लेकर । इसके बाद क्या हुआ ? जब इस पर दंगा नहीं हुआ और अलीगढ़ की जनता ने इनका साथ नहीं दिया । जो साम्प्रदायिकता को दफनाना चाहते हैं अलीगढ़ की जनता ने उनको वोट दिया ।

इसके बाद पहली तारीख को क्या किया गया । एक नौजवान जो अपने को विद्यार्थी कहता है, उसका नाम नहीं लूंगा । वह पोलिंग बूथ पर जाता है और जो औरतें बुर्का ओढ़ कर वोट देने आती हैं उनका बुर्का ऊपर उठाता है और कहता है

कि यह लड़की नहीं लड़का है। इससे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उसको आखिर में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर दिया गया। कोई बात नहीं। लेकिन अलीगढ़ के नेता लोग कलक्टर पर जोर डालते हैं और वह जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद भी वे देखते हैं कि उनकी काफी सफाई हो गई। रात को मतदान के बाद एक बहुत बड़े पूंजीपति जो अलीगढ़ के हैं बड़े रईस हैं और बड़े उद्योग पति हैं, गृह मंत्री के पास उनका नाम है उसके मकान पर शाम को मीटिंग की जाती है बाकायदा योजना बनायी जाती है कि अलीगढ़ को खून से रंग दो अलीगढ़ के अन्दर भयंकर साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर के साम्प्रदायिक दंगे कराये जायं और मुझे फख्र है कि वहां एक चुनाव प्रत्यासी श्री पूरन सिंह मालान भी थे, उनको भी फंसाने की कोशिश की गई कि उस साजिश के अन्दर वह भी शामिल हों। चौगुटे के उम्मीदवार थे वह। लेकिन मुझे फख्र है कि उन्होंने यह कह दिया कि इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और फिर क्या देखते हैं कि २ तारीख को वही विद्यार्थी जो पहले दिन गिरफ्तार किया गया था, उस विद्यार्थी ने हवा फैलाई कि एक विद्यार्थी पुलिस की गोली से मार दिया गया है और एक बहुत बड़ा जुलूस दफा १४४ तोड़ कर निकाला गया। कहा जाता है कि विद्यार्थियों का जुलूस था। लेकिन उस जुलूस के अन्दर अर्थी निकाली जा रही थी युनूस सलीम की। अगर विद्यार्थियों का जुलूस था तो उससे युनूस सलीम का क्या सम्बन्ध था। मैं अलीगढ़ की बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि साम्प्रदायिकता वहां फैलाई राजनीतिक पार्टियों ने और यही इस प्रस्ताव का विषय है।

विद्युत उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)--

श्रीमन्, इस केस में जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है। माननीय सदस्य मौके की बात कह रहे हैं या सुनी हुई बात कह रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह--

मैं वहां गया नहीं लेकिन बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मामला अदालत के विचाराधीन है....

श्री गोविन्द सिंह--

इसको सब-जुडिस नहीं कहते, और फिर अगर मैं यहां नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी एक घटना की तफसील में जाना और उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करना ठीक नहीं, खासतौर पर जब वह न्यायालय के विचाराधीन हो।

श्री गोविन्द सिंह--

अगर मान्यवर, आपका आदेश है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन इस दंगे के सलियन्ट फीचर्स मैं बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक दंगे की चर्चा नहीं है। साम्प्रदायिक दंगे जो होते हैं उनकी चर्चा हो सकती है।

श्री गोविन्द सिंह--

और राजनीतिक दल कराते हैं, यही इसका विषय है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या किसी दल के डिटेल्स हम भी बतायें ? अगर ऐसा करने लगें तो फिर तो कई दिन लगेंगे।

श्री गोविन्द सिंह--

अगर मेरे मित्रों को परेशानी है तो मैं नहीं कहुंगा। मेरे माननीय मित्र अभी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सामप्रयिकता क्या है, उसकी परिभाषा होनी चाहिये। फिर उन्होंने अपने किसी नेता का हवाला दिया कि साम्प्रदायिकता क्या है। अगर सामप्रदायिकता की कोई परिभाषा नहीं है तो इस सदन के अन्दर आपने जो अपने भाषणों में कहा कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक है वह कैसे कहते ? आप ने अभी कहा कि मुस्लिम मजलिस साम्प्रदायिक है। तो वह साम्प्रदायिक कैसे हो गयी। उसी तरीके से मैं दूसरा सवाल अपने माननीय मित्र से पूछना चाहता हूं कि

[श्री गोविन्द सिंह]

अगर साम्प्रदायिकता की कोई परिभाषा नहीं है तो आज आप जो भारतीयकरण की बात करते हैं उसकी क्या परिभाषा है और कौन लोग भारतीयकरण की बात करते हैं? वही लोग जिन लोगों ने इस भारत माता के लिये कभी कुरबानी नहीं की है। जब अंग्रेजों का राज्य था तो आर० एस० एस० का संगठन मौजूद था। उनकी कवायदें होती थीं। लाठी डंडा चलाते थे सिखाते थे। लेकिन जब हमारे स्वयं सेवक विदेशी माल का बहिष्कार करते थे (हंसी)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक स्पष्टीकरण माननीय नेगी जी से चाहता हूं अगर वह देने की कृपा करें। जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ उस समय क्या सी० पी० आई० ने यह डिक्लेयर नहीं किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले गद्दार हैं? और सी० पी० आई० ने अंग्रेजों का साथ दिया?

श्री गोविन्द सिंह—

जब १९४२ के अन्दर इस देश के अन्दर आजादी का आन्दोलन चला तो उस समय मैं जेल-खाने में था। मेरे मित्र उस समय जेल के अन्दर नहीं थे। मेरे मित्र उस समय जनता को भड़काने में लगे हुए थे। मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां पर भारतीयकरण की बात करते हैं। जिस समय यहां पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद से जनता संघर्ष कर रही थी तो आप तब भी भारतीयकरण की बात करते थे। जब भारतीय जनता अंग्रेजी शासन का मुकाबला कर रही थी तब आपका यह भारतीयकरण कहां था? आप यह कह सकते हैं कि जनसंघ उस समय नहीं था लेकिन जो लोग जनसंघ के अन्दर मौजूद हैं और जनसंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीयता के नाम पर देश की जनता से वोट लिया है वह उस समय मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं उस आजादी के आन्दोलन के अन्दर आपने भाग लिया था? कम्युनिस्ट पार्टी के बहादुर आज भी उस देश की सेवा में मौजूद है। आज भी उस पार्टी की कतारों में वे बहादुर क्रांतकारी मौजूद हैं जो देश को ऊपर उठाने की बात करते हैं। आप हमको भारतीयकरण की बात सिखाते हैं।

इस चुनाव में भारतीयकरण का नाम लेकर चारों पार्टियां लड़ रही थीं। विन्ध्याचल पहाड़ के नीचे इन चारों पार्टियों ने इस नारे को लेकर यह चुनाव लड़ा था लेकिन एक मात्र प्रतिनिधि दक्खिन साइड से कामराज ही आये हैं। यह इनका भारतीकरण है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरह से पूरी कौम के साथ भारतीयकरण की बात करते हैं तो उस कौम को, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को आजादी के लिये कुरबानी दी है, जो कौम इस देश के निर्माण के लिये हिन्दुओं से कन्धा से कन्धा मिलाकर काम कर रही है उसके दिल पर चोट लगती है तो यह स्वाभाविक है। जब आप उर्दू भाषा को हिन्दी नागरी लिपि में लिखे जाने की बात करते हैं तो उनके दिल पर चोट लगती है। यह नारा जानबूझकर पैदा किया जाता है। यह नारा जानबूझकर इस देश में लाना चाहते हैं केवल इस मतलब से कि इस देश की मेहनत करने वाली अवाम एक जगह इकट्ठा न हो सके। इस मकसद से हमारे इस देश की मेहनतकश जनता को गरीब बनाकर अपनी समाज व्यवस्था रखना चाहते हैं जिसमें गरीब इस देश में पनप न सके। इसलिये इस प्रकार का साम्प्रदायिक नारा हमेशा उठाते हैं ताकि जनता नीचे दबी रहे। (धन्यवाद)।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गोविन्द सिंह अपनी पिछली हिस्ट्री को पढ़ना भूल जाते हैं। आप इस बात को याद रखिये कि १९४२ के अन्दर जिस आन्दोलन के अन्दर आप जेल गये तो मैं भी जेल गया और बहुत से लोग जेल गये लेकिन सवाल यह नहीं है कि उस समय कौन-सा नेगी जेल गया या कौन सा नित्यानन्द जेल गया। सवाल यह है कि जिस समय अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी और इस देश की ४० करोड़ जनता संघर्ष कर रही थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या यह नहीं कहा था कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के पिट्ठू हैं और सुभाषचन्द्र बोस उनकी जूती चाटने वाले हैं? क्या यह आपकी पार्टी ने उस समय नहीं कहा था? आपकी पार्टी ने उनका विरोध किया था या नहीं? यह स्पष्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बात कुछ भी कही जाय लेकिन जो तथ्य है वह किसी प्रकार से झूठ नहीं किया जा सकता।

यह प्रस्ताव रियासत हुसैन साहब लाये हैं। मैं उनकी कद्र करता हूं परन्तु मैं समझता हूं उन्होंने सदन में समय समय पर जो विचार रखे उन से किसी को किसी प्रकार की असहमति नहीं होना चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है कि वह इस मुकदमे को ऐसी अदालत में लेकर चले आये जिस के लिये इस विधान सभा का या इस सरकार का जुरिसडिक्शन ही नहीं है। इस विधान सभा में जो आप प्रस्ताव लाये हैं कि कमीशन बिठाया जाना चाहिये, उसमें किसी को कमीशन की स्थापना तक एतराज नहीं हो सकता और न होना चाहिये और अगर उस दिशा में कोई कार्य किया जा सकता है तो वह आज ही हो जाय लेकिन जब आगे वह अपने इस प्रस्ताव में यह कहते हैं, प्रस्ताव को बीच में से काटा भी नहीं जा सकता, प्रस्ताव की भाषा में कहा गया है कि "ऐसे दल जो साम्प्रदायिक हैं, दंगा कराते हैं उन दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।" लेकिन सवाल यह है कि कौन से कानून के अन्तर्गत यह सरकार उन पर प्रतिबन्ध लगायेगी, वह प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। वह बात दूसरी है कि इस प्रस्ताव को लेकर यहां विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है और एक अहसास लोगों को इस से हो रहा है कि कौन सी पार्टियां तुष्टीकरण के लिये इस हदतक नीच जा सकती हैं कि वह यह भी भूल जाय कि देश का हित किस चीज में है।

कहा जाता है कि माइनारिटीज के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। इसका तो हमारा संविधान साक्षी है और आज जो लोग देश में निवास करते हैं चाहे वह अल्पमत वाले हों या बहुमत वाले हों अगर वह आगे के लिये माइनारिटी या मेजारिटी की बात कहना छोड़ दें तो अच्छा है। अगर साम्प्रदायिकता को वह निकालना चाहते है दिमाग से तो वह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात को छोड़ दें और पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग या एकनामिक माइनारिटी के टर्म्स में सोचें तो अच्छा है। उन के पास साधन कम हैं उन के हितों की रक्षा की जाय, उन का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है तो यह बात समझ में आ सकती है। उन के हितों को ठीक किया जा सकता है और उन की सुरक्षा होनी चाहिये। हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था तो उन्होंने अनुच्छेद इस के लिये अलग से उसमें रखा कि जो सो-काल्ड अल्पमत के लोग हैं, मैं तो इस प्रकार की अल्पमत को नहीं मानता, मैं तो समझता हूं कि देश में जितने भी लोग आज निवास करते हैं चाहे वह किसी धर्म, सम्प्रदाय को मानते हों, किसी पन्थ के अनुयायी हों सब को देश के प्रति वफादार रहना चाहिये, सभी इस विशाल देश के नागरिक हैं लेकिन संविधान बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि इस से आगे क्या स्थिति पैदा हो जायगी।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए।)

सन् ४७ में जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले का एक इतिहास हमारे सामने है, मैं कहूंगा कि वह भारतवर्ष का एक काला इतिहास है, इस के माने यह नहीं कि देश के लोगों ने आजादी के लिये एक संघर्ष किया वह काला है लेकिन उसी का एक पिछला वर्क है उसको मैं काला इतिहास कहता हूं। सन् ५ से लेकर १९४७ तक एक नारा लगा और ऐसी हवा चली और पहले तो यह कहा गया कि देश में कुछ अल्पमत केलोग हैं उन के हितों की रक्षा होना चाहिये, उस के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की कि हमें कुछ सीटें मिलनी चाहिये और फिर धीरे-धीरे इस की पुष्टि कांग्रेस के नेतृत्व ने भी की और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देश के महान नेता महात्मा गांधी से लेकर नीचे तक के लोगों ने एक भारी गलती देश के साथ की कि उन लोगों को अल्पमत वर्ग मान लिया और उन के हितों की रक्षा के नमपर एक के बाद दूसरी सुविधा उन को देना शुरु की, नौकरियों में उनका प्रतिशत माना गया, ले जिस्लेचर में उन को सीटें रिजर्व की गई, उन को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गयाऔर इस भूल से एक दिन यह भी आया कि उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र और एक देश में निवास नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति अलग है और अन्त में २ राष्ट्रों की थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान की मांग हमारे सामने आ गई।

भाई रियासत मेरी बात से सहमत होंगे। आज इस बात से सहमत होंगे, १९४७ से पहले हों या नहीं जैसा कि भाई जायसवाल जी ने कहा कि अगर देश के अन्दर पाकिस्तान का निर्माण

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

न होता तो आज इन दोनों देशों का करोड़ों रुपये का नुकसान न होता। पाकिस्तान की सेनायें हमारी सीमाओं की ओर बन्दूक ताने खड़ी हैं और हमारी सेनायें उधर की ओर सुरक्षा की दृष्टि से खड़ी हुयी हैं। आज दोनों मुल्क हजारों और करोड़ों रुपये का नुक्सान बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा पिछड़ा वर्ग नहीं उठ पा रहा है। हमने जो टू नेशन थियोरी को मान लिया है क्या इससे विष का दमन हो गया। विष का दमन नहीं हुआ, वह विष फिर दुबारा फैल रहा है? उधर से एक भाषण दिया गया, सौभाग्य से मुझे उसे सुनने का मौका नहीं मिला उन्होंने कहा कि हम जो भारतीयकरण का नारा लगाते हैं, वह गलत है। भारतीयकरण मुसलमानों का ही नहीं हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति का भारतीय करण करना चाहते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक भारतीय के भारतीयकरण की क्या आवश्यकता है। देश के अन्दर मेरे से लेकर ४० करोड़ जो निवास करते हैं, आज उनके दिल दिमाग से पूछना चाहिए कि तुम्हारी ल्वायल्टी रूस के साथ तो नहीं, तुम्हारा प्रेम चीन के साथ तो नहीं? पाकिस्तान के साथ तो नहीं है? तुम्हारा प्रेम किसी और दूसरे देश इंगलैंड या अमेरिका के साथ नहीं चाहिये। आज सदन के अन्दर हम अलग-अलग दलों में बैठ गये हैं लेकिन हम सब इस भारत माता के पुत्र हैं और हमारा यह पहला कर्तव्य है कि हम देखें कि फिर से इस देश में कोई गद्दारी न हो जाय, कोई ऐसा हादशा न हो जाय कि फिर से हमें देश का बंटवारा करना पड़े।

अभी यहां पर कुछ पहले यह कहा गया कि यहां की माइनारिटी बड़ी दुःखी है। अगर यहां की माइनारिटी अपने को असुरक्षित समझती है तो मैं तो यह कहूंगा कि कहीं न कहीं दिमाग की कमजोरी है। केन्द्रीय सरकार ने जो इस बारे में एक कमीशन बैठाया था और आप आंकड़े उठा कर देखें तो आप पायेंगे कि पिछले २–३ वर्षों में जो २३ दंगे हुए हैं, जिनकी जांच उस आयोग ने की, उनमें से २२ दंगे जो आज हमारी माइन रिटी कहलाई जाती है, उसकी ओर से हुए। यह रिपोर्ट हमारे हाई कोर्ट के जजेज की है जो उस कमीशन में थे। केवल एक दंगे में कहा गया कि मैजोरिटी की ओर से हुआ। उसमें भी उसका हाथ नहीं था बल्कि उनका जलूस गलत रास्ते से गया तो उससे हो गया। तो इस प्रकार २३ दंगों में से २२ माइनारिटी की ओर से आरम्भ हुए।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी माइनारिटी है वह अपने को असुरक्षित समझती है या जो वह हमारी मैजारिटी है, बहुसंख्यक समाज है वह समझे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में इन लोगों को कितनी सुविधा दी गयी है, जो अपने को माइनारिटी कम्युनिटी का कहते हैं। हमारे संविधान की धारा २९ के अन्दर इनको इस बात का अधिकार दिया हुआ है कि वे अपने यहां पर रहते हुए जो उनका धर्म है उसके हिसाब से काम करें, उसमें उनको कोई असुविधा नहीं है। इसी प्रकार से २९(२) में भी है। धारा ३०, ३० (२), ३४७ भी संविधान की ऐसी है जिनमें इनकी अपनी रुचि की शिक्षा–संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ३४७ के अन्दर इनको भाषा का अधिकार दिया गया है और इसी तरह से धारा ३५०, (ए) व (बी) में उनको भाषा और धर्म की रक्षा का प्रबन्ध किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के संविधान को पढ़ने की कोशिश की गयी? क्या हमने उसका जायजा लेने की कोशश की? पाकिस्तान के अन्दर क्या कोई हिन्दू राष्ट्रपति बन सकता है, क्या कोई चीफ जस्टिस बन सकता है, क्या कोई हिन्दू पब्लिक सर्विस कमिशन का बड़ा ओहदेदार बन सकता है? ऐसा नहीं है।

हिन्दुस्तान के अन्दर चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला बन सकता है। यहां के राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन बन सकते हैं, इस देश के अन्दर बड़े से बड़े ओहदे पर जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं वह जा सकते हैं। इस देश के अन्दर जो तथाकथिन अल्पसंख्यक हैं उसको क्यों चिन्ता होती है कि उनके हितों की रक्षा नहीं है। मैं एक किताब पढ़ रहा था एस० के० घोष की जो, रायट्स के ऊपर लिखी है। उन्होंने सारे देश का सर्वेक्षण किया, जो इन्सपैक्टर

जनरल पुलिस, उड़ीसा के थे। उन्होंने सारा सर्वेक्षण करने के बाद जितने रायट्स हुए उनकी विवेचना करने के बाद कहा कि हाल में रायपुर, जबलपुर, मध्यप्रदेश, जमशेदपुर, रांची, हटिया रूरकेला, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा में जो रायट्स हुए हैं, लगभग सभी रायट्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये रायट्स वहां हुए जहां मुस्लिम माइनारिटी पापुलेशन २० से ४० प्रतिशत तक निवास करती थी। यह पहला फीचर है जो उन्होंने अपनी किताब में कहा। किन्तु श्रीमन्, ऐसा क्यों हुआ। यह आरोप बड़ी आसानी से लगाया जाता है कि जनसंघ के लोग साम्प्रदायिक दंगा कराते हैं। दिल्ली के अन्दर चले जाइये। दिल्ली के अन्दर जनसंघ का प्रशासन था।

अभी कल आपने भाषण के अन्दर कहा कि मुरादाबाद की सीट जनसंघ ने ले ली, अलीगढ़ की सीट दंगा कराकर जनसंघ ने ले ली, हालांकि वह सीट बी० के० डी० ने ली है। उन्होंने कहा कि यह जनसंघ की टैक्नीक है। हमारी यही टैक्नीक होती तो सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में था। हम चाहते तो क्या कुछ करा सकते थे। क्या हम सात सीट खो देते? यह गलत प्रचार है। बड़े हल्के ढंग से कहा जाता है जनसंघ को बदनाम करने के लिये। अभी भाई गोविन्द सिंह नेगी और श्रीकृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने भी कहा। कुछ तर्क ऐसे हो गये हैं जो बहुत पुराने तर्क पड़ गये हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे पहले तो महात्मा गान्धी के हत्यारे कहा गया। जब गोडसे का ट्रायल हुआ तो स्पष्ट हो गया कि गोडसे का संघ या जनसंघ से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसके बाद कमीशन बैठा दो बारा से गान्धी जी की हत्या के बारे में जांच करने के लिये। उसका भी जजमेन्ट यह हुआ कि इसका जनसंघ या संघ से कोई सम्बन्ध नहीं था। तो एक नया नारा दिया गया। न. र. यह कि जो विचार जनसंघ के हैं जो विचार संघ के हैं, उनसे महात्मा गान्धी की हत्या हुई।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार तो ये हैं कि इस देश के अन्दर जब हम यह कहते हैं कि भारतीयकरण होना चाहिये, हमारे विचार सीधे साधे हैं। जैसा कि हमारी टीम पाकिस्तान से हारती है तो हमारे रियासत भाई को भी उतना ही अफसोस होना चाहिये जितना हमें, मुस्लिम भाइयों को उतना ही अफसोस होना चाहिये लेकिन श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी हिन्दुस्तान की टीम हार गई, पाकिस्तान की हाकी की टीम जीत गई तो पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे कई मुस्लिम बस्तियों के अन्दर लगाये गये। मैं कहता हूं कि इस देश के अन्दर जब वे खाते पीते हैं, इस देश के अन्दर उन्हें तरक्की के समान अवसर तो पाकिस्तान जिन्द बाद के नारे य दूसरे देश के या दूसरे मुल्कों के जिन्दाबाद के नारे किस लिये? इसलिये हम कहते हैं कि भारतीयकरण होना चाहिये।

भारतीयकरण की बात से इतना डर क्यों लगता है। मैं कहना चाह रहा था कि अभी हाल में कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या हुई है वह इन विचारों से हुई है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चाहे यह बात अच्छी लगे या न लगे क्या महात्मा गांधी किसी शरीर के पुतले का नाम था, क्या हड्डी, पसली या मांस के व्यक्ति को महात्मा गांधी कहते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो गलती करते हैं। महात्मा गांधी वह सिद्धान्त है, सत्य का, अहिंसा का, देश प्रेम का और उनके जो नैतिकता के सिद्धान्त हैं उन्हीं का नाम महात्मा गान्धी था और मैं आरोप लगाता हूं कि आज महात्मा गांधी के उन चेलों पर जो इस ओर बैठे हैं कि वे महात्मा गान्धी की हत्या एक बार नहीं दिन में सौ-सौ बार करते हैं। नैतिकता की हत्या करके, अहिंसा की हत्या करके, सत्य की हत्या करके, प्रतिदिन महात्मा गांधी की हत्या करते हैं। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आज यह बात उन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती जो लोग प्रति दिन महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को पैरों के तले कुचलते हैं और अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं।

अभी सी० पी० आई० की ओर से कहा गया कि वह देश के अन्दर साम्प्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं। नेशनल इंटेग्रेशन काउन्सिल की मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

कि देश के अन्दर दौरा किया जाएगा, सब पार्टी साथ चलेगी। लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से काउन्सिल का वहिष्कार किया गया और वह इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि देश के अन्दर से साम्प्रदायिकता को खत्म करने के लिए कदम उठाएं।

मैं रियासत जी से पूछना चाहता हूं कि आप साम्प्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं लेकिन बम्बई में शिव सेना के साथ पी० एस० पी० गठबन्धन करती है, तो क्या इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिलता ? आज नयी कांग्रेस बड़े जोर-शोर से इस बात को कहती है। आपने अपने यहां चार सदस्यों को लिया है अहमदलूत खां साहब, शेरवानी साहब, अनवार साहब और श्रीमती कुदसिया बेगम ।

(व्यवधान)

मैं क्षमा चाहता हूं अनवार साहब के बारे में बताया गया कि वह नहीं गए हैं। खैर, जो भी सदस्य नयी कांग्रेस में गए हैं वह किन विचारों को लेकर गए हैं ? हर एक ने कहा कि अलीगढ़ में जो सरकार ने नीति बरती है इस कारण उन्हें परेशानी है। उन्होंने यह नहीं कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियां उन्हें बहुत पसन्द है। इन लोगों के त्याग पत्र में यह लिखा है कि अलीगढ़ के अन्दर सरकार द्वारा जो नीति अपनायी गयी है वह हमें पसन्द नहीं है। क्या इन लोगों का यह कहना उचित होगा कि हम साम्प्रदायिक नहीं हैं। साम्प्रदायिकता अगर किसी ने दिखाई है तो ऐसे लोगों ने ही दिखायी है। अलीगढ़ का सवाल एक कमीशन के सामने है। अभी फैसला भी नहीं हुआ कि किसकी ज्यादती है और आपने अभी से फैसला दे दिया और उसके आधार पर त्यागपत्र भी दे दिए।

दूसरी ओर, जहां जहां भी जनसंघ के सदस्य जीते हैं। ४२–४३ सदस्य यहां पर आये हैं जनसंघ के। मुझे बतलाया जाय कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुसलमान अपने आप को असुरक्षित समझता है। मैं निमंत्रण देता हूं यहां के माननीय सदस्यों को कि वे देहरादून चलें, देहरादून की मुसलमान कालोनी के ऊपर केवल जनसंघ का झण्डा फहराता है, और दूसरा झण्डा नहीं है। हमने उनको हृदय से लगाना सीखा है। हम नहीं चाहते कि उनके पाकिस्तान की हां में हां मिलाते रहें, उनके गलत कामों को समर्थन देते रहें। लेकिन हम चाहते हैं कि उनको साथ लेकर चलें, देश की मुख्य धारा के अन्दर लाएं। छागला साहब ने अपने भाषण में कहा था कि यहां का मुसलमान अभी मुख्य धारा के अन्दर विलीन नहीं हुआ।

श्रीमन्, आप को याद होगा कि जब हम कहते हैं कि इस देश की एक ही संस्कृति है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, एक मिनट और दे दें। अभी एक प्रश्न गोविन्द सिंह जी की तरफ से उठाया गया कि कौन साम्प्रदायिक है और कौन नहीं। श्रीमन्, नई दिल्ली के अन्दर एक कांफ्रेंस हुई। २१–१२–१९७० की घटना है, श्रीमन् एक मुस्लिम कांफरेंस हुई और वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम डिमान्ड प्रपोर्सनल रिप्रेजेन्टेशन। उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन मांगा है, अलग से रिप्रेजेन्टेशन मांगा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग से रिप्रेजेन्टेशन की बात आखिर क्यों की ? मुस्लिम लीग को नयी कांग्रेस ने केरल में पैदा किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने १०–१० भाषण उनके मंच से दिए। क्या केरल मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक नहीं है ? और क्या मुस्लिम मजलिस के लिए मुरादाबाद में एक सीट नहीं छोड़ी गयी ? हमारे देश में बंगाल के अन्दर एक नई सरकार बनने वाली है नयी कांग्रेस की।

क्या मुस्लिम लीग उनका पार्टनर नहीं बनने वाली है ? जब आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक है तो मुस्लिम लीग को कौन पैदा कर रहा है, इसका उत्तर आना आवश्यक है। अगर कोई साम्प्रदायिकता पैदा कर रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि

इस देश के अन्दर नयी कांग्रेस साम्प्रदायिकता को पैदा कर रही है। नये सिरे से जहर पैदा कर रही है, नये सिरे से इस देश के अन्दर नया पाकिस्तान बना रही है। देश के हित को बलि चढ़ा कर, देश के हित को एक तरफ रख करके नयी कांग्रेस ने केवल चुनाव में सीटों को जीतने के लिये मुस्लिम लीग को पैदा किया है। इसलिये मैं आरोप लगाता हूं माननीय कृष्णचन्द्र जी पर और उनकी पार्टी पर कि इस देश के अन्दर मुस्लिम लीग को पैदा करके एक नया पाकिस्तान बनाने की नीति पर चल रही है। इसलिये माननीय रियासत जी के प्रस्ताव की भावना से सहमत होते हुए मैं इस बात को कहता हूं कि संवैधानिक आपत्तियों के कारण प्रस्ताव इस सदन के अन्दर पारित नहीं हो सकेगा। लेकिन जो लोग मेरी बात से सहमत हैं उनको नयी कांग्रेस को कंडम करना चाहिये जिसने इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो रेज्योलूशन हमारे भाई रियासत हुसैन ने पेश किया है, मैं उसका बहुत दिल से और बहुत जोश से समर्थन करती हूं। मैं यह नहीं जानती कि वह कमीशन या उसके ऊपर जो जमायतें लगी हैं वे कुछ कर पायेंगे या नहीं लेकिन जिस स्पिरिट से यह रेजोलूशन लाया गया है उसमें है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता, फिरकापरस्ती हमारी बड़ी दुश्मन है और इसलिए वे चाहते हैं कि देश में चाहे किसी मजहब या जाति की तरफ से वह हो, एक गलत चीज है, और उसे हमें खत्म करना चाहिये। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारे भाई यहां बैठे हुए हैं वे यह भूल गये कि वे एम० एल० ए० हैं, उनको यहां कायदे कानून बनाना है, उनको यहां पर देश का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है। वे यहां पर एलेक्शन भाषण नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस बुरी है, जनसंघ गलत है या कम्युनिज्म गलत है। अगर पूरी तवारीख को देखें तो तवारीख तो स्कूल और कालेजों में पढ़ायी जाती है और इस वक्त तवारीख का हम सिर्फ इसलिये इस्तेमाल करें कि हमें सबक सिखाया जाय। गलत चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो यह सही है।

अभी स्वामी जी ने सही बात कही कि यह गरीबी और बेरोजगारी का सवाल है, गरीबी से लड़ाई लड़ने का सवाल है और अगर गरीबी को और बेरोजगारी को दूर करना है तो एक नैशनल तरीके पर हमें फिरकापरस्ती को दूर करना चाहिये। फिरकापरस्ती को चाहे हिन्दू ले कर आयें या मुसलमान लेकर आयें, एक गलत चीज लेकर आयें तो उसने हमारे दिल व दिमाग को हिला दिया, हमारे भाइयों को उनके घरों से भगा दिया, उनके तमाम घर बर्बाद हो गये। सन् १९४७ में जो जख्म लगा, हम अपने उन भाई बहिनों को जानते हैं जिन्होंने पेशावर और लाहौर में अमन व चैन की जिन्दगी देखी है और आज हमने उन बूढ़े बुढ़ियों को देखा है जो दिल से रोते हैं। गलत बात कितनी गलत है, इसको सभी जानते हैं लेकिन इसके बजाय हमने उनसे कोई सबक नहीं लिया है।

१९४७ तक हम गलत रास्ते पर चले। अंग्रेजों ने सेपरेट एलेक्ट्रेट की जो पालिसी निकाली कि मुसलमान मुसलमान का और हिन्दू हिन्दू का वोट ले ताकि एक दूसरे के दिलों में नफरत का बीज पैदा होते रहें। इससे हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ। कोई भी सरकार रहे उसको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिये कि जिससे इस देश की जनता और यहां के अवाम का अहित हो। सरकार किसी की नहीं होती है वह तो जनता की सरकार होती है और सरकार को जनता की देखभाल करनी है। हमें सरकार को सुझाव देना है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसको खत्म करना है। इस बात को हमने सन् १९४७ तक सीख लिया था और फिर से उसी चीज को दोहराना नहीं चाहिये। हमने सदा यह देख लिया है कि जनता ने कभी साम्प्रदायिक फिरकापरस्ती का साथ नहीं दिया है। सन् १९४७

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला]

में क्या हुआ था ? हजारों हमारे भाई बहनें तबाह हो कर हिन्दुस्तान में आये, उनके दिल रो रहे थे। उन्होंने कोशिश करके यहां पर अपने घर बसा लिये हैं और उसी तरह से सुख चैन से रहने लगे हैं, चैन के साथ। उन्होंने साम्प्रदायिकता को भुला दिया है।

हमारे देश की जनता ने जाकिर हुसैन साहब को अपना राष्ट्रपति बनाया और हिदायतुल्ला साहब को अपना चीफ जस्टिस बनाया। आम जनता में हिन्दू या मुसलमान की भावना नहीं है बल्कि यह तो कुछ लोग अपने मतलब से उठाया करते हैं। जिन्ना साहब जिनको न तो उर्दू आती थी और जो न नमाज ही पढ़ते थे बल्कि जो हिन्दू और मुसलमानों में आपसी लड़ाई डालते थे वे पाकिस्तान के सदर बन गये। ऐसे स्वार्थी लोगों से हम को सावधान रहना चाहिये। असली मुसलमान या असली हिन्दू वही है जो दूसरों की सेवा करे, मदद करे वही सच्चा इन्सान है। हमारे धर्मों में यह कभी और कहीं नहीं कहा गया है कि तुम अपने स्वार्थ के लिये दूसरों में फूट डलवा दो। इसलिये मैं नहीं मानती कि हमारी जनता ने यह किया है। चाहे वह जनसंघ हो या मुसलिम मजलिस के लोग हों वे सभी भाई भाई की तरह से हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो उस को हम को जरूर मानना चाहिये। अगर गलती करके भी कोई अपनी गलती को नहीं मानता तो किस तरह से गल्ती खत्म हो सकती है। कहा गया है "घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय"। जनता परेशान हो रही है, वह दुखी है उसकी हालत को और कोई नही जान सकता।

सन् १९४७ के बाद जो लोग पाकिस्तान से निकाले गये थे उनको तकलीफ पहुंची थी। उनको यह मालूम था कि मुस्लिम लीग ने ही उनको परेशान किया है और उसने उनको यह दिन दिखा दिये। भिवन्डी में जो गड़बड़ हुई थी, जब्बलपुर में जो गड़बड़ हुई थी वहां के पीडित लोगों से मैंने पूछा था। न मालूम कितने घर जला दिये गये थे, कितने बच्चे खत्म हो गये। एक औरत के ४ बच्चे जला दिये गये। जब उनसे पूछा तो यह मालूम हुआ कि ऐसा जनसंघ और शिव सेना के कारण हुआ। यह ठीक है कि त्रिपाठी जी और डा० पी० डी० कपूर यह नहीं कहते कि ऐसा करो परन्तु वहां पर कुछ ऐसा हुआ। जब मैं यह सुनती हूं कि जनसंघ हमारी दुश्मन है तो मुझको दिली सदमा होता है, यह बात गलत है। पाकिस्तान की जीत हुई या हिन्दुस्तान की जीत हुई परन्तु हमारी जीत का सेहरा हमारे हिन्दू मुसलमान दोनों ही भाइयों पर है। मुसलमान भी अपने काम की आजादी में कभी पीछे नहीं रहे हैं। मेजर शेख ने अपनी जान दे दी। अब्दुल हमीद हिन्दू सिपाहियों के साथ बराबर देश के लिये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। जब डा० शेख को डाक्टर दवा देना चाहता था तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब बच नहीं सकता लेकिन आप हमारे देश को बचायें क्योंकि मैं अब मर जाऊंगा लेकिन आप हमारे देश को बचाते रहें।

मैं सिर्फ अध्यक्ष महोदय, यह याद दिलाना चाहती हूं कि हमें कुछ मिसालें गैर-जिम्मेदार लोगों की मिलती हैं कि उन्होंने तालियां बजा दीं या पाकिस्तान जिन्दाबाद कह दिया। हमें याद है कि १९६२ में हम मिलजुल कर लड़े चीन से और १९६५ में लड़े पाकिस्तान से। हमको साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती को दूर करना है। हमें सब से बड़ी तकलीफ साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती से ही है। मैं समझती हूं कि इस इलेक्शन से बड़ा साफ नजारा हमारे सामने आ गया है। आप अध्यक्ष जी जानते हैं कि मुज्जफरनगर, जहां से चौधरी चरण सिंह हारे, वहां न इन्दिरा जी का आदमी था और न ही वहां इन्दिरा जी गयीं। वहां से एक कम्युनिस्ट विजयपाल सिंह जीता। वहां चार मुसलमान भी खड़े हुए थे लेकिन जनता ने उनको वोट नहीं दिया। आज हिन्दू जान गया है, मुसलमान भी जान गया है। हिन्दू अपने परमात्मा को याद कर सकता है, मुसलमान अपने खुदा को याद कर सकता है। लेकिन उस की परेशानी गरीबी, बेरोजगारी, फिरकापरस्ती की है। जनता यह समझ गयी है और अच्छी तरह समझ गयी है कि जो इनको दूर

करने के लिए तैयार हैं वह उसी के साथ चलेगी। आप चाहे समाजवाद या सेकुलरिज्म की बात करें लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता पर। एक तरफ प्रिवी पर्स को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनता के साथ हैं तो जनता यह कैसे मान ले कि आप जनता के साथ हैं। जिन लोगों ने बैंक नेशनलाइजेशन की मुखालफत की और कहा कि १५० करोड़पति जिन्दा रहें चाहे जनता मरे, तो हिन्दू जब मन्दिर में पूजा करने जायेगा तो अपने पंडित के साथ जायेगा और मुसलमान जब मस्जिद में नमाज के लिये जायेगा तो मौलवी के साथ जायेगा लेकिन जनता जब राजनीति के मैदान में जायेगी तो ईमानदार आदमी के साथ जायेगी और उसके साथ जायेगी जो समाजवाद लायेगा, जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेगा, जो प्रिवी पर्स को खत्म करेगा और जो बैंक नेशनलाइजेशन करके अवाम में पैसा बंटवायेगा।

मैं आपके माध्यम से याद दिलाऊंगी कि प्रिवी पर्स का मामला जनता के दिलों में बड़ा चुभा। आप चाहते हैं कि खाली बैठे बैठे लोगों को थैलियां मिला करें। इसी तरह से मैं याद दिलाऊंगी कि जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जनसंघ भी चाहता है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से मुहब्बत करें, सोशलिस्ट भी यही चाहते हैं कि वे आपस में मिल कर रहें तो यह मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जनसंघी भाइयों के साथ, सोशलिस्ट भाइयों के साथ कोई तकलीफ नहीं हुई, हम साथ-साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं लेकिन वह गरीब जिसको परेशानी है उस को इत्मीनान हो कि "जनसंघ एक समाजवादी और साम्प्रदायिकता के खिलाफ पार्टी है। वह महसूस करे कि यह हिन्दू मुसलमान सभी से मुहब्बत करती है। आज अक्लीयत का मसला नहीं अक्सीरियत, फिरकापरस्ती और बेकारी का मसला है जिसे हमें हल करना है। जब भी मिल जुलकर लड़े हैं हमारी जीत हुई है। इसलिये हम फिरकापरस्ती को भी मिलजुल कर दूर करें चाहे वह हममें हो या आप में हो। अगर हमारे दिल में गलत भी शक शुबहा है तो उसे हमारे भाई को दूर करना है।

मुस्लिम मजलिस का एक पेपर है और जिसका नाम "कायदे शरीफ" है। मैंने कहा था कि इसका नाम "कायदे" न रखो क्योंकि पता नहीं इससे कितने लोगों के दिल दुखेंगे। उन्होंने वह नाम रखा, मगर मेरा मतलब यह था कि इन छोटी-छोटी चीजों को छोड़िये। इस नाम से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की याद आती है जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था और न जाने कितनी तकलीफें बर्पा की थीं। मैंने कहा कि क्यों ऐसा नाम रखते हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। बड़े अच्छे आदमी होंगे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मैं नहीं कहती, मगर उससे लोगों के ऊपर बुरा असर हुआ और भाइयों और बहनों को तकलीफ हुई। जब लोगों के दिमाग में परेशानी है तो हम लोगों का फर्ज हो जाता है कि हम शक और शुबहे को दूर करें। हमारा फर्ज है कि हम अपने भाइयों और बहनों से कहें कि हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं, हम तुम्हारी बहनें हैं। इसी तरह से पार्टियों को भी चाहिये कि वे इस बात का सबूत दें, महज जबानी जमा खर्च न करें कि वे जनता की सेवा करने आई हैं। अगर ऐसा होगा तो मुसलमान भाई भी कहेंगे कि जन संघ से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें उस जमात से क्या एतराज हो सकता है? इसी तरह से अगर मुस्लिम मजलिस भी ऐसा काम करती है तो हमारे हिन्दू भाई भी कहेंगे कि यह पार्टी बड़ी अच्छी है, हमारी बड़ी दोस्त है, हमें इसमें क्या एतराज हो सकता है? मगर इस सब के लिए एक शर्त है कि एक-एक बच्चा, एक-एक भाई और एक एक बहन सबके दिलों में यह भरोसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे की तरह हैं। हम को सही बातों को लेकर चलना चाहिए।

अध्यक्षता महोदय, अब मैं मुलभरी, बेरोजगारी और नाइन्साफी के बारे में कुछ अर्ज करना चाहती हूं। नाइन्साफी का बड़ा भारी मसला है जिसको कि हमें दूर करना है। आप नाइन्साफी को दूर करें, चाहे लेजिस्लेशन के जरिये ही सही, मगर दूर करें। अगर आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन के जरिये से नहीं कर सकते हैं तो खयालात के जरिये से दूर करें।

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला]

मैं आप के माध्यम से श्री जायसवाल जी से कहना चाहती हूं कि वे बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं, मगर बातें ऐसी कीजिए जिन पर कि अमल हो सके। उन्होंने बड़ी प्यारी तकरीर की और बड़े अच्छे इतिहास का बयान किया। जनता की बड़ी-बड़ी तकलीफें हैं, खाली बातें करने से वे कैसे दूर होंगी? बातें करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। जनता, जिसने आप को वोट दिया है, चाहती है कि उस की गरीबी दूर हो और आप उसकी हर वक्त याद रखें, उसके चैन, उसके अमन और उसकी खुशहाली की बातें सोचें। आज फिरकापरस्ती बढ़ रही है और इसकी वजह से हम बेचैन हैं। इस मुल्क में एक बड़े भारी तब्के पर मुसीबत आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आज श्री रियासत हुसैन साहब के रिजोल्यूशन पर ध्यान देंगे। हम सब एम० एल० एज० को सोचना और समझना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप चाहे लेजिस्लेशन के जरिये से या और किसी जरिये से उसे दूर करेंगे। साम्प्रदायिकता का जो जहर हमारे बीच में फैला हुआ है वह दूर होना चाहिए और इसके खात्मे के लिए आप जरूर सोचें। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैंने इस तरफ के और उस तरफ के लोगों के विचारों को बड़े ध्यान से सुना। साम्प्रदायिकता को दूर करने के और उसके फैलने के कारणों के बारे में भी बहुत से लोगों ने अपने-अपने विचार रखे। श्रीमन्, मैं यह बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि समाज में जो सम्प्रदाय रहते हैं, उनकी अपनी-अपनी आस्थाएं हैं, अपनी-अपनी मान्यताएं हैं और अपने-अपने आधार हैं। साम्प्रदायिकता का सिर्फ एक ही कारण है और वह उस वक्त पैदा होता है जब कोई सम्प्रदाय अपने को राज्य में ऊंचा समझ कर अपने कार्य-कलापों को इस तरह से बनाता है कि दूसरे सम्प्रदाय या तो स्वतः ही दब जाते हैं या दबाये जाते हैं। जब ऐसे कारण होते हैं तभी साम्प्रदायिकता का जन्म होता है।

इसी प्रसंग में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को खंडित करने का जो विचार आया वह नीचा विचार था। जिस मिस्टर जिन्ना के दिमाग में यह विचार आया, तभी साम्प्रदायिकता का जन्म हुआ। फिर अंग्रेजों ने उसको प्रोत्साहित किया। नतीजा क्या हुआ? हिन्दुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, भारत माता की छाती फट गयी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्दा थे, उन्होंने एक नासमझी की, केरल में बिना मुसलिम लीग के घोषणा-पत्र को पढ़े उससे समझौता किया जिसको बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मुसलिम लीग के घोषणा-पत्र को नहीं पढ़ा था, यह उनसे गलती हुई। उस समझौते का परिणाम क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग केवल केरल में थी, वह फैलकर तामिलनाड और बंगाल तक में फैल गयी। इसके लिए कौन दोषी है? जिस इन्द्रा का तुम नाम लेते हो, उसके लिये वह दोषी है। मैं अपने यहां भरी सभा में जब बोल रहा था, मैंने साफ कहा कि अगर इन्द्रा जी में राष्ट्र प्रेम होता तो जैसे पाकिस्तान ने हमारा एक जहाज खींच लिया, वैसे ही इन्द्रा जी को पाकिस्तान के तीन जहाज खींच लेना चाहिये था। लेकिन इन्दिरा जी ने यह नहीं किया। उनमें साहस ही नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ?

मान्यवर, साम्प्रदायिकता की जो बात कही जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण मानसिक है और इसका सबसे बड़ा कोई पापी हो सकता है तो वह नेहरू जी की बेटी हैं जिन्होंने सारे देश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया है। मान्यवर, मैं इन बातों में न जाकर, माननीय रियासत हुसैन जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे यहां हमको अपने विचार रखने का अवसर मिला। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि हमको इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान में जो तीन लिस्ट हैं, एक यूनियन की है, एक राज्यों की है, और एक वह है जो दोनों की मिली जुली है। यह विषय यूनियन लिस्ट में आता है। केन्द्र को ही इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। इसलिये अगर यह प्रस्ताव आता कि

इस विषय में हम केन्द्र से कानून बनाने के लिये अनुरोध करें, तब तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता, लेकिन चूंकि यह हमारे क्षेत्र के बाहर है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं रियासत भाई से कहूंगा कि साम्प्रदायिकता का सम्बन्ध मनोविकार से है, मनोविकार का संबंध भावना से है, मनोविकार भावना से बनता है। आप कानून के द्वारा शरीर को दबा सकते हैं, किन्तु कानून से मनोभावना को नहीं दबाया जा सकता। इसलिये हमें उन कारणों की तरफ जाना पड़ेगा जिनके कारण यह साम्प्रदायिकता फैलती है। तो पहला कारण यह है कि आज हमारे इतिहास का अर्थ गलत, बालकों को बताया जाता है। हमारे इतिहासकार धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। शिवाजी को हिन्दू के रूप में इतिहासकारों द्वारा वर्णन किया जाता है, जब कि वह एक मानवता के पुजारी थे। मानवता ही उनका धर्म था। उनका आदेश था कि कोई भी किसी मुसलमान की औरत पर हाथ न उठाए। इसी प्रकार से श्रीमन् राणा प्रताप जी का नाम आता है। वह भी एक हिन्दू के नाते इतिहास में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनका मुसलमानों पर अगाध विश्वास था। इसका नमूना यह है कि उन्होंने हल्दीघाटी की लड़ाई हकीमखां सूर के नेतृत्व में लड़ी थी। इसी संबंध में मैं यह भी जिक्र करूंगा कि अकबर की शादी जोधाबाई नामक एक हिन्दू महिला से हुई थी, औरंगजेब की बहन जहांनआरा का प्रेम क्षत्रपाल से हो गया था। और तो आप छोड़ दें, हमारी इन्दिरा जी की शादी फिरोज खां गांधी से हुई, और इनके पक्ष में हवा बहने का एक बड़ा कारण यह भी था। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, हमको ऐसी किताबों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा, इतिहासकारों को बताना होगा कि तुम एसी किताबें लिखो जिससे सही बात जनता के सामने आए। अभी हाल में हमारे इतिहासकार श्री थापा साहब ने भी भारत का एक नया इतिहास लिखा है जो सही रूप में लिखा गया है, लेकिन उसमें जो वास्तविकता है उसे नजरअन्दाज किया जाता है। हमें बड़ा अफसोस है कि आज हमारे शिक्षालयों में देश के होनहारों को सही इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है और यह दोष हमारे राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों का है।

हिन्दुस्तान की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर अनैतिकता में एकता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? हम उसके विपरीत देखते हैं। हम अनेकानेक छोटी बड़ी जातियों में बिखरे हुए हैं। एकता में अनेकता है और इसको पैदा करने वाली सबसे बड़ी बात हिन्दुस्तान की जाति-प्रथा है। इसने समाज को न जाने कितने छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर रख दिया है। हालत यह हो गई है कि जो मेहनत करता है वह कमीन समझा जाता है, छोटा समझा जाता है जो छोटा काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो भीख मांगता है, वह बड़ा समझा जाता है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है क्योंकि अब तक एक छत्र शासन बराबर इनके हाथों में रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए उसने कौन से कदम उठाए? कौन सी नीति अपनाई जाति प्रथा को खतम करने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए एक कमीशन बैठा, उसने सन् १९५६ में अपनी रिपोर्ट दी कि पिछड़ी जाति को ऊंचा स्थान दो, नौकरी में संरक्षण हो। लेकिन उसकी रिपोर्ट को नेहरू जी की बेटी ने आज तक दाबे रखा है। उसका कोई अमल नहीं किया है। मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि अगर जाति प्रथा का परिहार करने का नुस्खा किसी ने दिया था तो वह थे डाक्टर राममनोहर लोहिया और दूसरी पार्टी है भारतीय क्रान्ति दल जिसने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में साफ कहा है कि हम पिछड़ी जातियों को अवसर प्रदान करने के लिये रिजर्वेशन करेंगे। जब तक हम जाति प्रथा का नाश नहीं करते हैं तब तक यह काम होने वाला नहीं है।

तीसरी चीज श्रीमन्, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान या किसी देश का पूंजीपति बड़ा होशियार है। पूंजीपतियों के सामने एक ही स्वार्थ है कि हमारी तिजोरी कैसे सुरक्षित रहे। पूंजीपति भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जब साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं तो कौन मारा जाता है, गरीब हिन्दू, गरीब मुसलमान, गरीब ईसाई। लेकिन ये पूंजीपति उस काल में कहते हैं कि चांदनी आ गयी, रुपया बनाते हैं। चीजों का अभाव करके चोरबाजारी करते हैं।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

श्रीमन्, अलीगढ़ की चर्चा हुई। मैं पूछता हूं कि यूनुस सलीम जिसके सम्बन्ध में आन्ध्र की सरकार ने ऐसे आदमी के खिलाफ रेकार्ड कायम किया था और कहा था कि हमारे यहां से टिकट न दिया जाय क्योंकि वह साम्प्रदायिक भाषण देते हैं तो क्या जरूरी था कि उनको अलीगढ़ में लाया जाय ? जब ऐसे आदमी को अलीगढ़ में लाया गया तो वही हुआ जो हुआ। अगर यूनुस सलीम को वहां न लाया गया होता तो जो वहां हुआ वह न होता। अलीगढ़ में क्या नहीं हुआ है, रोना पड़ता है, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वह अलीगढ़ में हुआ। चाहे हिन्दुओं के साथ हुआ हो या मुसलमानों के साथ हुआ हो। सबसे बड़ी चीज जो हुई शायद इंदिरा जी की फौज आयी थी, उसने चरम सीमा कर दिया। इंदिरा जी रायबरेली से न खड़ी होकर अगर अलीगढ़ से खड़ी हो गयी होतीं तो साम्प्रदायिक जहर नहीं फैलता।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन सब के मूल में एक चीज है, आर्थिक गैर बराबरी। इसके कारण आज यह साम्प्रदायिक दंगों में घी की तरह काम करता है। इसलिए मैं रियासत भाई से कहूंगा कि साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए समाजवादी व्यवस्था लानी होगी। इन्दिरा जी समाजवाद नहीं लायीं बल्कि जातिवाद उभर गया। समाजवाद गैर सम्प्रदायवाद होता है गैर-जातिवाद होता है।

इन शब्दों के साथ अपने विचार प्रकट करते हुए मैं रियासत हुसैन साहब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं लेकिन यह केन्द्र का विषय है और वे इतना संशोधन कर लें कि केन्द्र को इसकी सिफारिश की जाय तो मैं इसका समर्थन करता हूं।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की मन्दगति से पेरायी करने तथा किसानों का मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है वह स्वीकृत की गयी है। यह सूचना श्री सुखपाल पांडेय तथा रामकरन सिंह की है "चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई मन्दगति से करने तथा किसानों का मिल मालिकों पर करोड़ों रुपये का बकाया होने के सम्बन्ध में यह है।" ३० तारीख को वक्तव्य के लिये इसे स्वीकृत किया गया है। और कोई सूचना नहीं थी।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिए संकल्प (क्रमागत)

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसकी भावना से तो सहमत हूं परन्तु संवैधानिक दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस सदन में उस पर विचार करने का स्थान नहीं है। दूसरे मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि कोई कमीशन बिठाया जाय जो यह तय करे कि कौन संस्थायें साम्प्रदायिक हैं, उसमें किसी कार्यवाही के करने की जरूरत नहीं है और न किसी जांच के करने की ही जरूरत है। कुछ यहां ऐसी बातें कही गयीं हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि चाहे मुसलिम लीग हो अथवा मुसलिम मजलिस यह हिन्दू महासभा अथवा जनसंघ, ये जो संस्थायें हैं हम उनको साम्प्रदायिक समझते हैं और इन्द्रा जी ने कभी यह नहीं कहा कि मुसलिम लीग गैर-साम्प्रदायिक संस्था है। उन्होंने केवल इतना कहा था जो वस्तुतः सही है कि केरल की जो मुसलिम लीग

*वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसके दृष्टिकोण में तथा उत्तर प्रदेश की मुसलिम लीग के दृष्टिकोण में तथा उनके कार्यकलापों में थोड़ा अन्तर है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुसलिम लीग के प्रेसीडेंट ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा यह वही मुसलिम लीग है।

श्री देवकी नन्दन विभव---

यह चीज गलत है। केरल में हमने जो तालमेल उनसे बिठाया है तो हमने कोई गठबन्धन नहीं किया। वेस्ट बंगाल की मुसलिम लीग को भी हम गैर-साम्प्रदायिक संस्था नहीं समझते। यह बात शायद आपको विदित नहीं है कि गत महायुद्ध में यूरोप, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने रूस का साथ दिया और साथ ही नहीं दिया अमेरिका तथा इंगलैण्ड ने तो रूस के साथ मिल कर जो विश्व के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था उसका मुकाबला किया। तो आज प्रश्न यह है कि केरल में समस्या क्या थी। वहां समस्या यह थी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्टों से जिनका सम्बन्ध चीन से था हमको मुकाबला करना था। वेस्ट बंगाल में अगर कांग्रेस मुसलिम लीग को साथ में लेगी तो उसका कारण यह नहीं है कि हम मुस्लिम लीग को एक साम्प्रदायिक संस्था समझते हैं बल्कि उसका कारण यह है कि वहां पर जो वायलेंस, जो हिंसा का प्रगाढ़ भय आज देश के सामने पैदा हो रहा है इसको हम खत्म करना चाहते हैं। आज साम्प्रदायिकता से भी बड़ा खतरा वायलेंस का है, साम्प्रदायिकता से भी बड़ा खतरा मार्क्सवादी और चीनी वादी कम्युनिस्टों का है। मैं कहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जनसंघ ने मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को केरल में सहायता दी ? क्या यह सही नहीं है कि जनसंघ ने वेस्ट बंगाल में उनको उखाड़ कर खड़ा कर दिया ? आज प्रश्न तो यह है कि इसको कैसे दूर किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने एक सिद्धान्त पर रही है और वह सिद्धान्त यह है कि हम एक राष्ट्र--वन नेशन-थ्योरी को मानते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा न हो कि माननीय सदस्य का हार्ट फेल हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विद्वान् हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव---

हमने वन नेशन थ्योरी का एलान किया। मुहम्मद अली जिन्ना ने अलग-अलग राष्ट्रवादी सिद्धान्तों को देश के सामने रखा। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में दो राष्ट्रवादी सिद्धान्तों को हमेशा ठुकराया है। यही नहीं आज प्रदेश की हुकूमत ने जब-जब अपने यहां से प्रतिनिधि भेजे तब-तब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मोहम्मद अली जिन्ना के पास भेजा गया ताकि उनमें साम्प्रदायिक भावना न पनपे। आज पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का विभाजन क्यों हुआ ? मैं कहना चाहता हूं कि इसी टू नेशन थ्योरी के आधार पर। इस टू नेशन थ्योरी के उत्पादक कौन थे---एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और दूसरी तरफ मुसलिम लीग थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संप्रदाय हैं चाहे वह हिन्दू सम्प्रदाय हो या चाहे मुस्लिम सम्प्रदाय हो, ये दोनों सम्प्रदाय बहनें हैं और एक दूसरे को बल पहुंचाती हैं। हिन्दुओं में जाकर हिन्दू सम्प्रदायवाद उभाड़ती हैं और मुसलमानों में मुस्लिम लीग को। जनसंघ और हिन्दू सभा के कार्यों को बढ़ा-चढ़ा करके मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को उभाड़ती है जिससे दंगे फिसाद और उत्पात पैदा हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता हूं कि मुसलमानों की दो संस्थायें हैं,

[श्री देवकी नन्दन विभव]

मुसलमानों की दो भाषायें हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हिन्दू और मुसलमानों के वेष भूषा में अन्तर है। अगर आप देखें कि आज लाखों और करोड़ों देहात में रहने वाले मुसलमान क्या पहनते हैं। बेस्ट बंगाल में अगर आप देखें वहां पर मुसलमान बंगाली धोती पहनते हैं। अरबी, फारसी और संस्कृत अलग-अलग भाषायें हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हिन्दी और उर्दू दो अलाहदा भाषायें हैं। मैं उन्हें साम्प्रदायिक मानता हूं और इसी पर राजनीतिज्ञ सवालों को उठाते हैं। सवाल आज हिन्दुस्तान में किसी सम्प्रदाय का नहीं है। हमने संविधान बनाया है। उसमें हिन्दू को जहां धार्मिक आजादी वहां मुसलमान को भी इस बात की आजादी है कि अपनी तरह से खुदा की इबादत करे। इसी तरह से हर एक हिन्दू को आजादी है कि वह अपनी तरह से भगवान की आराधना और पूजा करे। अब इतने के बाद न हिन्दू में फर्क है, न मुसलमान में फर्क है। मैं गलत मानता हूं जो कहते हैं कि शिवाजी की लड़ाई या राणा प्रताप की लड़ाई, हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं क्या आपने संविधान के डायरेक्टिव को दृष्टि में रखते हुए यह कहा है कि सभी भारतवासियों के लिए एक जैसा कोड होना चाहिए, समान कोड सभी भारतवासियों के लिए हो और अगर कहा है तो उसके मुताबिक कोई आचरण कभी किया है आपने?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मेरा खयाल यह है कि कुछ लोग उसको आचरण में लाने में बाधक हैं जो नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कि आज देश में जब महात्मा गांधी रहे तो वह नोआखली में भी गये जिस वक्त वहां उपद्रव हुए और बिहार के गांव में भी गये जहां मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। उनके लहू का आखिरी कतरा हिन्दू-मुसलमानों को एक भावना में प्रेरित करने में खर्च हुआ।

श्रीमन्, मुझे मुस्लिम देशों में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। टर्की है, इराक है, मिश्र है। और मैं कहना चाहता हूं कि वहां मजहब की दीवारें टूट रही हैं। मैंने अरब और मिश्र के बाजारों में देखा कि जवाहरलाल और नासिर की तस्वीरें पास-पास लगी हुई हैं और जब जनरल अयूब की तस्वीर लगायी गयीं तो जनता ने उन तस्वीरों को फाड़ कर फेंक दिया। तो आज मुस्लिम देश भी जग रहे हैं। जब-जब कोशिश की गयी कि मुस्लिम फेडरेशन बनाया जाय तब-तब मुस्लिम देशों में ही उसका विरोध हुआ और जब भी पाकिस्तान के भुट्टो जैसी जहनियत के लोगों ने कोशिश की कि मुसलमानों का संगठन बनाया जाय तब उसको उन्होंने ठुकरा दिया।

श्रीमन्, मैं आपसे कहता हूं कि हम आज नयी दुनिया में रहते हैं। आज दुनियां में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या-क्या नये विचार आ रहे हैं। उस समय ये दकियानूसी खयालात और यह हिन्दू-मुसलमान का सवाल जो कुछ थोड़े से राजनीतिक लोग उठाते हैं, जनता में इन्हीं लोगों ने यह जहर पैदा किया है। नहीं तो गांवों में मुस्लिम भी रहते थे, हिन्दू भी रहते थे। एक दूसरे को चचा भतीजा और बेटी ऐसा कह करके मानते थे और शहरों में भी यही हालत है। लेकिन आज कुछ सिर-फिरे लोगों ने, जैसा कि इतिहास बताता है, कुछ पदों के पीछे यह झगड़ा खड़ा किया और अगर यहां के एक साहब को कोई मिनिस्ट्री दे दी गयी होती तो मुस्लिम लीग का चक्कर नहीं खड़ा किया गया होता।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब नारे गलत हैं। अलीगढ़ की बात कही गयी कि झगड़ा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि कोतवाली के पास ४-५ घंटे तक तिजोरियां टूटती रहीं,

मकान तोड़े जाते रहे, दुकानें तोड़ी जाती रही, गोलियां चलती रहीं, मैं पूछना चाहता हूं संविद के लोगों से कि वह कहां थे ? उनकी सरकार कहां थी ? ५ घंटे तक कत्लेआम होता रहा। आज जब यह कहते हैं, मैं कहता हूं जनसंघ के कितने लोगों ने इस बात पर इस्तीफा दिया सरकार से ? चिपके बैठे हुए हैं कुर्सी से, जब कि यह स्पष्ट है कि अलीगढ़ में जब दंगा हुआ तो इनकी सरकार थी और ला एण्ड आर्डर इनके हाथ में था। ला एन्ड आर्डर आपके हाथ में होते हुए भी अलीगढ़ में आपने क्या किया ? आप बंगाल की बात पूछते हैं। हमने अपने पंचसूत्री कार्यक्रम में 'ला एण्ड आर्डर' को रखा है। हमने कहा है कि हम वायलेंस को पनपने नहीं देंगे। उसको उखाड़ कर फेंक देंगे।

आज देश में आर्थिक सवालों की फिजां को पैदा करने की जरूरत है, गरीबी और बेकारी के सवाल को उठाने की जरूरत है। जो लोग इन सवालों को दबा कर साम्प्रदायिकता के सवाल को सामने लाना चाहते हैं वे मुख्य समस्याओं को दबाना चाहते हैं। आज ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये और देश में ऐसी फिजा पैदा करनी चाहिये जिसके लिये गांधी जी जिये और मरे। वे चाहते थे कि देश में हिन्दू मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी भाई भाई होकर जियें। जो हिन्दू संगठन वाले कहते हैं कि हमारे संगठन में कुछ मुसलमान हैं या मुसलमान संगठन वाले कहते हैं कि हमारे संगठन में कुछ हिन्दू है, उससे उनका फिरकेवाराना रंग उड़ नहीं जाता। जो लोग केवल हिन्दुओं के लिये कोई चीज मांगते हैं या मुसलमानों के लिये कोई चीज मांगते है, किसी खास संस्कृति या भाषा का नारा लगाते हैं, वे सब साम्प्रदायिक हैं, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूर नहीं है। हिन्दी हो या उर्दू हो, मेरा ख्याल है ऐसी अलग-अलग कोई बात नहीं है, जनता की भाषा तो एक ही है। थोड़े बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग अरबी या फारसी के लब्जों को अधिक बोल लेते हैं लेकिन साधारण जनता की एक ही भाषा है, कोई अन्तर नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारी संस्कृति या भाषा खतरे में है, वह सब गुमराह करने की बातें हैं। उसके आधार पर जो पार्टियां बनती हैं, मैं समझता हूं उनको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। मेरी इन्दिरा जी से बातें हुईं। उन्होंने कहा कि कोई हमें चाहे मदद करे या न करे, जो देश में साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं उनको हम सहन नहीं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे दोस्त रियासत हुसैन साहब ने संकल्प पुरःस्थापित किया है, उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। रियासत हुसैन साहब तो बड़े इत्मीनान से अपना साइन बोर्ड लगाये बैठे हैं लेकिन कमलापति जी अपना साइन बोर्ड लेकर चले गये। अक्सर जब मैं बोलता हूं तो वे साइन बोर्ड लेकर चल जाते हैं। यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मन में कहीं कुछ है। मैं जब अपने देश के इतिहास को पढ़ता हूं और उस पर विचार करता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ लड़ाइयां हुई हैं, वह आर्थिक लड़ाइयां हुई हैं या राजकाज के लिये हुई हैं। जब सिकन्दर महान ने हमारे देश पर हमला किया तो उस समय राजा पुरु उत्तरी सीमा पर राज्य कर रहे थे वे सिकन्दर का मुकाबला कर रहे थे और गंधार का हिन्दू राजा सिकन्दर की मदद कर रहा था। इसी तरह से महाराजा पृथ्वीराज जब दिल्ली पर शासन कर रहे थे तो मुहम्मद गोरी ने उस पर हमला किया था और उस समय कन्नौज के राजा जयचन्द गोरी की मदद कर रहे थे, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर पर हमला किया तो पीछे से मंदिर की खिड़की खोल कर पुजारी ने उसकी मदद की थी उसने मंदिर का सारा भेद बता दिया था। महात्मा गांधी जी को मारने वाला कौन था ? कोई मुसलमान नहीं था बल्कि वह हिन्दू और उसमें भी ब्राह्मण था, जब मैं इतिहास देखता हूं तो मुझे कुछ और चीज मिलती है और यहां पर समस्या कुछ और रख दी गई हैं।

मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि इस पर आप क्या बहस कर रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थायें हैं या साम्प्रदायिकवादी संस्थायें हैं उनको बैन लगाने के लिये एक कमीशन बिठाया जाय।

[श्री बांकेलाल]

इसकी क्या जरूरत है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो जाति बिरादरी वाद ज्यादा पनपता है और रिश्तेदारी ढूंढ़ी जाती है। कोई भी ऐसा नहीं जो ऐसा न करता हो। आपके संविधान में है कि धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की जायेगी। लेकिन आज हम सब मजहबी मामलों में फंसे हुये हैं। मजहब की बात कह कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये। इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। जो मजहबी लोग हैं उनको लाख समझाया जाय लेकिन वे मजहबी ही रहेंगे हिन्दु मुस्लिम दंगे होते नहीं है बल्कि कराये जाते हैं। मजहब का नशा अफीम के नशे की तरह से है जो थोड़ी देर के लिये पागल कर देता है। हिन्दु मुस्लिम दंगों में कहीं कोई मुल्ला या पंडित नहीं मारे जाते हैं। सेठ साहूकार नहीं मारे जाते हैं। राजे महाराजे नहीं मारे जाते हैं। वह तो मंदिर मस्जिद से नारा दे देते हैं और दोनों जाति के लोग लड़ जाते हैं। यह मजहब का नशा है जो चुनाव में ज्यादा पनपता है।

अलीगढ़ की चर्चा की जाती है तो मन मसोस कर रह जाता है। यह भी पता चला है कि हैदराबाद से वहां आदमी बुलाये गये थे। वहां जो दंगा हुआ तो बगल में मुसलमान का घर है वह बच जाता है और उसके बराबर हिन्दू के घर को जला दिया जाता है। मैं तो अलीगढ़ नहीं जा सका। लेकिन शायद माननीय जायसवाल जी गये थे। इसी तरह से मजहबी भावनाओं को उकसाया जाता है। माननीया इन्दिरा जी की हुकूमत में इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ला एण्ड आर्डर की कुछ बात करना बेकार है क्योंकि ऊपर से इन्दिरा जी ने जो कुछ किया है उसकी वहज से सब मन मसोस कर बैठे हुये हैं। वहां तो एक ही आवाज है समाजवाद। २५० करोड़ रुपये के घाटे का बजट ला कर समाजवाद ला रही है। कपड़ा, सीमेंट, लोहे की कीमतें बढ़ा कर पूरे देश में समाजवाद ला रही हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के समाजवाद ला रही हैं। रिक्शे वालों, गरीबों को बैंक के राष्ट्रीयकरण से क्या मिला।

हमारे दोस्त ने समाजवाद की बड़ी चर्चा कर दी है। शायद ये पढ़ते भी नहीं हैं। और पढ़ें भी कब? कपूर होटल में जाने से तो इन्हें फुर्सत ही नहीं है। राजनीतिक चरित्र कितना गिर गया है। एक-एक एम० एल० ए० को ५०-५० हजार रुपये दिये गये हैं। क्या एम० एल० ए० का चरित्र रह गया है? गरीब किसानों को सबक देने वाले नताओं की यह गति है तो उनकी क्या गति होगी। अब कपूर होटल से शुरू हुआ है समाजवाद, दिल्ली तक जायेगा और विश्व में भी फैल जाये तो कोई बात नहीं है। बूढ़े बाबा भी धोखे में आ गये। रियासत हुसैन साहब ने जो यह पेश किया है इसके बजाय कोई और चीज पेश किये होते, समाजवाद ही पेश किये होते तो उस पर बहस होती, जमीन के बंटवारे की बात होती, मिलों के समाजीकरण की बात होती, शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण की बात होती तो उस पर चर्चा लम्बी होती।

यह मजहब की चर्चा, यह तो हमारा जहां तक खयाल है कि दिल्ली में एक-एक फोटो लगी हुई है कि देख लो हरजनों यह जगजीवनराम की फोटो है और यह फखरुद्दीन की फोटो है मुसलमानों, ये तुम्हारे नेता हैं। और इन्दिरा जी तो सारे भारतवर्ष की नेता हो गयी हैं, समाजवाद ला रही हैं। तो मैं कहता हूं कि मजहबी भावना राजनीतिक लोगों के दिल के अन्दर है और जब तक उनके दिल से यह भावना खत्म नहीं होगी तो जन साधारण के दिल से कैसे खत्म होगी। आप एक आर्थिक प्रोग्राम लेकर चलिये तो ये सब चीजें खत्म हो जायेंगी और जहां मजहब को जगाया तो हिन्दू अलग अराग अलापेगा और मुसलमान अलग राग अलापेगा और हिन्दुओं में तो बहुत सी जातियां, उपजातियां हैं। मुसलमानों में शायद कम हैं। लेकिन उनमें भी शिया सुन्नी हैं। एक तबर्रा पढ़ता है तो दूसरा मदेसहाबा। तो इन मजहबी मामलों को उठा कर सदन का समय लेना आवश्यक नहीं था। लेकिन हमारे दोस्त के दिल में बड़ी पीड़ा है इन दंगों की। मुझे भी पीड़ा है लेकिन मैं करूं क्या। यह तो दिल्ली से चल रहा है और यहां पहुंच गया है। और इन्दिरा जी ही नहीं, हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल ने ऐसे काम किये

हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी उनके नाम पर बजाय फूल चढ़ाने के कुछ और ही चढ़ायेगी, आंसू बहायेगी कि इस मुल्क के टुकड़े करने में कांग्रेस वालों ने, इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, इस मुल्क के तीन टुकड़े कर दिये, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में हिन्दुस्तान जो हमेशा खतरे में रहेगा। और यह इसलिये किया कि जल्दी से जल्दी गद्दी मिल जाय। इतना ही नहीं बल्कि तिब्बत, जिसकी भाषा अलग, रहन सहन अलग उसको कह दिया कि यह चीन का अंग है और चीन ने हमला कर के उसको ले लिया। और तिब्बत को ही नहीं बल्कि अपनी भी ३२ हजार वर्ग मील जमीन जिसको नेहरूजी कंकड़ पत्थर कहते थे वह भी ले ली। तो जितने हमारे सामाजिक लोग हैं उनके मन में मजहबी भावनाएं हैं। और वह मजहबी भावना जब तक समाप्त नहीं होगी तबतक देश की प्रगति नहीं हो सकती और तब तक आप आर्थिक प्रोग्राम को छू भी नहीं सकते हैं।

मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जब इस तरह की धार्मिक बातें होने लगती हैं तो आर्थिक प्रोग्राम छूट जाता है और जनता धर्म के फंदे में पड़कर बौखला उठती है। ऊपर से यानी पार्लियामेंट से यह चीज आनी चाहिये थी लेकिन हमारे रियासत साहब इसको यहां पर ले आये और लाकर कमेटी बिठाना चाहते हैं कि इसकी जांच हो। यह बात सही है कि अगर अपने-अपने मजहब पर सब रहें तो फिर कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। कोई मजहब ऐसा नहीं कहता है कि आपस में लड़ा जाय। मारकाट कोई भी मजहब नहीं बताता है। किसी मजहब में यह नहीं है। मुसलमान का मतलब है कि ईमान रखने वाला। लेकिन हमारे माननीय सदस्य कितने ईमान्दार हैं मैं इस बारे में क्या कहूं? अगर मैं कुछ कहूं तो कहा जायगा कि बांकेलाल जी शिकायत करते हैं। अब क्या कहूं इस तरफ से लोग उधर जा रहे हैं तो यह भी एक समाजवाद चल रहा है। पार्टी का यह समाजवाद है। कमलापति जी के लड़के लोकनाथ ने मिर्जापुर में सतियां कांड कर दिया तो यह भी उनका समाजवाद है। अब चतुर्भुज शर्मा जी का समाजवाद बतलाऊं कि उनका क्या समाजवाद है तो लोग नाराज होने लगेंगे। जितने भी लोग यहां पर हैं उन सब का समाजवाद अलग-अलग है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया समाजवाद और आर्थिक मसले पर ही बोलें।

श्री बांकेलाल—

हो सकता है मैं आपके समाजवाद को भी यहां पर बतलाऊं। मैं आज यह निवेदन कर रहा हूं कि जनता का नेतृत्व करने वाले इन नेताओं का स्तर क्या है? इनका कर्त्तव्य क्या है और उनका चरित्र क्या है। आज तक समाजवाद इधर के लोग बोलते थे और उधर के लोग बोलते थे लेकिन अब समाजवाद का पिटारा इन्दिरा जी ने दिल्ली से भेज दिया है जो कपूर होटल में रखा हुआ है। जैसे कि दमयन्ती का स्वयम्बर हो रहा था तो सभी देवता लोग नल की तस्वीर बनाकर वहां स्वयम्बर में पहुंच गये कि हमको भी दमयन्ती मिल जाय और हमको भी मिल जाय। सही समाजवाद क्या है यह हमको सारे देश को बताना पड़ेगा ये सब लोग आज समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। तो अब धरती का बटवारा ये पता नहीं करेंगे या नहीं लेकिन समाजवाद का अब ठेका इन्होंने लिया है। इनका समाजवाद भी अगर जिन्दा रहे तो देखा जायगा। जो इनका एलेक्शन मैनिफेस्टो लोक सभा का निकला है उसमें क्या समाजवाद होगा यह पूरी तरह से बताया नहीं है। मिनिमम प्रोग्राम क्या है यह बताया नहीं है। समाज को जब ऊपर उठाया जायगा और ६ महीने के अन्दर धरती का बटवारा किया जायगा तो देख लेंगे मगर यह चीज नहीं की जा रही है। इन सब बातों का इस एलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है। इसलिये इनका सारा समाजवाद अन्धेरे में है।

इधर बैठने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि कम से कम एक परिवार के पास २० एकड़ जमीन होनी चाहिये। बाकी जमीन बड़े लोगों से लेकर बांट दी जाय गरीबों में जिससे

[श्री बांकेलाल]

वे अपना निर्वाह करने लायक हो जायं। इससे गरीबों को कुछ राहत मिल सकती है। ६। एकड़ तक लगान माफी की बात की जाय। दौलत की सीमाबन्दी की जाय तो गरीब को राहत मिले। चौकीदार ५ रुपया पाता है जो अपना पेट नहीं भर सकता है। इस विषमता को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बड़े-बड़े लोग हजारों रुपया की तनख्वाह पाते हैं लेकिन गरीब को वही ५, १०'२० रुपया मिलता है। अगर इन सब गरीबों की विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाय तो सही बात कुछ हो सकती है सही समाजवाद की बात हो सकती है। अगर ६ महीने के अन्दर यह सब काम कर दिया जाय, धरती का बटवारा कर दिया जाय सही समाजवाद यहां पर आ सकता है। आप ऊंची तनख्वाहें को घटाइये और जो थोड़ी तनख्वाह पाते हैं उनको ऊपर कीजिये तब कुछ हम लोगों को विश्वास हो सकता है कि इन्दिरा जी का समाजवाद कुछ गरीबों को राहत देने वाला समाजवाद है लेकिन यहां पर इस तरह का आपका कोई भी समाजवाद नहीं है। मुल्क को धोखा देने वाले लोग हैं, उधर के लोग भी धोखा देने वाले हैं और इधर उधर के यह सब अभी थोड़े ही दिन से तो इधर-उधर हुये हैं लेकिन इन सभी ने मिलकर पिछले २३ साल में मुल्क को बराबर धोखा दिया है और मुल्क जरूर आप सब से इस का बदला लेगा और एक दिन हवा पलटेगी, एक तूफान आयेगा जिसमें चंदन भी भस्म हो जायगा और हर तरफ एक अजीब घबराहट पैदा होगी और सब कुछ समाप्त हो जायगा। इस तरह से जो यह चल रहा है काम कुछ होने वाला नहीं है, यह २५० करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाया गया है। इन्द्रा जी का बेटा संजय भी नेता बन गया है वह कहता है विषमता दूर करने से कुछ नहीं होगा, यहां प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, उत्पादन करना होगा, पूंजीवाद बढ़े और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जाय।

अभी रियासत साहब ने यह कमीशन बिठाने का संकल्प रखा है, वह कहते हैं कि यह जो हिन्दू मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं उसके लिये कमीशन बन जाय और इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। लेकिन यह केन्द्र की सरकार का अधिकार है। वैसे इस सरकार को भी साम्प्रदायिक तत्वों पर और दंगा कराने वालों पर कड़ी नजर रखनी चाहिये। ऐसे कट्टर मजहबी लोगों को, दंगा फसाद कराने वाले लोगों को ऐसा वातावरण न पैदा करने दें। आज राष्ट्रीय चेतना लोगों में भरती जा रही है, उनमें राष्ट्रीय भावना ही नहीं है, रहते यहां हैं गाने गायेंगे "मेरे मौला बुला ले मदीने में मुझे" अगर राष्ट्रीय भावना ही आज तक यहां रहने के बाद नहीं जगी तो क्या होगा। जो आजादी का चिराग और राष्ट्रीय भावना का चिराग महात्मा गांधी ने यहां रोशन किया था उसे इन कांग्रेस वालों ने बुझा दिया, उसे हमें अब फिर जलाना होगा और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। समाजवाद की स्थापना तो जो समाजवादी दल के लोग हैं उन्हीं के द्वारा हो सकती है, वही उस लड़ाई को लड़ सकते हैं और सब पार्टियां टूट जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि ऐसे तत्वों पर सरकार कड़ी नजर जरूर रखे। केन्द्र की सरकार भी और यह सरकार भी साम्प्रदायिक लोगों पर कड़ी नजर रखे और ऐसी मजहबी भावनाओं को न उभरने दे।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन साहब का जो संकल्प सदन में प्रस्तुत है मेरी समझ में नहीं आता कि उसका समर्थन किया जाय या न किया जाय। एक आयोग का गठन हो, वह जांच करे कि कौन-कौन से राजनैतिक दल ऐसे हैं कि जो साम्प्रदायिकता पर विश्वास रखते हैं और फिसाद कराते हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस में कोई सन्देह नहीं कि यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी लज्जा की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे साम्प्रदायिक दंगे हों जिन में कि कितनी जिन्दगियां खत्म हो जाती हैं, कितनी सम्पत्ति की क्षति होती है, कितने घर उजड़ जाते हैं और वातावरण कितना खराब हो जाता है। कितने मासूम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हलाक हो जाते हैं। आज आजादी के २३ साल के बाद भी ऐसी घटनायें होती हैं। हकीकत में यह बहुत शर्म की बात है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह घटनायें क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं। लेकिन इस की खोज करने से या कमीशन के गठन से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये कमीशन का गठन किया जाय और वह इस की जांच करे इस को मैं उचित नहीं समझता क्योंकि हम में से कौन ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि यह दंगे क्यों होते हैं, यह फसाद क्यों होते हैं, और ये शर्मनाक घटनायें क्यों होती हैं। कौन से वह दल हैं जो फिसाद करा कर साम्प्रदायिकता को हवा देते हैं और एक ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं जिससे दम घुटने लगता है।

आज कौन नहीं जानता कि कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी बुन्याद ही सांप्रदायिकता के आधार पर है। यह बात दूसरी है कि उनके मैनिफैस्टो में कुछ और ही लिखा हो, उनके संविधान में कुछ और ही लिखा हो, लेकिन वे यह समझते हैं कि उनका एक तरीका और है उस तरीके से वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उसका एक आसान सा तरीका है कि लोगों की सांप्रदायिकता की भावना को भडका कर एक ऐसी भावना को बढ़ाकर नफरत का वातावरण पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जाय। लोगों की जो समस्यायें हैं उनको वे भूल जायं। मैं आपसे यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इन राजनीतिक घटनाओं से न केवल देश को ही क्षति पहुंचती, समाज को भी क्षति पहुंचती है, बल्कि इससे प्रदेश के नाम पर भी, हमारे नाम पर भी, दूसरे देशों में बदनामी का बायस होती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये ठोस से ठोस कदम हर सरकार को उठाने चाहिए, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो। तभी वे घटनायें समाप्त हो सकती है और ऐसे राजनीतिक दल जिनका चरित्र किसी से छुपा नहीं है, उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके उसको करने में देर नहीं करनी चाहिये।

आज हम सांप्रदायिकता भड़का कर यह पसन्द करते हैं, एक आसान सा तरीका समझते हैं कि हम लोगों को मत प्राप्त हो जायें, मैं समझता हूं कि इसके लिए विशेष तरह से तैयारियां की जाती हैं, बहुत पहले से प्रोग्राम बनाये जाते हैं। इसके लिये खास तौर से अफवायें फैलायी जाती हैं, एक विक्षुब्ध वातावरण पैदा किया जाता है, एक साजिश पैदा की जाती है और जब वह एक बारूद की तरह से होता है तो किसी जगह पर चुपके से उसमें दियासलाई दिखा दी जाती है और फिर जब वह भड़क उठती है, उसमें शोला उठ जाता है, दबाये से भी नहीं दबायी जाती है। आज तक आजादी के २३ वर्षों के बाद भी हम को ऐसी घटनायें देखने को मिलती हैं जिनसे सब कलंकित होते हैं, सारा समाज कलंकित होता है। हिन्दू सांप्रदायिकता या मुस्लिम सांप्रदायिकता, या सिख सांप्रदायिकता हो ये सब गलत हैं और उनको जैसे भी हो सके कन्डम करना चाहिये, जिस तरह से भी हो उनको मिटाना चाहिये। अफसोस की बात है कि मोहब्बत और प्रेम का वातावरण फैलाने के बजाय राजनीति ऐसी हो जाय जिसमें नफरत का प्रचार किया जाय, नफरत को फैलाया जाय। मान्यवर अफसोस की बात है कि इस तरह से नफरत फैलाकर मुहब्बत को मिटाकर एक आग लगायी जाय तो यह किस तरह से उचित है। यह दुःख का विषय है, दुःख की बात है। मान्यवर. ऐसे आयोग का गठन होगा वह इसके सम्बन्ध में जांच करेगा। जैसा कि माननीय रियासत भाई का प्रस्ताव है, कितना समय लगेगा वह यह देखेगा कि जिन पार्टीज का कान्स्टीटयूशन है उसमें कहीं आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी जो साम्प्रदायिक हो। तो उनको भी वे ध्यान में रक्खेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यक्रम हैं, जिस तरीके से वे नफरत के इन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, साम्प्रदायिकता के इन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं उनको शायद वे नजर अन्दाज कर देगा।

मान्यवर, अभी हाल में इलेक्शन हुआ। इससे पहले भी जब कभी इलेक्शन हुआ है तो, मैंने देखा कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें विशेषता दी जाती है। ऐसी बातें की जाती हैं जो किसी प्रकार से भी एक अच्छे समाज में उचित नहीं है। किसी प्रकार से

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

भी वह सुनने के लायक नहीं है। इसमें मैं विशेषकर जनसंघ के मुताल्लिक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मुस्लिम लीग के मुताल्लिक भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हिन्दू महासभा के मुताल्लिक भी सबको मालूम है कि यह दल ऐसा है जो साम्प्रदायिकता को फैलाता है। आज जिस तरह से भी हो सके इनको पीछे हटाना हर नागरिक का कर्त्तव्य होना चाहिये। जिस तरह भी हो सके इनकी जो नफरत फैलाने वाली नीतियों और कार्यक्रम हैं उनको धक्का पहुंचाना हमारा सबका कार्यक्रम होना चाहिये। जिस तरह से भी हो सके दिलों को बदलने की बात होनी चाहिये। मुहब्बत और प्रेम का वातावरण देश में फैला कर सारा देश सुखी रह सकता है। जिस तरह से भी हो सके साम्प्रदायिकता का नाश करके ही हम खुश व खुर्रम रह सकते हैं। मुझे याद है मान्यवर, सन् ६२ में मैं जब पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था मेरे गांव के हिन्दू मुसलमान किस तरह से मेरी मुहब्बत में दूर दूर तक निकल गये। मैं आज तक उनको भुला नहीं सकता। सारे इलाके में, मेरे क्षेत्र में जिस मुहब्बत से, जिस प्रेम से मुझे अपना मत दिया और देते रहेंगे मैं उसको जिन्दगी भर नहीं भुला सकता। तो ऐसे वातावरण को दूषित करने के लिये जनसंघ हमेशा प्रयास करता रहा है कि किस तरह से ऐसे वातावरण को दूषित दिया जाय।

मान्यवर, अभी हाल में कितने ही जगहों में, मैं लोक सभा के माध्यमिक चुनाव में अपनी कान्स्टीटुवैन्सी की बताता हूं---वहां सुनने में आया अनेक कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हमें मुसलमानों को निकालना है। मान्यवर, कितनी लज्जा की बात है। किस तरह से ये करोड़ों मुसलमानों को यहां से निकाल सकते हैं। वे यहां के नागरिक हैं, यहां के हैं और यहां रहेंगे और सच्चे दिल से रहेंगे। उन्हें कोई नहीं मिटा सकता है। उनको वही अधिकार है जो कि एक हिन्दू को है। जो एक सिक्ख को है। मान्यवर, इस प्रकार का वातावरण फैलाना मैं समझता हूं, हरगिज गलत है। इस तरह के वातावरण से बहुत सी जगह दंगे और फिसाद हुए हैं। तरह तरह के बहाने किये जाते हैं, तरह तरह की साजिशें की जाती हैं और इस तरह से साम्प्रदायिकता की आग को भड़काया जाता है, साम्प्रदायिकता की भावना को भड़काया जाता है। इस तरह से हम न तो देश का हित करते हैं और न देश की कोई सेवा करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक नया वातावरण पैदा करें। न किसी कमीशन की जरूरत है, न किसी प्रतिबन्ध की जरूरत है, हमको अपना दिल बदलने की जरूरत है। राजनीति को एक सही रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। आज हम समाज सेवा से लोगों के दिल को जीत सकते हैं। अगर हम नफरत फैलाकर, एक दूसरे धर्म का टकराव कराकर मत हासिल करें, राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना चाहें, तो यह बहुत शर्म की बात है।

मान्यवर, मुस्लिम लीग को तो मैं एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गलत दल समझता हूं और मैं समझता हूं कि उससे मुसलमानों के हित को बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। मुसलमान साम्प्रदायिकता की भावनाओं को उभाड़ने वाला दल हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता को और भी बढ़ाएगा। मुसलमानों को चाहिये कि वह इसको कंडेम करे। हमने इस मध्यावधि चुनाव में देखा कि बहुत से मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए थे। हमारे रियासत भाई भी खड़े हुए थे और भी बहुत से उम्मीदवार थे। मैं समझता हूं राजनीति में यह एक अच्छा मोड़ है। जो मुसलमान या तो आजाद उम्मीदवार के रूप में या मुस्लिम मजलिस के उम्मीदवार के रूप में या मुसलिम लीग के उम्मीदवार के रूप में यह समझकर खड़े हुए थे कि मुसलमानों के वोट हासिल कर लेंगे, उनकी जमानतें जब्त हुई। मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। उसका कारण यह है कि कांग्रेस का एक लक्ष्य है---सैक्यूलरिज्म का। तो मुसलमानों ने अपने एक अच्छे शऊर का सबूत दिया। उन्होंने हिन्दुओं को वोट देना पसन्द किया लेकिन उन मुसलमानों को नहीं दिया जो समझते थे कि हम वोट काट लेंगे। जहां जनसंघ सपोर्ट कर रहा था इसलिए कि मुस्लिम वोटों को काटा जाय, वहां भी मुसलमान इस साजिश को समझ गए...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अगले दिन जारी रखें । सचिव, विधान सभा सूचना देंगे ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-१९७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ जो विधान सभा द्वारा २४ मार्च, १९७१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ मार्च, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१

सचिव विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ जो विधान सभा द्वारा २४ मार्च, १९७१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ मार्च, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम सोमवार को ११ बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २९ मार्च, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया) ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२६ मार्च, १९७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर)

वर्षवार व्यय का विवरण

वर्ष	राजकीय भिक्षुक कर्मशाला		अग्रगामी प्रायोजना	
	हरिद्वार	वाराणसी	लखनऊ	अयोध्या (फैजाबाद)
१९५६-५७	४,३०५.१२	..	..	..
१९५७-५८	४८,३५५.०४	..	..	..
१९५८-५९	५४,१८५.६८	१५,७३३.९५	..	..
१९५९-६०	५६,१३०.७६	४२,४०५.७०	..	..
१९६०-६१	५०,११७.९९	४२,४९५.४३	..	..
१९६१-६२	४९,४९०.२९	३८,१२४.१९	..	..
१९६२-६३	५०,२४२.५५	४१,५४३.१६	..	..
१९६३-६४	४४,९३४.७३	५०,४८८.३८	..	..
१९६४-६५	५०,२७२.२२	५५,९४१.६०	..	..
१९६५-६६	५७,६६७.५२	५६,८८२.४३	..	..
१९६६-६७	५६,४४३.००	६२,११४.०७	..	..
१९६७-६८	५६,३३५.४३	७९,१०५.५७	३६,६५३.७१	..
१९६८-६९	८४,६४४.८०	९०,२७३.४५	४७,९४७.८८	..
१९६९-७०	९६,७०२.१७	९०,१४५.२३	७१,२८४.७५	९१,९९९.७३
१९७०-७१	७३,८९२.४८	९८,७३८.३२	७२,४३६.२१	१,३२,२५८.०४
योग ..	८,३७,७१९.७८	७,६३,९५१.४८	२,२८,३२२.५५	२,२४,२५७.७७

भिक्षुकों को दिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण का विवरण—

राजकीय भिक्षुक कर्मशाला/अग्रगामी प्रायोजना	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भिक्षुकों का विवरण
१—हरिद्वार	३४८
२—वाराणसी	२९६
३—लखनऊ	१२६
४—अयोध्या (फैजाबाद)	२२

(देखिये ता० प्र० २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

मई १९७० से २४ जनवरी, १९७१ तक थाना झंगहा, चौरीचौरा एवं खोराबार में कत्ल, डाके, फौजदारी व चोरी एवं ज्यादती की घटनाओं से सम्बन्धी सूचना

अपराध/थाना	मामलों की संख्या							
	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो न्यायालय में विचाराधीन है	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)		जिनमें जांच अभी जारी है
कत्ल								
थाना–झंगहा	..	..	२	२	–	१	१	–	१
थाना–चौरी चौरा	..	..	२	२	–	–	–	२	–
थाना–खोराबार	..	..	२	२	–	२	२	..	–
डकैती								
थाना–झंगहा	..	..	७	२	–	२	१	..	–
थाना–चौरीचौरा	..	..	३	३	–	–	–	१ *(खारिज हुआ)	–
थाना–खोराबार	..	..	३	३	–	२	२	१ (खारिज हुआ)	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अपराध/थाना			मामलों की संख्या						
			जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	जिनमें जांच अभी जारी है
फौजदारी									
थाना—झंगहा	..	..	१९	१४	३	९	९	५	—
थाना—चौरा चौरी	..	..	१२	७	५	६	६	१	—
थाना—खोरावार	..	..	२२	१४	८	११	११	३	—
चोरी—									
थाना—झंगहा	..	..	४४	३७	७	१३	१३	२३	१
थाना—चौरा चौरा	..	..	१००	७८	२२	१४	१४ (इनमे से ३ खारिज हुये)	५८	..
थाना—खोरावार	..	..	२२	२८	—	१४	१४	११	३

नोट—उक्त तीनों में से किसी थाने पर राहजनी की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१ एल० ए०—१९७१-८४५।